खण्ड-189, अंक-1
सोमवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(9 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४९)

अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाहबख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशफ़ाक अली खां, श्री
असग़रअली खां, कुंवर
अहमद बख़्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्म शाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषणगुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़त सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख़्श सिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
मारकंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभूदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री

विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धिलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजन लाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फ़रहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर राम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेवउपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती

रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वंद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमीसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायक सिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभानाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीतराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री

हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सम।जवादी नेता डाक्टर राममनोहर लोहिया का लखनऊ जेल में स्वास्थ्य तथा उनसे व अन्य बन्दियों से मिलने पर रुकावट

**१—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या जेल मंत्री को यह ज्ञात है कि डाक्टर लोहिया का स्वास्थ्य जेल में खराब है ?

सम।ज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)—डाक्टर लोहिया का स्वास्थ्य ठीक है। हां, उनके दांत व कान में कुछ कष्ट था जिसकी जांच के लिये उनको तारीख २६-११-१९५७, २९-११-५७ और २-१२-५७ को मेडिकल कालेज भेजा गया और उपचार किया गया।

**२—श्री गौरीशंकर राय—क्या जेल मंत्री को यह ज्ञात है कि जेल में बन्दी सिपाहियों से मिलने के लिये उनके कानूनी सलाहकार को १०-११-५७ को प्रातः काल ९ बजे से लेकर सन्ध्या के ४ बजे तक लखनऊ जिला जेल के द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ी ?

श्री मुजफ्फरहसन—श्री डी० पी० जोशी वकील ने १० नवम्बर, १९५७ को लगभग २ बजे वकालतनामा में दस्तखत होने के बाद, बन्दी सिपाहियों से मुलाकात करनी चाही। आदमियों को इकट्ठा करके ३ बज कर २० मिनट पर भेंट करा दी गयी।

**३—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि लखनऊ जिला में बन्दी ५४ सिपाहियों को उनके कानूनी सलाहकार से मिलने से वंचित रखा गया ?

श्री मुजफ्फरहसन—जी नहीं।

**४—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि समाजवादी नेता डाक्टर लोहिया से मिलने के लिये गये। आचार्य कृपलानी जी को जेल के दरवाजे से बिना मुलाकात लौटना पड़ा ?

श्री मुजफ्फरहसन—आचार्य कृपलानी ४ नवम्बर, १९५७ को डाक्टर लोहिया से मिलने आये थे उनको नियमित स्थान पर भेंट कराने की अनुमति दी गई, परन्तु डाक्टर लोहिया ने भेंट करने से इन्कार कर दिया।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि उनके दांत व कान में कष्ट रहने के बावजूद भी जेल के अधिकारी उन्हें जेल के दरवाजे पर आकर मिलने के लिये मजबूर करते रहे ?

श्री मुजफ्फरहसन—दांत और कान का दर्द तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जेल के फाटक तक न आ सकें।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डाक्टर लोहिया के दांत और कान में कष्ट होने की स्थिति में भी उनको बैरक में मिलने की इजाजत नहीं दी गई ?

श्री मुजफ्फरहसन—बैरक में मुलाकात करने का कोई तरीका नहीं है। और दांत और कान का दर्द ऐसा मर्ज नहीं है कि वे मुलाकात करने के लिये फाटक तक न आ सकें।

श्री गौरीशंकर राय—क्या श्री डी० पी० जोशी जो पुलिस वालों के कानूनी सलाहकार थे उनको केवल १० सिपाहियों से मिलने की इजाजत दी गई, बाकी ४४ सिपाहियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई ?

श्री मुजफ्फरहसन —ऐसी कोई शिकायत मुझे तो मालूम नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि ३ तारीख को बलरामपुर अस्पताल के डाक्टर डी० एन० शर्मा ने डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा की थी और उनका कहना है कि स्पेडम इन हार्ट डाक्टर लोहिया को है और उनका ब्लड प्रेशर लोएस्ट १०० और हाइएस्ट १५० है, यह भी उन्होंने रिपोर्ट की थी ?

श्री मुजफ्फरहसन—मुझे कोई उसकी इत्तला नहीं है जिसका जिक्र कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात की जानकारी करेगी कि डाक्टर डी० एन० शर्मा ने डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा की और मुख्य मंत्री के कहने से की ?

श्री मुजफ्फरहसन—माननीय सदस्य अगर ऐसी कोई शिकायत मुझे भेजेंगे तो मैं जरूर उसको मालूम करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या समाज सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर यह उत्तर दिया गया कि डाक्टर लोहिया का स्वास्थ्य अच्छा है ?

श्री मुजफ्फरहसन—मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की जहमत गवारा करेंगे कि डाक्टर लोहिया पुराने दिल के मरीज हैं और उनको हाईपर टेंशन आफ हार्ट की शिकायत है जिसकी ताईद लखनऊ के सिविल सर्जन ने की है और एडीशनल सिविल सर्जन ने भी उनके जेल में आने के बाद की है ?

श्री मुजफ्फरहसन—मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३ नवम्बर को उनके आदेश पर या उनके निर्देश पर डाक्टर डी० एन० शर्मा डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा करने जेल में गए थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—न मैं जेल के मामले में डाइरेक्टली कोई निर्देश करता हूं, न कोई आदेश करता हूं। अगर डाक्टर शर्मा गए होंगे तो समाज सुरक्षा मंत्री के आदेश या निर्देश पर गये होंगे। उन्हीं की इजाजत लेकर गए होंगे।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या समाज सुरक्षा मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जेल में मुलाकात के नियम क्या अंग्रेजी हुकूमत के ही बनाये हुये हैं या उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्य को स्वयं जानना चाहिये।

श्री राजनारायण—क्या मुख्य मंत्री जी को यह पता है कि डाक्टर डी० एन० शर्मा डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा करने गए थे और उन्होंने कोई रिपोर्ट की है ?

श्री अध्यक्ष—समाज सुरक्षा मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

श्री मुजफ्फरहसन—मुझे तो इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह पता है कि डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा जो डाक्टर डी० एन० शर्मा ने की उसकी जानकारी हम ने मुख्य मन्त्री और दूसरे मन्त्रियों से करायी ?

श्री मुजफ्फरहसन—मुझे तो इसकी कोई इत्तला है नहीं और न कोई ऐसी इत्तला मुझे दी गई।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या समाज सुरक्षा मंत्री को पता है कि डाक्टर लोहिया के दांत व कान में दर्द तथा बीमारी से अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैजिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी अदालत में घसीट कर बुलाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जानता हूं यह मामला अदालत के सामने है। इस प्रश्न पर अधिक सवाल होना उचित न होगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह अदालत के सामने है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध, लेकिन यह अदालत के सामने नहीं है कि उनको घसीट कर अदालत में ले जाया जाय . . . .

श्री अध्यक्ष—आप का सवाल क्या है, फिर से दोहराइये।

श्री उग्रसेन—डाक्टर लोहिया का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैजिस्ट्रेट ने ३ तारीख को उन्हें अपनी अदालत में जबरदस्ती बुलाया, क्या समाज सुरक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—मैजिस्ट्रेट के सामने जाना, यह भी जुडीशियल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा हो गया है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि बन्दी सिपाहियों के सलाहकार श्री डी० पी० जोशी को उनसे मिलने में और दस्तखत करवाने में पूरा दिन जेल के दरवाजे पर लग गया ?

श्री मुजफ्फरहसन—उन्होंने दो बजे दस्तखत करने के लिये कागजात दिये और उसके घंटे भर के अन्दर दस्तखत करके कागजात उनको दे दिये गये। ६४ आदमियों को दस्तखत करने थे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री को सूचना है कि डाक्टर लोहिया विशिष्ट परिस्थितियों में जेल की बैरक के अन्दर ही मुलाकात किया करते थे तो फिर श्री कृपलानी के जाने पर इस नियम को क्यों नहीं बरता गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है, न कोई ऐसा नियम ही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार के पास डाक्टर लोहिया के दांत और कान के दर्द के बारे में कोई मेडिकल रिपोर्ट है, अगर है तो क्या है ?

श्री मुजफ्फरहसन—डाक्टर लोहिया के दांत और कान में मामूली दर्द की शिकायत थी। इस वजह से उनको मेडिकल कालेज जांच के लिये भेजा गया और वहां उनका इलाज हुआ।

श्री अध्यक्ष—आप के पास कोई रिपोर्ट है ?

श्री मुजफ्फरहसन—कोई तफसीली रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या जेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नियमों के अनुसार जेल में मिलने के लिये नियमित स्थान कौन सा है ?

श्री मुजफ्फरहसन—अलग अलग जेलों में अलग अलग जगह मुकर्रर है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार डाक्टर लोहिया के दांत कान के दर्द के सिलसिले में जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फरहसन—अगर माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे तो मैं जरूर बतला दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट यही है कि डाक्टर लोहिया पूर्ण स्वस्थ हैं ?

श्री मुजफ्फरहसन—लेटेस्ट रिपोर्ट तो यही है कि वे बिल्कुल ठीक हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैंने सरकार से कई बार विनम्र निवेदन किया कि डाक्टर लोहिया के जो फिजीशियन हैं उनको ले जाकर मैं उनके स्वास्थ्य की परीक्षा करवाऊं लेकिन वह हमारा निवेदन रिजेक्ट कर दिया गया ?

श्री मुजफ्फरहसन—राजनारायण जी ने टेलीफोन पर कहा था कि वे बीमार हैं तो मैंने उनसे वायदा भी किया था कि मैं उनको बाहर के डाक्टरों से एग्जामिन करा लूंगा। चुनांचे आई० जी० जो मेडिकल आफिसर हैं उन्होंने जाकर मुआयना किया और उन्होंने उनकी सेहत को अच्छा बतलाया।

श्री राजनारायण—क्या आई० जी०, जिनको माननीय मंत्री जी ने मेडिकल आफिसर बतलाया है ने अपनी प्रेक्टिस छोड़ दी है और उन्होंने खुद डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा नहीं की, बल्कि वे अपने पुत्र को साथ ले गये थे और उससे कहा कि वह उनके स्वास्थ्य की परीक्षा करे ?

श्री मुजफ्फरहसन—मुझको इस तफसील की खबर नहीं है लेकिन मेरे पास आई० जी० की रिपोर्ट है कि उन्होंने उनका मुआयना किया और वे अच्छे हैं।

तारांकित प्रश्न

माताटीला बांध में ली गयी जमीन का मुआवजा

*१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या माताटीला बांध बनाने के लिये बांध के इर्द-गिर्द कितने ही किसानों की जमीनें ली गई थीं ? यदि हां, तो कब ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां।

माताटीला बांध के लिये भूमि सन् १९५२ से लेकर सन् १९५६ तक भिन्न-भिन्न समय पर अधिकृत की गई थी।

*२—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने उन किसानों को मुआवजा अदा कर दिया है जिनकी जमीनें ली गई हैं ?

श्री राममूर्ति—माताटीला बांध के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल मिलाकर ४४ गांवों में भूमि अधिकृत की गई थी। इनमें १७ गांव उत्तर प्रदेश के और २७ मध्य प्रदेश के हैं। इनमें से ५ उत्तर प्रदेश के और ६ मध्य प्रदेश के गांवों के किसानों को मुआवजा पूर्ण रूप में दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के ६ और मध्य प्रदेश के १४ गांवों के किसानों को अन्तरिम रूप से मुआवजा दिया जा चुका है। ६ मध्य प्रदेश और ६ उत्तर प्रदेश के गांवों के किसानों को मुआवजा देने के लिये भूमि अधिकृत करने की वैधानिक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र ही मुआवजा दे दिया जायगा। मध्य प्रदेश के केवल १ गांव के किसानों को मुआवजा देने के लिये वैधानिक कार्यवाही पूरी करने की कार्यवाही की जा रही है।

अलीगढ़ जिले के रजबहा सुहावली पर लगाये गये कुलाबे

*३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के रजबहा सुहावली पर जो कुलाबे अस्थायी रूप से लगाये गये थे उनकी आवश्यकता सरकार अनुभव करती है?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या इन कुलाबों को सरकार स्थायी करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह कब तक स्थायी हो सकेंगे?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५-७—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१५ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जौनपुर जिले में बसुहि, बरना व सई नदियों से बाढ़-पीड़ित ग्रामों को ऊंचा करने का काम

*८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में बसुहि, बरना व सई नदी के किनारे जिन ग्रामों में नदी का कटाव रोकने का काम जारी था बन्द कर दिया गया? यदि नहीं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले में बसुहि, बरना व सई नदी के बाढ़-पीड़ित ग्रामों के स्तर ऊंचा करने का कार्य प्रगति में है। काम बन्द नहीं किया गया किन्तु कुछ ग्रामों में मिट्टी के अभाव के कारण काम की प्रगति अस्थायी रूप से कम हो गई। फसल कटने के बाद मिट्टी की प्राप्ति पर फिर कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने गांव में मिट्टी का काम शुरू किया गया है और कितनों में शुरू होने वाला है?

श्री राममूर्ति—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

चीनी मिलों द्वारा कम गन्ना पेरने की शिकायत

*९—श्री गेंदसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की चीनी मिलें इस वर्ष किस तारीख से चलना आरम्भ हुई थीं, कब बन्द हुईं, कितना गन्ना पेरा गया और कितनी चीनी तैयार हुई?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—प्राप्त सूचना के आधार पर इस वर्ष (१९५६-५७) के बारे में पूर्ण विवरण संलग्न तालिका 'अ' में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१-७२ पर)

*१०—श्री गेंदासिंह—क्या इसकी सूचना सरकार को है कि कितने गन्ने का बांड केन यूनियनों ने मिलों को दिया था ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां। प्रदेश की समस्त गन्ना यूनियनों ने सीजन १९५६–५७ में प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों को कुल ३२०७.२० लाख मन गन्ने का बांड किया था।

*११—श्री गेंदासिंह—क्या केन यूनियनें प्रदेश की चीनी मिलों को अगले सीजन में गन्ना देने के लिये इकरारनामा करती हैं? यदि हां, तो ये इकरारनामा दोनों तरफ से होता है या केवल गन्ना उत्पादकों की ओर से और पिछले वर्ष अर्थात् १९५६–५७ में कितना गन्ना सप्लाई करने का किस यूनियन ने किस मिल को वादा किया था ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां। ये इकरारनामा दोनों तरफ से होता है और पिछले वर्ष (१९५६–५७) में जितना गन्ना सप्लाई करने के लिये जिस यूनियन ने जिस मिल को वायदा किया था, उसका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका "ब" में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३–७७ पर)

श्री गेंदासिंह—जो गन्ना बांड किया गया है ३२०७.२० लाख मन उसमें से ३० ही के करीब पेरा गया, यह कमी क्यों हुई ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक इसके बांड करने की बात है वह यह है कि अगर ८५ फीसदी गन्ना पहुंचता है तो पेनल्टी क्लाज अप्लाई नहीं करता। अगर इससे कम मिल पेरे या प्रोड्यूसर कम ले जाय तो पेनल्टी क्लाज लागू होती है। तो इसका एक अन्दाजा रहता है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि बांडेड गन्ना जो था उसको भी शुगर फैक्टरियों ने छोड़ करके दूसरा गन्ना खरीदा और उसकी कम कीमत लगायी ?

श्री रऊफ जाफरी—यह हो सकता है कि उन्होंने लिया हो और प्रोड्यूसर भी न ला पाया हो, और यह भी हो सकता है कि इसके अलावा लिया हो।

श्री गेंदासिंह—क्या इसकी भी इत्तला सरकार को है कि इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी काश्तकार गन्ना पहुंचाना चाहता था लेकिन फैक्टरी वालों ने किसी दूसरे मोटिव से उसको न लेकर के दूसरा गन्ना लिया ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्रशिंग की जो डेफीशियेन्सी या कमी रह गई है उसके मुताल्लिक कोई परामर्श बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड से हुआ था ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सवाल पैदा नहीं होता है। यह बतलाया गया है कि कमी होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष—बिहार वालों से बातचीत हुई थी।

श्री सुरथ बहादुर शाह—श्रीमन्, बिहार और यू० पी० का ज्वाइंट में जो बोर्ड है, उससे बातचीत हुई है।

श्री रऊफ जाफरी—इसमें यह बतलाया गया है कि बांड हो गये हैं, फिर इस बोर्ड से क्या ताल्लुक है ? इसमें कोई कंसल्टेशन की बात न आती है और न हुई।

वाराणसी जिले में तरैया नलकूप से पर्याप्त जल न मिलना

*१२—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के परगना कटेहर में रामगढ़वा व पर्वतपुर के इलाके में कोई ट्यूबवेल है? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र के किसानों को उससे सिंचाई के लिये पानी मिल रहा है? यदि हां, तो कब से ?

श्री राममूर्ति—पर्वतपुर में एक नलकूप है जिससे १९५५ से सिंचाई प्रारम्भ कर दी गई है। राम गढ़वा ग्राम में कोई नलकूप नहीं है परन्तु इस गांव का क्षेत्र तरैया नलकूप से सींचा जाता है। इस नलकूप से भी १९५५ से सिंचाई प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तरैया और पर्वतपुर में जो ट्यूबवेल है वह जमीन के नीचे हिस्से में होने के कारण तरिया ग्राम की सिंचाई नहीं हो पाती है ?

श्री राममूर्ति—यह हो सकता है।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इसकी कोई उचित व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—एक ही व्यवस्था हो सकती है कि जब ट्यूबवेल बढ़ाये जायेंगे और यदि मुनासिब समझा जायगा तो वहां एक और लगा दिया जायगा।

वाराणसी जिले में मौजा भदवां भिदूर के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए पार्थना

*१३—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के सुलतानीपुर परगने में मौजा भदवां, भिदूर का समूचा क्षेत्र एक मामूली नाले के कारण बाढ़-ग्रस्त हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका समुचित प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, बाढ़ के समय गोमती नदी का पानी एक क्षेत्रीय नाले से होकर पीछे जाने के कारण (back water) भदवां भिदूर का क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त हो जाता है। अभी इसे रोकने की कोई योजना नहीं बनी है यद्यपि इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

श्री गेंदासिंह—अगर इन गांवों में बाढ़ रोकने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है तो जैसा कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने फैसला किया था कि ऐसे गांवों में ऐसी फसल पैदा की जाय जो बाढ़ से पहले उत्पन्न हो जाय ? क्या सरकार ने उसका कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति—यह सवाल हमारे सामने नहीं आया है अगर इसके ऊपर लिखकर ध्यान दिलाया जायगा तो मैं उसको ऐग्रीकल्चर विभाग में भिजवा दूंगा ताकि इस पर ध्यान दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न की ओर संकेत किया गया है वह सरकार के सामने था और है। ३–४ फसलें हैं जिनके बारे में प्रयोग हो रहा है और हम दूसरे प्रदेशों तथा देशों से बातचीत कर रहे हैं और हमें आशा है कि थोड़े अर्से में मुस्तकिल चीज पा सकेंगे तब प्रयोग करेंगे।

श्री लोकनाथ सिंह—इस सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा कि भदवां, भिदूर के नाले से जो क्षेत्र बर्बाद हो जाता है उस पर विचार हो रहा है, तो उस पर विचार कब समाप्त होगा और उसकी अमली कार्यवाही कब की जायगी ?

श्री राममूर्ति—विचार तो जल्दी समाप्त हो जाता है लेकिन आजकल पैसे की कमी होने की वजह से विचारों को जरा लम्बा कर दिया गया है ।

वाराणसी जिले के जालूपुर परगने के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बाढ़ योजनान्तर्गत लेने की प्रार्थना

*१४—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के जालूपुर परगने में मौजा गोबरहां, रमचंडीपुर, रामपुर, मोकलपुर तथा मुश्तफाबाद का पूरा क्षेत्र एक नाले के कारण किसी भी ऋतु में खेती करने लायक नहीं रह जाता ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका समुचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—जालूपुर परगने में मौजा गोबरहां, रमचन्डीपुर, रामपुर, मोकलपुर तथा मुश्तफाबाद ये गांव गंगा की मुख्य धारा तथा उसके एक सोते के बीच में आबाद हैं और प्रायः बाढ़ के दिनों में ये सोता करीब-करीब गंगा से मिल जाता है, और बाढ़ से पूरा क्षेत्र डूब जाता है सिवाय इसके कि बीच की आबादी जो ऊंची है बच जाती है । ये क्षेत्र करीब-करीब ३ मील लम्बा और करीब-करीब सवा मील चौड़ा है । इसको बाढ़ से बचाने की अभी कोई योजना नहीं है और न किसी योजना की सफलता मिलने की सम्भावना है क्योंकि यह पट्टी इतनी कम चौड़ी है कि अगर कोई बांध बना कर गंगा की बाढ़ रोकने की कोशिश की जाय तो इसके पास बनने से वह कभी बच न सकेगा ।

लघु उद्योग-धंधों के लिए ऋण व अनुदान

*१५—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि लघु-उद्योग के लिये अब तक कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितने व्यक्तियों को किस-किस उद्योग के लिये धन दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—लघु-उद्योग के लिये अब तक ७,८६४ प्रार्थना-पत्र आये और १,२४५ व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिये ऋण व अनुदान दिया गया । जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८ पर)

श्री गंगाप्रसाद—क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १८ नवम्बर पर खाद्य सामग्री दी गयी है वह क्या चीज है और उसके लिये किन व्यक्तियों को कितना रुपया दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—किन व्यक्तियों को कितना दिया गया है इसकी सूची तो मौजूद नहीं है लेकिन कैनिंग के सिलसिले में दिया जाता है और फ्रूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितनी हैं उनमें दिया जाता है ।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लघु-उद्योग धंधों में जो रुपया दिया गया है उसमें अधिक से अधिक और कम से कम कितना रुपया दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—जो फेहरिस्त सदन की मेज पर रखी गयी है उसमें तो यह दिया हुआ है मगर जो कायदा है उसके हिसाब से एक व्यक्ति को अधिक से अधिक दो हजार रुपया तक का अनुदान दिया जा सकता है और कम से कम की तो कोई तादाद है नहीं, आप ५० रुपये दीजिये । जहां तक ऋण का सम्बन्ध है १०,००० रुपये तक व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं । जो कोआपरेटिव्ज वगैरह हैं या रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनको ६,००० रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता है और ऋण अधिक से अधिक १५,००० रुपये तक दिया जा सकता है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन उद्योगों को जो रुपया दिया जाता है उसका जायज इस्तेमाल हो रहा है या नहीं इसकी जांच की कोई व्यवस्था उन्होंने की है ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक इत्तला है उसका इस्तेमाल ठीक ही हो रहा है। उसमें होता यह है कि जब प्रार्थना-पत्र आते हैं तो उनकी जांच की जाती है और हमारे इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट आती है और एक कमेटी मुकर्रर है वह उनको देखती है तब रुपया दिया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा प्रश्न यह था कि पैसा दे चुकने के बाद वह ठीक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी कोई व्यवस्था है ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—मैंने इसका जवाब दे दिया था कि जहां तक इत्तला है वह ठीक इस्तेमाल हो रहा है। बीच-बीच में देखा भी जाता है और अगर जिस गरज के लिये रुपया दिया गया है उसमें उसका ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो जितना रुपया दिया गया है वह इकट्ठा वसूल कर लिया जाता है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने प्रार्थना-पत्र लघु-उद्योगों के लिये सहायता के लिये आये और जो मंजूर हो गये, उनमें से कितनों को सहायता मिल पायी और कितनों को नहीं ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—जिनको धन मिल पाया है उनकी फेहरिस्त दी गई है। जिनको नहीं मिल पाया उनके लिये बताया गया कि इतने प्रार्थना-पत्र आये और इतनों को मंजूर हुए, तो आप घटाकर निकाल लीजिये कि कितनों को नहीं मिला।

बलिया बैरिया बांध को पक्का करने की प्रार्थना

*१६—श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया बैरिया बांध यदि शीघ्र पक्का नहीं कर दिया गया, तो बांध के बनने में जितना व्यय हुआ है उसको क्षति पहुंचने की आशंका है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, यदि बलिया बैरिया बांध को पक्का न भी बनाया जाय तो भी उसे कोई हानि या उसमें दराज आदि पड़ जाने की कोई आशंका नहीं है।

मुजफ्फरनगर जिले में शुकदेव ताल पर बांध की आवश्यकता

*१७—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर में शुकदेव ताल पर गंगा किनारे एक सरकारी बांध लगाने की योजना चालू की गई है ? यदि हां, तो यह बांध कब पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१८—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त बांध के बनने से मंडावर परगना, जिला बिजनौर के उक्त ताल के सीधे इस पार के स्थित गांव रावली तथा अन्य कई गांवों को गंगा द्वारा ढांग काटने से कितनी क्षति होगी ? क्या सरकार इसके लिये शीघ्र ही कोई प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि कोई योजना सरकार के विचाराधीन है उसमें शुकदेव ताल पर क्या कोई पुल बनाने की स्कीम भी विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

मथुरा जिले में सिंचाई के साधनों की कमी

*१९—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला खास कर आगरा नहर से सींचे जाने वाले क्षेत्र में जहां पर कि नलकूप भी कामयाब नहीं हो रहे हैं और न किसी बांध द्वारा हाल में पानी मिलने की आशा है ऐसी कौन सी नई योजना सरकार बना रही है जिसके द्वारा इस क्षेत्र को पानी मिल सके।

श्री राममूर्ति—मथुरा जिले के वह क्षेत्र जहां ट्यूबवेल सफल नहीं हो पाये हैं उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नई नहरों के निर्माण तथा आगरा व माट ब्रांच नहरों से नई शाखायें निकाल कर दी जा सकती है। यह कार्य तभी हो सकता है जब कि रामगंगा बांध के बनने से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने लगे। इसके सिवा और कोई योजना पर अभी विचार नहीं किया गया है।

*२०—श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री मथुरा जिले के उक्त क्षेत्र के लिये कुओं से व कुओं में बोरिंग कराकर सरकारी स्कीम द्वारा तकावी न देकर सिंचाई का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगी?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

बस्ती जिलान्तर्गत बूढ़ी राप्ती नदी के पर सोहन बांध की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*२१—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बूढ़ी राप्ती नदी से बाढ़ की रक्षा के लिये अंग्रेजी सरकार ने ग्राम परसोहन तथा बुड्ढी परगना बांसी पश्चिम, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में कोई बांध बंधवाया था?

श्री राममूर्ति—ब्रिटिश सरकार ने कोई बांध परसोहन तथा बुड्ढी परगना बांसी तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती में नहीं बनवाया था। यह बांध आसपास गांव वाले जमींदारों ने खुद बनवाया था।

*२२—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उस बांध के जीर्णोद्धार की व्यवस्था करने पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—इस बांध की मरम्मत के प्रश्न पर राजकीय बाढ़ निरोध बोर्ड की टेक्निकल सब-कमेटी द्वारा विचार किया गया था। बांध के नदी के बहुत समीप होने के कारण उसकी मरम्मत की स्वीकृति नहीं दी गई।

वाराणसी जिले में कूंडी का बांध

*२३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले की वाराणसी तहसील में जो कूंडी का बांध बना है उसमें कितना रुपया लगा है और बांध तैयार होने के बाद कितनी बार वह टूटा और टूटने के बाद मरम्मत कराने में कितना रुपया खर्च हुआ और इस बांध से अब तक कितना फायदा किसानों को पहुंचाया गया?

श्री राममूर्ति—वाराणसी जिले की वाराणसी तहसील में कूंडी नाले के बांध तथा वैरेल के निर्माण में २८,०२० रुपया व्यय हुआ है। यह बांध तथा वैरेल सन् १९५६ की पहली छः माही में बन कर तैयार हो गये थे। अतिवृष्टि तथा १९५६ की असाधारण बाढ़ के कारण यह बांध उस साल टूट गया और इसकी मरम्मत में ९,००० रुपया व्यय हुआ। इस प्रकार के बांध से फ़ायदा परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से धीरे-धीरे होता है। फिर भी इसके निर्माण से यह फायदा हुआ है कि भूमि का कटाव रुक गया है। इस बांध से लगभग ६०० एकड़ भूमि को लाभ होता है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे और इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि बांध बनने से यह ६०० एकड़ जमीन पानी में डूब जाती है और उसकी फसल सड़ जाती है ?

श्री राममूर्ति---यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो अवश्य मालूम करा दूंगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बनने के कितने दिन के बाद यह बांध टूटा ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि उस साल जब बरसात शुरू हुई तो अतिवृष्टि हुई जिसके कारण ही वह बांध टूट गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या बांध टूटने का एक कारण यह भी मंत्री जी को पता है कि उसका अर्थ वर्क इतना नहीं था कि वह अतिवृष्टि के पानी को सहन कर सके ?

श्री राममूर्ति---अर्थ वर्क में कमी की कोई बात नहीं थी, किन्तु वह इतनी अधिक अतिवृष्टि के खयाल से नहीं बनाया गया था। बाद में वह दुरुस्त कर दिया गया ताकि आइन्दा ऐसा कोई नुकसान न हो।

जौनपुर जिले में चौबरिया, बेलवार और इटहा बंधियों के निर्माण पर व्यय

*२४---श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के चौबरिया, बेलवार और इटहा बंधियों के निर्माण पर अलग-अलग पक्का कार्य तथा मिट्टी डालने पर कितना-कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति---जौनपुर जिले के चौबरिया, बेलवार और इटहा बंधियों के निर्माण पर किये गये खर्च का ब्योरा इस प्रकार है :---

बंधी का नाम	व्यय किया गया धन	
	पक्के काम पर	मिट्टी डालने पर
	रु०	रु०
१---चौबरिया बांध और बेरेल ..	१४,०००	६,८१३
२---इटहा बांध ..	१०,६१३	४,०००
३---बिलवार बेरेल ..	११,२३१	७,५०६

श्री नागेश्वर प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बंधियों की देखरेख के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री राममूर्ति---विभाग की तरफ से जो देखरेख होती है वही यहां पर भी होगी।

बलिया जिले में नवीन नलकूपों के निर्माण का आयोजन

*२५---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जिला बलिया में कितने नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति हुई है और अब तक कितने बन चुके हैं ?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में ११५ नलकूप स्वीकृत हुये थे जो सब बन चुके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष ५६-५७ में १० नलकूप स्वीकृत थे जो कि "बोर" हो चुके हैं और उनकी गूलों के निर्माण का कार्य हो रहा है। इस वर्ष (५७-५८) में १० नलकूप बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---प्रश्नोत्तर में यह कहा गया है कि पिछले वर्ष १० नलकूप बनाने का प्रस्ताव था तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत हो चुका है या नहीं ?

श्री राममूर्ति---यह प्रस्ताव तो करीब करीब स्वीकृत हो चुका है परन्तु स्थानों की जांच-पड़ताल हो रही है कि कहां-कहां पर यह १० नलकूप लगाये जायं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि जो नलकूप पंचवर्षीय योजना में लगाये जा चुके हैं वह नलकूप चल भी रहे हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति---जितने नलकूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनने थे वह करीब-करीब सब चालू हैं। कहीं-कहीं ऐसा हो जाता है कि बिजली की कमी के कारण डिज़िल इंजिन से वह चलते हैं तो डिज़िल इंजिन उतने हमारे पास नहीं हैं। इसलिये कहीं-कहीं कुछ देर हो जाती है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास बलिया जिले से ही इस प्रकार की रिपोर्ट आयी है कि नलकूप नियमित रूप से न चलने के कारण बहुत-सी फसल वहां पर सूख गई और नई बोआई होने में बड़ी दिक्कत पड़ी ?

श्री राममूर्ति---यह साफ जाहिर है। अगर कहीं पर नलकूप नहीं चल पाये होंगे, जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि बिजली मिलने में दिक्कत होती है, तो वहां पर ऐसा हुआ होगा।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि बलिया में जो नलकूप लगाये गये हैं वह रबी की फसल के कमांड को दृष्टि में रखकर लगाये गये हैं और वहां पर ६० फीसदी से ऊपर जो खरीफ की जोत है उसको दृष्टि में रखकर नहीं लगाये गये हैं। तो क्या आगे जो नलकूप लगाये जायेंगे वह खरीफ की जोत के प्रश्न को सामने रखकर लगाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति---अभी तक विभाग का तरीका यह है कि नलकूप किसी खास फसल के लिहाज से नहीं लगाये जाते हैं बल्कि रबी और खरीफ़ दोनों का ही ख्याल रखा जाता है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि बलिया जिले में किसी भी नलकूप की नाली ऐसी नहीं है जो धान के खेत तक जाती हो ?

श्री राममूर्ति---मैं यह नहीं जानता कि कौन से खेत कौन-सी नाली के ऊपर हैं लेकिन हर नलकूप पर एक मील पक्की नाली बनाई जाती है और उसके अलावा कच्ची नाली रहती है।

बलिया जिले में रसड़ा ग्राम के नलकूप से पर्याप्त जल न मिलना

*२६---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि रसड़ा (बलिया) के १८ नम्बर के नलकूप का discharge (जल निकास) बहुत कम है और इसी से रसड़ा कस्बे को पानी देना तथा सिंचाई करना दोनों ही प्रकार का कार्य किया जाता है ? यदि हां, तो उपर्युक्त नलकूप में पानी की कमी को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार वहां के किसानों के सिंचाई के लिये दूसरा नलकूप बनाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---नलकूप नम्बर १८ रसड़ा ग्राम का जल निर्माण १६,००० प्रति घंटा है। इस कूप का सी० सी० ए० (Culturable command area) ११४० एकड़ है। इस कूप से एक साल में १०३ एकड़ सिंचाई हुई है। जब तक इस नलकूप का निकास पूर्ण न हो जाय और यह ४०० एकड़ सिंचाई न करने लगे तब तक इस क्षेत्र में दूसरा नलकूप बनाने की योजना उचित प्रतीत नहीं होती।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि यह जो १०३ एकड़ की ही सिंचाई हुई है इसलिये नहीं हुई है कि किसानों ने जल नहीं लिये बल्कि इसलिये ऐसा हुआ है कि नलकूप इससे ज्यादा पानी दे ही नहीं सकता था? यदि हां, तो सरकार कृपाकर दूसरा नलकूप बनाने पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति---इतने ब्योरे के साथ तो मैं नहीं बता सकता, नोटिस की जरूरत पड़ेगी। अगर डिसचार्ज के बाद पानी पूरा नहीं हो पाता है तो दूसरे नलकूप की बात पर विचार किया जा सकता है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि जब कभी माननीय मंत्री उधर गये हैं तो इस नलकूप के संबंध में रसड़ा और इर्दगिर्द के निवासियों ने उनसे शिकायत की है कि इसमें पानी नहीं है और यह ऐसी जगह बनाया गया है जो उचित स्थान नहीं है, तो माननीय मंत्री ने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछा है और उन लोगों ने अपनी राय भी दी है कि हां, इसका पानी कम है?

श्री राममूर्ति---मुझे इसका कुछ ध्यान नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार सदन को बतावेगी कि वह इसे निश्चित करने के लिये कितना समय लेना चाहती है कि ४०० एकड़ की सिंचाई, वह नलकूप कब तक कर पायेगा?

श्री राममूर्ति---यह निश्चय किसानों के करने का है, इसमें सरकार का क्या है?

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि किसानों का सर्वसम्मति से यह निश्चित मत है कि उस नलकूप से ४०० एकड़ की सिंचाई नहीं हो सकती, इसलिये दूसरा नलकूप लगाया जाय?

श्री राममूर्ति---मुझे जहां तक याद आता है, सरकार के पास अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है जिसमें किसानों ने सर्वसम्मति से लिखकर ऐसा भेजा हो।

श्री गौरीशंकर राय---क्या इस नलकूप का लेबिल ऐसा है कि वह अपने कमांड एरिया में पानी नहीं दे सकता है?

श्री राममूर्ति---नोटिस की आवश्यकता है।

बलिया जिले में कोहली मुहान ताल से वर्षा का पानी निकालने के लिए प्रार्थना

*२७---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार को मालूम है कि कोइली मुहान ताल (बलिया) से वर्षा काल में पानी का समुचित निकास न होने से किसानों की हजारों एकड़ उर्वरा भूमि बेकार पड़ी रहती है तथा बहुत से गांव चारों ओर से ताल के पानी से घिर जाते हैं? यदि हां, तो सरकार जल निकास का क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री राममूर्ति---बलिया जिले में कोहली मोहन ताल से घाघरा नदी में पानी निकलने का अच्छा प्रबन्ध है। इस ताल में घाघरा नदी से बाढ़ का पानी आ जाने के कारण बाढ़ आ जाती है जिसको रोकने के लिये तुरतीपार--श्रीनगर बांध बना दिया गया है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि तुरतीपुर-श्रीनगर बांध के बाद भी इस वर्ष बरसात के दिनों में कोहली मुहान में पानी आ गया था और कई सौ एकड़ खेत जलमग्न हो गये थे?

श्री राममूर्ति---मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--कोहली मुहान ताल से पानी के निकास का क्या प्रबन्ध है?

श्री राममूर्ति---उसके घाघरा के बैंकवाटर के पानी के निकालने का इन्तजाम कर दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय---कोहली मुहान ताल में घाघरा के पानी के अलावा बरसात का पानी ही इतना अधिक आता है कि वह बहुत नुक़सान करता है, यदि हां, तो इसके निकालने के लिये क्या व्यवस्था है?

श्री राममूर्ति---मैं मालूम करके बता सकता हूं।

इलाहाबाद में उद्योगों के लिए सहायता

*२८---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में कौन-कौन से गृह उद्योग ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जाती है या सरकार की ओर से चलाये जाते हैं?

श्री रऊफ़ जाफ़री---उद्योग विभाग के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नांकित उद्योग चल रहे हैं—

योजनायें	उद्योग
१---हाथ करघा विकास योजना	हाथ करघा उद्योग।
२---खादी विकास योजना	खादी उद्योग।
३---गुड़ एवं खंडसारी योजना	गुड़ एवं खंडसारी उद्योग।
४---चर्मशोधन एवं चर्म विकास योजना	चर्म उद्योग।
५---औद्योगिक शिक्षालय योजना	१---बेंत का उद्योग, इलाहाबाद
	२---मूंज का उद्योग, महेवा
	३---बढ़ईगीरी, कीटगंज
	४---टाट पट्टी, फूलपुर
	५---बढ़ईगीरी, फूलपुर
	६---बर्जीगीरी, फूलपुर
	७---चर्मकला, फूलपुर
	८---महिला बर्जीगीरी, सेवाइथ
	९---लोहारगीरी, कीटगंज
	१०---कढ़ाई, सेवाइथ

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद के कुछ गृह उद्योगों, जैसे लोहे के संदूक बनाना, जूता बनाना, ताला बनाना, शीशे पर पालिश करना, मंजन बनाना, बालटी बनाना, लोहे की कुर्सी बनाना, सूटकेस और होलडाल बनाना, लोहे की अलमारी बनाना, निबोली का पेरा जाना तथा प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि को उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश से ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी गई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिन लोगों को ऋण या अनुदान दिया गया है, ऐसे कितने कारखाने इस समय नहीं चल रहे हैं?

श्री रऊफ़ जाफ़री---जिनको यह ऋण दिया गया था उनके कारखाने नहीं चल रहे हैं, यह बात सही नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—श्रीमन्, इसमें सहायता और ऋण के लिये लिखा हुआ है । सहायता दी गयी है और ऋण भी दिया गया है । जिनको सहायता दी गयी है वे कारखाने बन्द हैं और उनके मालिकों तक का पता नहीं है ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—मुझे इसकी सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य को मालूम हो तो इसकी इत्तला दे दें, जांच करा ली जायगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय मंत्री जी ने जो उद्योगों की लिस्ट बनायी है उसमें सुर्मा, मिस्सी बनाने के उद्योग पर भी विचार किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यदि माननीय सदस्य को उसकी जरूरत हो तो उसका भी इन्तजाम हो सकता है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ने किसी कारखानेदार को या किसी ऐक्सपर्ट को इस काम के लिये भी अनुदान देने का विचार किया है कि कोई ऐसा चूल्हा तैयार किया जाय जिसमें कम से कम लकड़ी जला कर खाना बनाया जा सके ।

श्री रऊफ़ जाफ़री—हमारे उद्योग विभाग का काम तो यह है कि जब कोई इस प्रकार की चीज निकाल लेता है और उसके लिये अनुदान के लिये आता है तो उस पर गौर किया जाता है अगर कोई इस किस्म के काम के लिये भी हमारे पास आता है या किसी की दरख्वास्त आती है तो उस पर गौर किया जायगा ।

इलाहाबाद में कारखानों को औद्योगिक ऋण

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में कारखाने चलाये जाने के लिये फरवरी, १९५६ से फरवरी, १९५७ तक कितने कारखानों को कर्ज दिया गया ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—फरवरी, १९५६ से फरवरी, १९५७ तक इलाहाबाद में कुल १९ कारखानों को औद्योगिक ऋण दिया गया ।

इलाहाबाद में नागवासू घाट की मरम्मत

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में नागवासू घाट बनने के लिये कितना धन केन्द्रीय सरकार ने दिया और कितना प्रदेशीय सरकार ने और उसकी मरम्मत कराने में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

श्री राममूर्ति—जिला इलाहाबाद में स्थित नागवासू के घाट के तट की मरम्मत हेतु ४.९२ लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया गया है जो केन्द्रीय सरकार ने ऋण सहायता के रूप में दिया है । इस समय तक उक्त योजना पर ९५ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है ।

*३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इलाहाबाद के जीर्ण घाटों की मरम्मत कराने पर कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री राममूर्ति—इस वक्त सिंचाई विभाग के पास इलाहाबाद के अन्य घाटों की मरम्मत के लिये कोई अन्य योजना नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि नागवासू घाट के ठीक से न बनने के बारे में वहां के निवासियों ने शिकायत की है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इसकी इत्तला नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नागवासू घाट का धार्मिक महत्व ही है अथवा ऐतिहासिक महत्व भी है ?

श्री राममूर्ति—मेरे खयाल से दोनों महत्व होंगे ।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन घाटों का कार्य कब तक खत्म हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—९५ प्रतिशत काम समाप्त हो चुका है । बाकी इस सीजन में खत्म हो जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के घाटों की मरम्मत जब सरकार करा रही है तो उसी के आधार पर क्या वह इलाहाबाद (प्रयाग) के घाटों की मरम्मत कराने का भी विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—सरकार के सामने वाराणसी और इलाहाबाद के घाटों के मुकाबले का सवाल नहीं था, बल्कि जहां जरूरत समझी गयी वहां काम करा दिया गया ।

घोड़ा-भत्ता पाने वाले सरकारी कर्मचारी

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन श्रेणी के सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को घोड़े पर चढ़ने का भत्ता दिया जाता है ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—घोड़ा रखने का भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता । यह भत्ता सरकारी कार्य के हित में या तो हेडक्वार्टर पर या उनके क्षेत्राधिकार में घोड़े पर यात्रा करने के लिये दिया जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र में जहां यातायात के अन्य साधनों का प्रयोग असम्भव है, वहां घोड़े का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और सदस्यों को घोड़े का भत्ता दिया जायगा ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—जवाब तो दिया गया है कि सरकारी कार्य के हित में जिन लोगों को इस्तेमाल करना होता है, अगर वे घोड़ा रखते हैं, तो उनको भत्ता दिया जाता है ।

गाजीपुर जिले के बाढ़ विभाग के विरुद्ध शिकायतें

*३३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला गाजीपुर के बाढ़ विभाग के सम्बन्ध में उसे कुछ शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति—ग्राम देवकठिया, विश्वम्भरपुर, नवापुरा, गडुवा, मकसूदपुर, विरहूपुर तथा बटेवरकलां के मिट्टी के काम की अधिक पैमाइश (नाप) के विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । यह शिकायतें अधिकांश गुप्त नामों से तथा बनावटी नामों से दी गयी थीं जो कि पूर्वकालीन बाढ़ विभाग गाजीपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध थीं ।

*३४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन शिकायतों की उसने कोई जांच करायी है ? यदि हां, तो उसका क्या फल रहा ?

श्री राममूर्ति—इन सब आरोपों की जांच पूर्णरूप से अधिशासी अभियन्ता महोदय तथा अधीक्षक अभियन्ता महोदय द्वारा की गयी तथा यह विदित हुआ कि यह सब आरोप निर्मूल थे ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के बाढ़ विभाग के पूर्वकालीन कर्मचारी कौन-कौन हैं, जिनके बारे में ये शिकायतें थीं ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है, इसके लिये नोटिस की जरूरत है। अगर किसी खास आदमी के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहेंग तो मैं उनको बतला दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच मौके पर हुई या नीचे के सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर हुई?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मेरे पास इसकी जांच के बारे में भी शिकायत आयी है और एक प्रश्न आज भी माननीय पालीवाल जी का है और मेरे मित्र जो गाजीपुर के हैं, भूतपूर्व एम० एल० ए०, उन्होंने भी इसके बारे में शिकायत लिखी। मैंने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को तैनात किया और यह कहा कि वे मौके पर जाकर उसकी जांच करें। उन्होंने उसकी जांच की और मेरे पास जो रिपोर्ट आयी उससे यह साबित हुआ कि ये सब शिकायतें निर्मूल थीं।

श्री गेंदासिंह—देवकटिया गांव के सिलसिले में विशेषतौर पर माननीय मंत्री जी यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि किसने जांच की, किस वक्त शिकायत आयी और किस वक्त जांच की गयी?

श्री राममूर्ति—देवकटिया गांव के सिलसिले में यह शिकायत आयी कि पिछले साल जब काम हो रहा था तब ओवरसियर ने उन्हीं गड्ढों की सफाई करा कर उनकी पैमाइश करा दी। वह एक साल पहले का काम था। जब मेरे पास शिकायत आयी तो मैंने उसी रोज चाहा कि उसकी जांच करा लूं लेकिन उस रोज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को बांदा जाना जरूरी था इसलिये उस रोज उसकी जांच नहीं हो सकी लेकिन दूसरे रोज उसकी जांच हुई और उसकी जो रिपोर्ट मेरे पास आई, उससे यह मालूम हुआ कि जो शिकायत की रिपोर्ट थी वह निराधार थी।

बदायूं जिले में सहसवान नगरपालिका के लिए बिजली की मांग

*३५—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार बतायेगी कि सहसवान (जिला बदायूं) की नगरपालिका में कब तक बिजली लगा दी जायेगी?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—विदेश से सामान मंगाया गया है। उसके प्राप्त होने पर सहसवान टाउन एरिया का विद्युतकरण किया जायगा।

आजमगढ़ जिले के मऊ विद्युत गृह में लोहे का गबन

*३६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ विद्युत गृह, जिला आजमगढ़ से लोहे का गबन हुआ है? यदि हां, तो कितने टन का?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। इस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है।

*३७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोहा गायब करने के अभियोग में कौन-कौन कर्मचारी मुअत्तल किये गये हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस अभियोग में श्री कुंवरप्र ताप सिंह वर्मा, असिस्टेंट इंजीनियर और श्री रामनारायण दुबे ओवरसियर मुअत्तल किये गये हैं।

आजमगढ़ जिले की टांडा नहर की कपसा शाखा का निर्माण-कार्य रुक जाना

*३८—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि टांडा कैनाल की उपशाखा (कपसा ब्रांच) का निर्माण क्यों रुका है?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

टांडा नहर की आजमगढ़ शाखा की भूमि का मुआवजा न मिलना

*३९—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि टांडा नहर की आजमगढ़ शाखा के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि का मुआवजा किसानों को अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४०—श्री विश्राम राय—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि टांडा नहर के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि का सरकारी लगान अब तक किसानों को क्यों देना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फ्रूट यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श के बिना नियुक्तियां

*४१—श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि फ्रूट यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश में १२०—३०० और २००–३५० के वेतन-क्रम की जगहें पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श करके नहीं भरी गयी हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां । आरम्भ में जब यह डिपार्टमेंट स्थापित किया गया था तब योजनाओं को शीघ्रता से चालू करने के लिये जगहें बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श के भर ली गयी थीं, परन्तु अब इन जगहों के सम्बन्ध में कमीशन से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

*४२—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त विभाग को सलाह देने के लिये कोई कमेटी है या जिला प्लानिंग कमेटियों की सिफारिश को इस विभाग में माना जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं हैं । जिला प्लानिंग कमेटी की सिफारिश को विभाग द्वारा माना जाता है ।

सिंचाई विभाग के अस्थायी सहायक इंजीनियरों को स्थायी करने की मांग

*४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ विभाग में किन-किन जिलों के कितने-कितने सहायक इंजीनियर हैं जो दो वर्ष से काम कर रहे हैं, पर अब तक स्थायी नहीं किये गये हैं ? क्या सिंचाई मन्त्री कारणों का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—बाढ़ का कोई अलग विभाग नहीं है । बाढ़ के कार्य भी सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे हैं । सिंचाई विभाग के बहुत से अफसर जो बाढ़ का कार्य कर रहे हैं वह नहर के भी कार्य की देखभाल करते हैं । बाढ़ के कार्य के लिये ४२ सहायक इंजीनियरों के पद स्वीकृत हैं । चूंकि सिंचाई विभाग के डिवीजन का क्षेत्र जिलों के क्षेत्र के हिसाब से नहीं होता है इसलिये बाढ़ के कार्य पर लगे सहायक इंजीनियरों का जिलेवार विवरण देना सम्भव नहीं है । उपर्युक्त ४२ सहायक इंजीनियरों में केवल ८ ऐसे अस्थायी सहायक इंजीनियर हैं जो दो वर्ष से बाढ़ का कार्य कर रहे हैं ।

सिंचाई विभाग में स्थायी पद खाली होने पर ही अस्थायी सहायक इंजीनियरों को स्थायी बनाया जा सकता है । इस समय निर्माण कार्य के लिये बहुत से अस्थायी पद स्वीकृत हैं । निर्माण कार्य पर जितने सहायक इंजीनियरों की आवश्यकता होती है उतनी, कार्य समाप्त होने पर उन कार्यों के रखरखाव के लिये नहीं होती । अतः केवल उतने ही पद स्थायी किये जाते हैं जिनकी रखरखाव के लिये आवश्यकता होती है । इस कारण विभाग में बहुत से सहायक इंजीनियर अस्थायी हैं जिनमें बाढ़ के कार्य करने वाले सहायक इंजीनियर भी सम्मिलित हैं ।

गोंडा जिले में नलकूपों से सिंचाई तथा स्टार्टर की चोरी

*४४—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में सन् १९५६ से २० जुलाई, १९५७ तक नलकूप द्वारा (डिवीजन गोंडा तथा डिवीजन बहराइच) कितने एकड़ खेतों की सिंचाई हुई और कितने स्टार्टर की चोरी हुई है ? नलकूप का नाम तथा चोरी का पता चला कि नहीं इसका पूरा विवरण क्या सरकार मेज पर रखेगी ?

श्री राममूर्ति—१९५६ से २० जुलाई, १९५७ तक गोंडा जिला में बहराइच डिवीजन और गोंडा डिवीजन के अन्तर्गत क्रमशः ८५८ एकड़ और ६,६२४ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है। १२ स्टार्टर चोरी गये जिनका ब्योरा इस प्रकार है :—

बिस्वांगनेशपुर	नलकूप	नम्बर	२९
साहपुर	,,	,,	२५
बिलवा बहुता	,,	,,	२६
बैजपुर	,,	,,	२७
गोवरिया	,,	,,	२३
महादेव	,,	,,	३०
इंटिया ठोक	,,	,,	१
आइयाह	,,	,,	२०

खरगपुर नलकूप नम्बर २, पारासराए नलकूप नम्बर ३१, बिसुनागा नलकूप नम्बर५९, डोमरियाडीह नलकूप नम्बर १९ स्टार्टर के चोरी का पता नहीं चला। इसकी रिपोर्ट एस० पी० महोदय, गोंडा को की गयी है।

*४५—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में डिवीजन बहराइच में कितने नलकूप चालू हुए हैं और उनको बिजली कहां से दी गयी है और चालू नलकूपों द्वारा कितने एकड़ गन्ने की सिंचाई की गयी है ?

श्री राममूर्ति—बहराइच डिवीजन के अन्तर्गत गोंडा जिले में ४२ नलकूप चालू हुए हैं, २० नलकूपों पर बिजली शुगर फैक्टरी नवाबगंज से दी गयी है, बाकी नलकूप डीजल इन्जन से चले हैं।

इन चालू नलकूपों द्वारा ७५० एकड़ गन्ने की सिंचाई हुई है।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में गांवों को ऊंचा करने का काम

*४६—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ विभाग द्वारा तहसील खलीलाबाद के कितने गांव ऊंचे किये गये हैं और अभी कितने गांव बाकी हैं जो ऊंचे नहीं किये गये ?

श्री राममूर्ति—बाढ़ विभाग द्वारा तहसील खलीलाबाद में २४८ जलमग्न ग्रामों की सतह ऊंची की जा चुकी है और अब कोई और गांव ऊंचे नहीं करने हैं।

*४७—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव ऊंचे किये गये हैं उन गांवों के कुएं भी ठीक कर दिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—कुल ४०० कुओं में से ३६० कुएं ठीक कर दिये गये हैं और बाकी को ऊंचा करने का कार्य चालू है।

बस्ती जिले में घाघरा के किनारे बनने वाला बांध

*४८---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बांध घाघरा के किनारे जिला बस्ती में बनने के लिये स्वीकृत है उस पर कब से काम शुरू होगा ?

श्री राममूर्ति---इस कार्य को शुरू करने की कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है।

वाराणसी जिले में चन्द्रप्रभा एवं नौगढ़ बांधों में ली गयी भूमि का मुआवजा

*४९---श्री रामलखन (जिला वाराणसी)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रप्रभा एवं नौगढ़ बांध, जिला वाराणसी के अन्दर अलग-अलग किसानों की कितनी एकड़ भूमि ली गयी ?

श्री राममूर्ति---७२२.१४५ एकड़ जमीन स्थायी रूप से ली गयी है।

चन्द्र प्रभा	..	..	..	१८०.४३५
नौगढ़		..	..	५४१.७१
			कुल योग ..	७२२.१४५

*५०---श्री रामलखन---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों बांधों के अन्दर कितने परिवारों को अपनी जमीन छोड़ कर अन्यत्र बसना पड़ा और उनके बसने तथा जोतने की जमीन का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री राममूर्ति---चन्द्रप्रभा डैम के २९ परिवारों को अन्यत्र बसना पड़ा। उजड़े परिवारों को पास के जंगलात विभाग की उतनी ही जमीन बिना मूल्य मकान बनाने तथा खेती के लिये दे दी गयी है जितनी जमीन उनकी ली गयी थी।

१६५ परिवारों के नौगढ़ डैम के जिनकी खेती योग्य भूमि ली गयी है उनको उतनी ही भूमि पास के जंगलात विभाग से लेकर खेती तथा मकान बनाने के लिये बिना मूल्य दे दी गयी है।

*५१---श्री रामलखन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भूमि किसानों की बांध के अन्दर ली गयी, उसका मुआवजा किसानों को दे दिया गया? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

श्री राममूर्ति---दोनों बांधों के हेतु ली गयी भूमि का कुछ मुआवजा दिया जा चुका है।

मुआवजे की दर भूमिधर को मालगुजारी का ४० गुना और सीरदार को मालगुजारी का २० गुना है।

बलिया-बैरिया बांध में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलना

*५२---श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि बलिया-बैरिया बांध में जिन किसानों की जमीन ली गयी है उन्हें अब तक हर्जाना नहीं दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---यह सत्य है कि बलिया-बैरिया बांध के निर्माण-हेतु प्राप्त की गयी भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। दोनों पार्टियों में खेतों के लिये रुपया देने के प्रश्नपर मतभेद होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका।

*५३--श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सत्य है कि जिस जमीन को बलिया-बैरिया बांध के लिये सरकार ने ले लिया है उस जमीन की मालगुजारी अब तक किसानों को देनी पड़ती है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--यह सत्य है कि बलिया-बैरिया बांध के निर्माण हेतु ली गयी भूमि का भूमि-कर किसानों द्वारा ही अब तक दिया जा रहा है यह सोचा गया था कि माह जुलाई, ५६ में उनकी भूमि के मुआवजे को दे दिया जाय किन्तु लैन्ड एक्वीजिशन आफ़िसर द्वारा दिये जाने वाले धन पर मतभेद हो जाने के कारण यह रुपया अभी तक नहीं दिया जा सका।

दोहरीघाट नहर में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलना

*५४--श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सत्य है कि दोहरीघाट नहर के लिये जिन किसानों की जमीन ली गयी है उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? अगर ऐसा है, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

इटावा जिले में रजबहा कन्सुआ से जौहार तथा रसूलाबाद रजबहे निकालने का विचार

*५५--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधूना तहसील (इटावा) में रजबहा कन्सुआ या नहर गंगा डिवीजन कानपुर से कोई रजबहा या माइनर निकालने पर सरकार विचार कर रही है, जो कानपुर जिले में देरापुर तहसील तक पानी देगा ?

श्री राममूर्ति--जी हां। रजबहा कन्सुआ से रजबहा जौहार तथा रजबहा रसूलाबाद के निकालने का प्रश्न विचाराधीन है। प्रस्तावित रजबहा जौहार द्वारा कानपुर जिले में देरापुर तहसील तक पानी दिया जायगा।

इटावा जिले की कोआपटरेटिव ट्यूबवेल सोसाइटियों द्वारा सरकार को ट्यूबवेल देने की प्रार्थना

*५६--श्री गजेन्द्र सिंह--क्या इटावा जिले के कोआपरेटिव ट्यूबवेलों की सोसाइटिथों ने अपने ट्यूबवेल सरकार को देने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

श्री राममूर्ति--इटावा जिले की कुल २१ सहकारी नलकूप समितियों में से १९ ने अपने नलकूप सरकार को देने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

जौनपुर जिले में गूजरताल तथा रोहाताल के विकास की योजना

*५७--श्री नागेश्वर प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में शाहगंज के गूजरताल तथा मछलीशहर के रोहाताल के विकास के लिये क्या योजना बनाई गयी है ?

श्री राममूर्ति--गुजर ताल के विकास के लिये लगभग ९,०६८ रुपये की लागत से ३ मील साढ़े छः फर्लांग का एक नाला बनाया गया है। इस नाले से लगभग दो हजार एकड़ भूमि लाभान्वित होगी। रोहाताल के विकास के लिये अभी कोई योजना नहीं बनायी गयी है। यह निर्णय करने के लिये कि इस ताल का विकास सम्भव या आवश्यक है या नहीं, इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

बस्ती जिले में बानगंगा नहर से सिंचाई की दर

*५८--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बानगंगा नहर बस्ती में किस रेट से खरीफ और रबी की सिंचाई प्रति एकड़ वसूल की जाती है ?

श्री राममूर्ति---बान गंगा नहर से खरीफ व रबी की सिंचाई निम्न लिखित दरों पर होती है :---

फसल	रुपये प्रति एकड़	
	डाल	ोड़
१---गन्ना	३२	१६
२---धान, शाक, बाग, प्रति फसल सिंघाड़ा तथा पोस्त ..	१४	७
३---तम्बाकू	१६	८
४---गेहूं, जौ तथा अन्य जौ या गेहूं मिश्रित फसलें ..	१२	३ ६
५---कपास	४/८	२/
६---चारे की फसल	३	१/८
७---हरी खाद	२	१ ८
८---अन्य रबी की फसलें	६	४/८
९---अन्य खरीफ की फसलें	७	३/८

*५९---श्री प्रभुदयाल---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बानगंगा नहर को किस आधार पर 'ए' क्लास की नहरों की श्रेणी में रखा गया है ?

श्री राममूर्ति---अनुसूची १ में वह नहरें रक्खी गयी हैं जिनमें पानी सदैव रहता है। बानगंगा नहर में भी पानी की फसल के कुछ समय को छोड़ कर सदैव पानी रहता है, इसी कारण इस नहर को प्रथम अनुसूची में रक्खा गया है।

*६०---श्री प्रभुदयाल---क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बानगंगा नहर में साल के किन-किन महीनों में बिल्कुल पानी नहीं रहता ? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि नहर की लाइनों से खेतों में बराबर पानी नहीं चढ़ता ?

श्री राममूर्ति---बानगंगा नदी का डिस्चार्ज अप्रैल से जून के मध्य तक इतना कम हो जाता है कि नहर हर साल इस समय में नहीं चलाई जा सकती। पहले रबी की फसल में नहर का पानी सब खेतों में स्वयं नहीं बह सकता था, क्योंकि नहर के पानी का उच्चतम स्तर जमीन के स्तर से आमतौर पर नीचे था परन्तु अब नहर का फुल सप्लाई लेविल (full supply level) ऊंचा कर दिया गया है और खेतों में पानी जाने में कोई बाधा नहीं होगी।

मथुरा जिले में कुरसण्डा सादाबाद पलेवा को रजबहा में बदलने का विचार

*६१---श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजबहा कुरसन्डा सादाबाद, जिला मथुरा को सरकार ने सिंचाई के लिये पलेवा रखा है ?

श्री राममूर्ति---जी हां।

*६२---श्री टीकाराम पुजारी---क्या नहर से पानी मिलने में सुविधा के लिये सरकार उसको पलेवा से रजबहा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—जी हां। रामगंगा बांध के पूर्ण हो जाने पर जब माट शाखा में उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा तब इस पलेवा नहर को नियमित रजबहा में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

बलिया जिले में बाढ़ तथा सिंचाई के कामों पर व्यय

*६३—श्री रामलक्षण तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष में बाढ़ से बचाव तथा सिंचाई की सुविधा प्रदान करने में बलिया जिले में कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—बाढ़ से सुरक्षा तथा सिंचाई सुविधा प्रदान करने में बलिया जिले में १९५६–५७ में कुल ८९,३०,८६१ रुपया व्यय हुआ।

*६४—श्री रामलक्षण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में इन दोनों विभागों के संचालन में स्थापना (establishment) पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—बलिया जिले में इन कार्य संभालने वाले डिवीजनों पर कुल ६,२६,७८५ रुपया व्यय हुआ।

*६५—श्री रामलक्षण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन विभागों के कर्मचारियों के मार्ग व्यय, भत्ते आदि पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—मार्ग व्यय भत्ते पर कुल १,०७,९२० रुपया व्यय हुआ।

जिलाधीश देहरादून को दून कैनाल की रामबाग शाख से सिंचाई के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*६६—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में दूनकैनाल, फतेहपुर, शाख रामबाग से सिंचाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र ४–७–५७ को वहां के रहने वालों ने जिलाधीश देहरादून को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—जी हां। प्रार्थना-पत्र जिलाधीश ने सब-डिविजनल आफिसर (Sub-Divisional officer) सिंचाई विभाग को उचित कार्यवाही के लिये भेजा था। उक्त प्रार्थना-पत्र पर जो कार्यवाही की गयी उसका ब्योरा माननीय सदस्य के मेज पर रक्खा गया है। प्रार्थियों को उनकी मांगों के संबंध में आवश्यक सूचना भेज दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' /आगे पृष्ठ ७९ पर।)

चेम्बर आफ कामर्स, हापुड़ से अन्न पर बिक्री-कर की कथित वसूली

*६७—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ के मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स से अन्न पर सेल्स टैक्स के रूप में १९४८–४९ और १९४९–५० में कितना धन प्राप्त किया गया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने इस सम्बन्ध में जो पूछतांछ की है उससे यह पता चला है कि "मर्चेंट चेम्बर आफ़ कामर्स" नाम का कोई एसोसियेशन हापुड़ में नहीं है यद्यपि हापुड़ में 'चेम्बर आफ कामर्स' नाम का एक एसोसियेशन है। १९४८–४९ या १९४९–५० में इस एसोसिएशन से खाद्यान्न पर कोई बिक्री-कर वसूल नहीं किया गया।

बाढ़ डिवीजन गाजीपुर में देवकठिया गांव से शिकायतें

*६८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार से बाढ़ डिवीजन, गाजीपुर के सिलसिले में देवकठिया वगैरह गांवों में जो काम हो रहे हैं उनमें गबन, गड़बड़ी वगैरह की कोई शिकायत मई, सन् १९५७ में की गई ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*६९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार उपर्युक्त शिकायत को सदन की मेज पर रखने की और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—११ मई, १९५७ को जो लिखित शिकायतें प्राप्त हुईं, उनकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। इन शिकायतों की विस्तारपूर्वक जांच की गयी परन्तु वे सब निर्मूल सिद्ध हुईं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८० पर)

*७०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि सिंचाई मंत्री ने ११ मई, १९५७ को उपर्युक्त देवकठिया गांव की शिकायत की जांच का आदेश दिया था, फिर भी वहां काम इसके बाद १२ मई, १९५७ से मिट्टी पटाई से शुरू कराया गया ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, देवकठिया ग्राम को ऊंचा करने का शेष कार्य शिकायतों की जांच होने के बाद किया गया।

रिहण्ड डैम के इंजीनियरों की सरकारी गाड़ियों पर व्यय

*७१—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९५६ में रिहन्ड डैम (Rehand Da n) के इंजीनियरों के पास कितनी-कितनी सरकारी गाड़ियां थीं ? उस वर्ष में उन पर कितना रुपया पेट्रोल, मरम्मत और रख-रखाव में व्यय हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सूचना इस प्रकार है :—

विद्युत् विभाग	संख्या	पेट्रोल पर व्यय	रख-रखाव तथा मरम्मत पर व्यय
		रु०	रु०
छोटी गाड़ियां	२१	१८,८००	१२,०००
लारियां	२२	१७,३००	२५,०००
	४३	३६,१००	३७,०००
सिंचाई विभाग			
गाड़ियां	३३	५१,७१०	४६,९१८
कुल जोड़ ..	७६	८७,८१०	८३,९१८

इंजीनियरों के लिये विशेषतः कोई गाड़ियां नहीं हैं। यह गाड़ियां रिहन्द डैम के काम पर सब प्रकार के सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

अतारांकित प्रश्न

खीरी जिले में नलकूपों में ली गयी ज़मीन का मुआवजा

१—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के किन-किन गांवों में ट्यूब-वेल की सड़कें गलियारे होते हुए भी किसानों के खेतों से निकाली गयी हैं और किस-किस गांव के किसानों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री राममूर्ति—जिला खीरी के उन गांवों का नाम जिनमें गलियारे होते हुए भी ट्यूब-वेल की सड़कें किसानों के खेतों से निकाली गयीं, संलग्न *तालिका में दिया गया है। जिन गांवों के किसानों को मुआवजा मिला है उनका भी इस में उल्लेख है।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री जमशेद अली खां के निधन पर शोकोद्गार

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने नवाब बागपत, श्री जमशेद अली खां की मृत्यु का समाचार पढ़ा होगा। श्री जमशेद अली खां इस सदन के सन् १९२१ से पिछले कुछ वर्ष पहले तक सदस्य रहे हैं। यों तो इस वक्त, यहां सदन में उस वक्त के कम ही लोग हैं लेकिन फिर भी मेरा ऐसा विश्वास है कि कुछ सदस्य यहां पर ऐसे हैं कि जिनको उनके साथ काम करने का मौका मिला होगा। श्री जमशेद अली खां उस जमाने में कांग्रेस में नहीं थे लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग उन के सम्पर्क में आये थे वह इस बात से परिचित हैं कि वह बहुत ही पक्के राष्ट्रवादी विचार के आदमी थे और एक अच्छे नेशनलिस्ट थे। एक ऐसे जमाने में जब कि दुर्भाग्य से हमारे सूबे में साम्प्रदायिकता, कम्युनलिज्म की अच्छी खासी हवा बह रही थी, उन्होंने अपने निजी व्यवहार में कभी उस चीज को नहीं आने दिया। वह जमींदार थे और उस जमाने के जमींदार दोस्तों के जो राजनीतिक विचार थे और जो राजनीतिक कार्यक्रम था, निश्चय ही उसके अनुसार वह भी काम करते थे, परन्तु हम सभी लोग उनको एक अच्छे नेशनलिस्ट, एक अच्छे मित्र और एक बहुत ही शरीफ इंसान की दृष्टि से देखते थे। लेजिस्लेचर की सदस्यता से अलग होने के बाद भी उन्होंने अपनी उस वाजअदारी को बराबर निभाया। मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके निधन से पुराने जमाने की जो एक तहजीब थी, उस जमाने में जो एक संस्कृति थी, उसका एक अच्छा नुमाइन्दा इस प्रदेश से उठ गया। जो लोग भी उनके मित्र थे और उनसे परिचित थे सभी को उनके निधन से दुख पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि आप हम लोगों की समवेदना उनके कुटुम्बियों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठकर ही बोलूं।

श्री अध्यक्ष—बार बार इसके पूछने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिये आप को मैं बैठकर बोलने की इजाजत दिये देता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह—जब तक पैर में तकलीफ है तभी तक .....

श्री अध्यक्ष—हमेशा से मेरा मतलब यह है कि चाहे आप का पैर भी अच्छा हो जाय फिर भी आप चाहें तो बैठकर बोल सकते हैं।

---

*तालिका छापी नहीं गयी।

†वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं आपकी इस कृतज्ञता के लिये बहुत मशकूर हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जो उद्गार माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय जमशेद अली खां साहब की मृत्यु पर प्रकट किये ह उनसे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं । श्री जमशेद अली खां साहब इस प्रदेश के एक प्रमुख नागरिक थे । बड़े जमींदार होने के साथ-साथ सदा से समाज सेवा में उनकी रुचि थी और वह केवल अपने जिले के ही नहीं बल्कि सारे सूबे की सेवा में सारे जीवन लगे रहे । माननीय नेता सदन ने यह बताया है कि सन् १९२१ में जब इस प्रदेश की लेजिस्लेटिव कौंसिल का विस्तृत रूप हुआ, उस समय से और संभवतः सन् १९५२ तक लगातार वह उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव कौंसिल या लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य रहे । मुझे भी इस सदन के एक सेवक की हैसियत से कुछ समय उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । श्री जमशेद अली खां साहब की राय हमेशा एक सुलझी हुई राय होती थी और जो भी प्रश्न उनसे किया जाता था, जिस प्रश्न पर भी उनकी राय मांगी जाती थी उस पर वह निष्पक्षता के साथ अपनी राय प्रकट करते थे । वह बहुत मजबूत राय के, दृढ़ संकल्प के आदमी थे और जो अपनी राय रखते थे उस पर अटल रहने के साथ-साथ जो उनके विरोध में था उससे कोई मनमुटाव नहीं पैदा होने देते थे । अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि इसी सदन में जब जमींदारी-विनाश कानून का प्रश्न उपस्थित किया गया, प्रत्यक्ष है कि वह उन लोगों में थे जो यह चाहते थे कि जमींदारी का विनाश नहीं होना चाहिये । लेकिन उन लोगों से जो यह समझते थे कि जमींदारी का विनाश देश और समाज के हित में है, उनके बीच में और उनमें कभी कोई कटुता नहीं पैदा होने दी, बल्कि हमेशा वह इस बात का प्रयत्न करते रहे कि देश के हित में ही उस प्रश्न पर विचार किया जाय ।

जो काम वह करते थे उसमें उनका अपना एक निराला ढंग था । वह काफी स्वस्थ थे । यह गुमान नहीं था कि वह इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जायेंगे ।

मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से जो विचार नेता सदन ने प्रगट किये हैं उनसे पुनः सहमति प्रकट करता हूं और मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि यह सूचना उनके परिवार के पास भेजने की कृपा करें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नवाब बागपत, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, यहां के, धारा सभा के बहुत ही पुराने मेम्बरों में से थे । १९२१ से लेकर १९५२ तक वह रहे । १९२४ से मुझे भी उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब स्वराज्य पार्टी की ओर से हम लोग चुनकर तत्कालीन लेजिस्लेटिव कौंसिल में आये थे ।

नवाब बागपत जमींदार थे, लेकिन अच्छे जमींदार थे । नवाब बागपत मुसलमान थे और अच्छे मुसलमान थे, नवाब बागपत राष्ट्रीय विचारों के थे और अच्छे राष्ट्रीय विचारों के थे ।

जहां तक राजनीति का संबंध है, हमारा और उनका लगभग सदैव ही, जीवन भर विरोध ही रहा । १९२४ और १९२६ में भी जबकि नया टेनेंसी ऐक्ट बना था, जिसमें प्रदेश के किसानों को बहुत से अधिकार दिये गये थे, जिसमें हीनहयाती मौरूसी के अधिकार विशेष रूप से मिले थे उस समय भी वे हमारे विरोध में थे । बाद को १९५२ तक हमारा उनका बहुधा विरोध ही रहा । लेकिन जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है, वह मिजाज के इतने अच्छे थे और इतने मिलनसार थे, मनुष्य की हैसियत से इतने सज्जन थे कि वह विरोध को अथवा कटुता को कभी वैयक्तिक मित्रता के बीच में नहीं आने देते थे ।

उनके प्रति जो भाव माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल ने प्रकट किये हैं उनसे मैं अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करता हूं और अपनी और अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी पूर्ण समवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दी जाय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, नवाब जमशेद अली खां के निधन पर अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक प्रकट करता हूं और आप से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारा यह शोक उनके परिवार तक पहुंचा दिया जाय।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नवाब जमशेद अली खां के निधन पर मैं अपनी ओर से और जनसंघ की ओर से शोक प्रकट करता हूं और माननीय नेता सदन ने जो बातें कही हैं उनसे एसोशिएट करते हुए, श्रीमन् से निवेदन करता हूं कि हम सबकी समवेदना उस संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा की जाय।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नवाब जमशेद अली खां साहब के निधन पर जो भावनायें माननीय नेता सदन ने या विरोधी दल के नेताओं ने प्रकट की हैं, मैं उनसे अपनी पूरी सहमति प्रकट करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे और हमारी पार्टी के इन भावों को उनके परिवार तक पहुंचा देंगे। राष्ट्रीय विचार के मुसलमान होने के नाते मैं उनका पूर्ण आदर करता रहा हूं और अब भी करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री जमशेद अली खां—नवाब साहब बागपत, जिनके अचानक निधन पर सभी को, विशेष कर के प्रांत के लोगों को दुख हुआ है, एक बहुत सज्जन और हरदिल अजीज व्यक्तियों में से थे। मेरा उनका सम्पर्क सन् १९३६ में, जब मैं पहली बफा चुन कर आया, तब उनसे हुआ और तब से ही मैं यह कह सकता हूं कि उनके प्रति मेरी इज्जत बढ़ी, क्योंकि जिन बातों के ऊपर इस सदन में वे अपने विचार प्रकट करते थे वे बिलकुल स्वतंत्रतापूर्वक और जो उनके सच्चे विचार रहते थे, वे ही प्रकट करते थे। मैंने कभी उनको किसी पर क्रोधित होते हुए नहीं देखा। बड़े प्रेम से जवाब भी दिया करते थे, चाहे कितनी भी उत्तेजना क्यों न हो। जैसे हमारे पुराने बड़े लोगों में यह गुण रहता था कि सब लोगों के साथ मिल कर काम करना—और यही हमारी संस्कृति की निशानी थी—उसी संस्कृति के वे अच्छे प्रतीक थे। इसलिये हम सब को उनके निधन पर दुख होना स्वाभाविक है। वे देश का तथा सामाजिक कार्य हर एक के साथ सहयोग देकर किया करते थे, अपने जिले में भी और प्रांत के सामाजिक कार्यों में भी। इसलिये जो नेता सदन और अन्य पार्टियों के नेताओं ने विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और जो प्रस्ताव आप पास करेंगे, समवेदना का, वह मैं उनके संतप्त परिवार को भेज दूंगा।

अब हम २ मिनट के लिये उनकी आत्मा की शांति के लिये खड़े होकर प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

सदन के बाहर पुलिस की तैनाती पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन के बाहर अभी काफी बड़ी तादाद में, सदन के पास ही, ३६ नम्बर के कमरे में सैकड़ों लाठीधारी पुलिस के जवान खड़े हैं। मैं समझता हूं यह सदन के तथा सदस्यों के अपमान की बात है। यहां विधान सभा के लोग हैं, परम्परा के खिलाफ़ सदन के चारों तरफ लाठीधारी पुलिस की क्या आवश्यकता है? मैं समझता हूं आप इसकी निगरानी करें और उनको यहां से बाहर जाने का हुक्म दें।

श्री अध्यक्ष—(मुख्य मंत्री से) आपको इस विषय में कोई सूचना है कि क्या कारण है इसका?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम है कोई डेढ़, दो हजार आदमी किसी किस्म का डिमान्सट्रेशन करने के लिये आने वाले थे और ऐसे मौके पर जो मामूली सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हुआ करता है वह किया गया है। इसको कोई जानता नहीं कि क्या सूरत पैदा हो सकती है और एकाध बार ऐसी सूरत पैदा भी हो गयी है। तो जो नार्मल सिक्योरिटी का इन्तजाम है उससे .....

श्री अध्यक्ष—सदन के सदस्यों से तो कोई खतरा नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—बाहर के लोगों से है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि अगर बाहर लोग चले गये हों तो फिर इनकी यहां उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहेगी और उन लोगों से मैं कह दूंगा कि वह चले जायं। बाहर से कुछ लोग अन्दर घुसने का प्रयत्न करते रहे हों तब तो वह रहेंगे क्योंकि सबकी हिफाजत करने का कार्य है और उसमें सदन के सदस्यों की भी हिफाजत करने का काम है। एकाध दफा मैंने खुद देखा है कुछ लोग आये थे और आदरणीय सदन के अन्दर भी घुस आये थे और फिर सदन को उठना पड़ा था। तो सदन की हिफाजत करना पुलिस का कार्य है और इसकी मैं इजाजत दूंगा। लेकिन अगर कोई बाहर खतरा जब नहीं है . . .।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बाहर चारों तरफ से गेट लगा हुआ है और सब गेट बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष—इसकी जिम्मेदारी तो आपकी नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी है।

श्री राजनारायण—मैं भुक्तभोगी हूं, श्रीमन्, इसलिये .....

श्री अध्यक्ष—आपके लिये कोई खतरा नहीं है।

'योजना' पत्रिका के वितरण पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, यह एक "योजना" पत्रिका इस सदन की मेज पर वितरित की गयी है। यह मैं जानना चाहता हूं कि यह आपकी आज्ञा से है या किस व्यक्ति ने की है और उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह हमारे दफ्तर की तरफ से पेश की गयी है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की है और यह आती है और हर माननीय सदस्य की मेज के ऊपर रख दी जाती है कि जिसमें उनको उसकी सूचना मिल जाय। वह सरकारी है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसके विरोध में अगर हम कुछ लिख करके दें, सदस्यों की जानकारी के लिये, तो कृपया उसको भी बंटवाने का कष्ट करें क्योंकि यह प्रचार है कांग्रेस पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है, उसका अगेंस्ट दी नेशन, अगेंस्ट दी पीपुल और अगेंस्ट दी लेबर।

श्री अध्यक्ष—खैर, यह आप अपनी राय रख सकते हैं लेकिन सरकार जो है वह किसी भी पार्टी की क्यों न हो वह सरकार सबकी समझी जाती है। वह सरकार किसी न किसी पार्टी की तो होगी ही लेकिन सबकी समझी जायगी।

एक सदस्य—मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी टेबिल पर वह न रखी जाय।

श्री राजनारायण—जो गुमराह होना चाहते हों वह अपने पर रखवा लें।

डाक्टर राममनोहर लोहिया को कुर्सी से बांध कर अदालत में ले जाने के विषय पर दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज १६ कामरोको प्रस्ताव हैं। तो मैं एक एक करके उनके ऊपर अपना निर्णय देता हूं।

श्री राजनारायण जी ने एक कामरोको प्रस्ताव यह भेजा है कि—

"३० नवम्बर सन् १९५७ को बिक्री-कर विरोधी सत्याग्रह के सम्बंध में जिला जेल लखनऊ में बन्द डाक्टर राममनोहर लोहिया को जुडीशल मैजिस्ट्रेट, श्री जायसवाल के आदेश से जिस प्रकार जबरदस्ती कुर्सी से बांध कर तथाकथित अदालत में पेश किया गया और जबरदस्ती उनके अंगूठे का निशान लिया गया, उसने मानव के मौलिक नागरिक अधिकार तथा शांति व्यवस्था के लिये गम्भीर खतरा पैदा करते हुए प्रदेश का सारा वातावरण क्षुब्ध कर दिया है।

अतः यह सदन उपर्युक्त जनहित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

[अब इसी विषय पर श्री मलिखान सिंह जी का भी एक कामरोको प्रस्ताव है—

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि डाक्टर राममनोहर लोहिया पर कुर्सी में बांधकर खींचे जाने जैसे अनैतिक एवं जनाधिकारों के विपरीत अमानुषिक तथा निन्दनीय व्यवहार द्वारा उत्पन्न क्षोभ एवं विषाक्त वातावरण पर विचार करने के लिये आज का कार्य स्थगित किया जाय।"

यह जो चीज है, वह संबंध रखती है उस मुकदमे से जो कि मैजिस्ट्रेट के यहां चल रहा था। अगर कोई ज्यादती हुई या कुछ हुआ तो उसके लिये अदालत ही निर्णय दे सकती है और जब तक अदालत में कोई मामला मौजूद है तब तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। दूसरे अदालत के किसी गलत फैसले के ऊपर भी यह इस आदरणीय सदन की प्रथा नहीं है कि उसके ऊपर कोई टीका-टिप्पणी हम करें। इसलिये यह विषय कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—एक निवेदन मुझे करना है।

श्री अध्यक्ष—पहले मैं एक एक करके कामरोको प्रस्तावों को ले लूं। मुझे और भी लेने हैं।

श्री झारखंडे राय—दूसरा जो आपने कहा उसमें ....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। जब अध्यक्ष महोदय खड़े हैं तो कोई भी सदस्य खड़ा नहीं रह सकता।

श्री अध्यक्ष—आप भी कृपा करके बैठें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—दूसरे में, श्रीमन्, राममनोहर लोहिया का नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मलिखान सिंह जी का मैं कह रहा था कि वे दोनों एक ही तरह के हैं।

३० नवम्बर, १९५७ को लखनऊ जेल में कतिपय बन्दियों पर लाठी-चार्ज आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह कामरोको प्रस्ताव राजनारायण जी का है:—

"गत ३० नवम्बर, सन् १९५७ को लखनऊ जेल में बुरी तरह लाठी चार्ज हुआ, सर्वश्री रामसागर मिश्र, कृष्णनाथ शर्मा, कृष्णपाल सिंह, अंगनू प्रसाद, नीलकंठ, रामप्रसाद, महादेव, महाबीर, बाबूलाल, रामसागर वर्मा, श्यामानन्द, रामबड़ाई, रामअवध तथा अन्य बंदियों को लाठी, घूंसा, डंडा से मार-मार कर जबरदस्ती उठा उठा कर उन्हें बैरकों में फेंका गया।"

लेकिन आपने इन सबके पहले "श्री" कहीं नहीं लगाया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—"सर्वश्री" लगा दिया जाता है तो वह सब पर चलता है।

श्री अध्यक्ष—अच्छा "सर्वश्री" लिखा हुआ है। मैंने समझा "सर्वश्री" रामसागर मिश्र के पहले लिखकर आपने उनको अधिक इज्जत देनी चाही।

श्री राजनारायण—अब आप मेरी बातों को और उदारता के साथ पढ़िये।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है। आगे इस प्रकार है:—

"कौन कहां रहता है बिना इसका ख्याल किये हुए मनमाने ढंग पर बन्द करके सामान लूट लिया गया।

यह उपर्युक्त कार्य जिस निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा बर्बर ढंग पर किया गया उसने जनतांत्रिक व्यवस्था की जड़ को झकझोर कर हिला दिया है जिससे प्रदेश का प्रत्येक शोषित, पीड़ित, कम्पायमान हो गया है।

अतः यह सदन उपर्युक्त विषम तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

अब मैं राजनारायण जी से इसमें यह पूछना चाहूंगा कि इसमें कहीं भी सरकार का इससे क्या संबंध है इसका जिक्र नहीं किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार का इससे क्या संबंध है?

श्री राजनारायण—श्रीमान् जी, ३० नवम्बर, १९५७ को लाठी चार्ज हुआ उसका सरकार से क्या संबंध है, इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि सरकार का इससे पूरा पूरा और सीधा सीधा संबंध है। डाक्टर राममनोहर लोहिया और उस जेल में जितने बन्दी हैं, २४ तारीख को जब से कानपुर जेल से वे छूटे हैं निरन्तर कह रहे हैं और सुपरिंटेंडेंट बराबर कहते रहे हैं कि यह ऊपर का मामला है, सरकार का मामला है। सरकार का जो हुक्म होता है उसके मुताबिक हम काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने यह बात प्रस्ताव में नहीं दी, प्रस्ताव में सरकार का कोई जिक्र आपने किया नहीं।

श्री राजनारायण—यहां लखनऊ जेल है। अगर वहां तमाम लोगों को मार दिया जाय, उठा कर फेंक दिया जाय और सामान लूट लिया जाय तो क्या इससे सरकार का कोई संबंध नहीं है। सरकार का इससे सीधा सीधा संबंध है।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव में तो उसका जिक्र आना चाहिये था।

श्री राजनारायण—इस संबंध में मेरी पूरी बातचीत हो चुकी है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को और गवर्नर महोदय दोनों को लिखा है।

श्री अध्यक्ष—आपने इस बात का भी इस प्रस्ताव में कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री राजनारायण—खत तो लिख ही चुका हूं और ५ तारीख को राज्यपाल महोदय से मुलाकात भी की। उनसे कहा कि इस प्रकार से निरंकुश घटना हुई है। आप उसकी जांच के लिये कोई कमेटी नियुक्त करें और यह भी निवेदन कर दिया था कि सदन ९ तारीख को बैठ रहा है, उससे पूर्व जानकारी करा ली जाय। श्रीमन्, उन्होंने यह कहा कि हम आपका पत्र चीफ मिनिस्टर के पास भेज देंगे और हम अपने कार्यक्रम को जैसा चाहें चलायें। तो जाहिर है कि पूरी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। इसके अलावा श्रीमन्, जहां तक किसी की जान लेने की बात अगर हो जाय ...

श्री अध्यक्ष—बहस तो न कीजिये, मैं तो पूछना चाहता हूं कि यह क्यों नहीं इसमें दर्ज किया गया?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमेशा ऐसा हुआ है कि हमने यह आपको बता दिया है और हमने आपको एक पत्र लिख दिया था कि हम मुख्य मंत्री और राज्यपाल से इस संबंध में कह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं इसको दुरुस्त कर लूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैं जरा सा इसकी सफाई में निवेदन करना चाहता था, पेश्तर इसके कि आप अपना कोई निर्णय दें ...

श्री अध्यक्ष—पहले मैं इसके बारे में जानकारी हासिल कर लूं। मैं टेक्नीकैलिटी में नहीं जाता हूं कि सरकार का संबंध इसमें क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि मुझे उन्होंने जबानी बहुत सी बातें बता दी थीं। मैंने श्री राजनारायण जी से यह पूछा था कि यह चीज इसमें आ जानी चाहिये थी। अब मैं इस प्रस्ताव को दुरुस्त कर लूंगा। सरकार के साथ अगर संबंध आ जाता है और इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो उससे यह ठीक शक्ल में आ जाता है, इसलिये उसका फार्म दुरुस्त कर लूंगा।

अब मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उनको कोई आपत्ति है इस विषय के ऊपर, वह इसको अबंध समझते हैं या बंध समझते हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी जानकारी है जेल में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। हम फैक्ट से ही इन्कार करते हैं। तो जब फैक्ट्स से इन्कार है तो बहस किस बात पर होगी, इसलिये मैं इसको अनुचित समझता हूं। यह अबंध है।

श्री अध्यक्ष—तो आप इसको अनिश्चित समझते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री अध्यक्ष—और किसी को कुछ कहना है?

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, आपने जो यह फरमाया था कि इसमें लिख देना चाहिये था कि सरकार का सीधा संबंध था तो वह बिल्कुल सही है, लेकिन इस सदन में जिस प्रकार कामरोको प्रस्ताव आते हैं और एक प्रस्ताव जो स्वीकार हुआ था उसमें भी, यदि उसको देखा जाय तो सरकार का कोई जिक्र नहीं रखा गया है।

साथ ही जेल के किसी नियम के अनुसार यह जेल के अधिकारियों को हक हासिल नहीं है कि वह किसी भी कैदी को रस्सी से बांध कर या जबरदस्ती कुर्सी पर लाद कर...

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न इस प्रस्ताव से संबंधित नहीं है। आप दूसरी बात पर चले गये। यह तो लाठी चार्ज के सिलसिले में है।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं उसी सिलसिले में अर्ज करता हूं कि इस घटना के सिलसिले में कल मुझे यह अवसर मिला कि मैं लखनऊ की जिला जेल में स्वयं जाऊं और जिन लोगों पर मार पीट हुई, उनसे बातचीत करूं। इस सिलसिले में जो जबरदस्ती की गयी उससे किसी को इनकार नहीं है, जेल के अधिकारियों को नहीं है। मैं अंग्रेजी में दोहराता हूं कि उन्होंने लफ्ज "फोर्स" इस्तेमाल किया। उन्हीं के सामने लोगों ने कहा कि लाठी भी चली, घूंसा भी चला। तो फोर्स इस्तेमाल किया गया, यह मैं अपनी निजी जानकारी से, मान्यवर की सेवा में और इस आदरणीय सदन की सेवा में, अर्ज कर रहा हूं। तो मैं यह भी आप की सेवा में नम्र निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न बड़ा निश्चित भी है, सामयिक भी है। इस घटना के बाद आज ही हम यहां इकट्ठे हुए हैं। साथ ही यह बड़े महत्व का विषय है। इसलिये इसको वैध करार दिया जाय और इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन को स्थगित किया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिलोकी सिंह जी की बात सुनने के बाद तो मैं और भी मजबूर हूं कि इसका विरोध करूं। हममें से कोई आदमी शायद अदालत में मौजूद था या नहीं, लेकिन यहां के सभी अखबारों में अदालत की रिपोर्ट छपी है। उसमें इस बात की चर्चा की गयी थी कि किसी शख्स को जेल के नियमों के अनुसार लाया जा सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट का अंतिम फैसला तो नहीं हुआ है लेकिन एक जज ने अपनी राय दी है कि इस हालत में किसी शख्स को लाया जा सकता है या नहीं....

श्री अध्यक्ष—इसके लिये मैंने उनको रोक दिया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वजह बतलाई गई है और कहा गया है कि उस घटना से इसका संबंध है जिसके लिये माननीय राजनारायण जी ने कहा है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह—यह मैंने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो यह जानना चाहता था कि मैं पहले जानकारी हासिल करूं इसको वैध या अवैध करार देने के लिये। मेरी समझ में यह जो घटना है इसके बारे में निश्चित है कि कुछ लोगों ने और विरोधी दल के नेता ने जेल में जाकर जानकारी ली है और वह समझते हैं कि इस प्रकार की घटना हुई। कोई फोर्स यूज हुआ, कोई कहता है लाठी चार्ज हुआ। इसलिए यह महत्व का प्रश्न हो जाता है। अब निश्चित तौर पर क्या चीज है, यह कहना मुश्किल होता है और यह हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहां तक सरकार की जानकारी का सवाल है तो कैबिनेट के किसी मेम्बर ने वहां जाकर जानकारी हासिल करके यह बात नहीं कही कि यह घटना नहीं हुई, बल्कि उनके पास रिपोर्ट किसी अफसर की है। इसके बरअक्स माननीय सदस्यों और विरोधी दल के नेता ने प्रत्यक्ष वहां जाकर जानकारी हासिल की। इसलिये इसको मान लेना चाहिये कि वहां कुछ इस प्रकार की घटना हुई। जहां तक कामरोको प्रस्ताव की निश्चितता का संबंध है, इसको वैध करार देने या अवैध करार देने के बारे में, तो मैं इसको निश्चित करार देता हूं और महत्वपूर्ण भी।

अब एक प्रश्न रहता है, अर्जेंसी का, तत्काल प्रस्ताव को सदन के सम्मुख आना चाहिये या नहीं। इसके लिये सदन में दो मिश्र रायें हो सकती हैं और किस ढंग से इस प्रश्न को विचार में लिया जा सकता है, इस सम्बन्ध में कुछ लोग कह सकते हैं कि इस पर आज ही विचार करना चाहिये। मैं इस बात को सदन के निर्णय पर छोड़ता हूं। मैं इस को वैध करार दे कर राजनारायण जी से कहूंगा कि वह इस पर विचार करने के लिये सदन से अनुमति प्राप्त करें।

इसमें एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोहिया जी के साथ मैजिस्ट्रेट के आर्डर से जो व्यवहार हुआ, उसकी चर्चा, अगर इसको स्वीकार भी कर लें, तब भी बहस में नहीं आयगी। मैजिस्ट्रेट ने गलत किया, सही किया, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। लाठी चार्ज हुआ या लूटमार हुई वगैरह पर माननीय सदस्य चर्चा कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आयन्दा ऐसी चीज न हो। लेकिन मैजिस्ट्रेट के किसी आर्डर पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप के द्वारा आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ३० नवम्बर, १९५७ को लखनऊ जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के ऊपर जिस ढंग से लाठी चार्ज किया गया है, यह निश्चित है कि वह प्रत्येक कानून प्रत्येक नियम और संविधान के विरुद्ध है.....

श्री अध्यक्ष—आप इसके मैरिट्स में न जाइये, आप इजाजत मांग लीजिये।

श्री राजनारायण—मैं माननीय सदस्यों की सेवा में यह भी बतलाऊंगा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है। हमारे पास पूरी रिपोर्ट है २१ आदमियों....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप उस समय कहिये, जब बहस की अनुमति होकर बहस प्रारम्भ हो।

*श्री राजनारायण—इसलिये बतलाना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य समझ लें कि हमारे पास कितना मैटर है। यहां के सिविल सर्जन और असिस्टेंट सिविल सर्जन ने वहां जाकर जांच की है। उनकी यह रिपोर्ट है। उन्होंने ब्लन्ट वेपन कहा है और दो दिन के बाद जाकर जांच की है और पांच पांच इंच लम्बे घाव बताये हैं। इसलिये यह इतना अर्जेंट और महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर इस सदन के सम्मानित सदस्यों को हमारे इस मत का होना चाहिये कि आज इस पर विचार हो। इसलिये आप के द्वारा मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस पक्ष में अपनी सम्मति दें।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को विरोध है ?

*वित मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, मैं, जो इजाजत मेरे दोस्त ने मांगी है, उसकी मुखालिफत के लिए खड़ा हुआ हूं। जो कुछ इस मामले के मुताल्लिक इस सदन में कहा गया मैंने उसको सुना और यह भी मालूम हुआ कि गैर जरूरी तकरीरें भी हुई। मैं भी उसकी तकलीद कर लूंगा जो हुआ है यहां, इस हाउस में। मगर जनाब के इरशाद के बाद ही मुझको इसका मौका है। मैं समझता हूं कि मैं जनाब के जरिये से इस सदन से यह दरख्वास्त कर सकता हूं कि इजाजत न दी जाय और उसके लिये अपनी दलीलें भी पेश कर सकता हूं। अब वह तकरीर के जरिये से न हो, ग्रामोफोन के जरिये से हो या और जो कुछ भी हो सकता हो दुनिया में उसके जरिये से हो, वह मैं नहीं जानता। लेकिन मुझको यह हक है कि मैं हाउस से आपके जरिये से यह अर्ज करूं कि बात ऐसी नहीं है कि जिसको इस ऐडजर्नमेंट मोशन के जरिये से इस सदन में डिसकस किया जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। आपके इस फैसले के बाद कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव वैध है वित्त मंत्री का यह फरमाना कि इस पर यहां बहस नहीं हो सकती है, कहां तक ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—इस बात के लिये तो वे कह सकते हैं कि इजाजत न दी जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक लाइन कह कर वे बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, विरोध की वजह भी तो वे बतलाना चाहेंगे।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आखिर इस कदर इजतराब की कोई वजह मुझको तो नहीं मालूम होती है और कहां तक मौजूं यह बात हो सकती है कि जो लोग कुछ कह लें वे यह चाहें कि दूसरे उसके खिलाफ कुछ न कह सकें, यह कोई ठीक बात नहीं हो सकती।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार बहस करके समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन अपनी बात कहने के लिये उन्हें इजाजत है। आप उठिये ही मत।

श्री राजनारायण—तो वे हंसते क्यों हैं? बेशर्मी की हद हो गयी है। एक आदमी को जान से मारने की साजिश करिये और यहां पर आकर हंसिये। क्या सदन कोई तमाशा है?

श्री अध्यक्ष—लेकिन मैं समझता हूं कि कोई निरादर करने की दृष्टि से वह हंसना नहीं है।

श्री राजनारायण—एक तरफ साजिश करें और दूसरी तरफ यहां आ कर हंसें।

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं तो सिर्फ एक दो बातें इस सदन की खिदमत में आपके जरिये से अर्ज किया चाहता हूं कि जिस चीज की इजाजत मांगी जा रही है, सदन यह सोचे कि आखिर इस मोशन के जरिये किस चीज पर बहस होगी। कहा यह गया कि लाठी चार्ज हुआ, सरकार ने डिनायल किया, कहा कि नहीं हुआ। दूसरा वर्शन यह आया कि कुछ हुआ। मालूम नहीं कि वह क्या हुआ क्या नहीं हुआ? इसको सोचना है मेम्बरान को। मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं मेम्बरान से कि वह इस बात को सोच लें और अपने दिमागों में फैसला कर लें इस बात का कि ऐसी बात जो एम्बीगुअस सी है उसके मुताल्लिक फरमायेंगे क्या? मैं तो जानता नहीं और इसी लिये हाउस से कहूंगा कि इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुज्ञा देने के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(१०२ सदस्य खड़े हुए)

१०२ सदस्य पक्ष में है इसलिये सदन की इसके लिये इजाजत है। आज ४ बजे से ६ बजे तक इस प्रस्ताव पर बहस होगी और बाकी जितने कामरोको प्रस्ताव हैं वह आज समाप्त होते हैं। क्योंकि एक दिन में एक ही कामरोको प्रस्ताव लिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के जो बाकी कामरोको प्रस्ताव हैं उनको कल के लिये मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप कल दे सकते हैं। आपने ठीक समय पर प्रस्ताव नहीं दिया इस बुनियाद पर कल प्रस्ताव काटा नहीं जायगा।

अधिष्ठाता मंडल के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मुझे अधिष्ठाता मंडल के लिये १० सदस्यों का निर्वाचन करना था, तो उनमें मैंने कुछ तो कर दिये हैं, किन्तु कुछ का कहना है कि वह यहां बैठना पसंद नहीं करते, मसलन गेंदा सिंह जी जो हैं उनको कहा जाता है तो वह समझते हैं कि यहां बैठना ठीक नहीं है। मैं

उनसे पूछ लूंगा अब की दफा। यदि उनसे कहा जाय और वह इस कुर्सी को सुशोभित करने की कृपा करें तो अच्छा है। तो उनको तथा कुछ अन्य सदस्यों को छोड़ कर ६ सदस्यों को मनोनीत करता हूं जिनके नाम निम्न हैं :—

१—श्री बेचनराम गुप्त,
२—श्री सुल्तानआलम खां,
३—श्री नेकराम शर्मा,
४—श्री मलखान सिंह,
५—श्री परमेश्वरी दीन वर्मा,
६—श्री गयाबख्श सिंह ।

चार जो रह गये हैं उनसे पूछ कर, जो पहले थे अगर वे राजी होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं और सदस्यों से प्रार्थना करूंगा ।

विशेषाधिकार समिति के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, हैं, वहीं रहेंगे । और सदस्य हैं:—

१—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य,
२—डाक्टर सीताराम,
३—श्री नारायणदत्त तिवारी,
४—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव,
५—श्री असलम खां,
६—कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी,
७—श्री इरतजा हुसेन,
८—श्री बेचनराम गुप्त,
९—श्री लालबहादुर सिंह ।

ये इस समिति के सदस्य रहेंगे । उन्हें फिर से मैं मनोनीत करता हूं ।

कार्य-परामर्शदात्री समिति के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—कार्य-परामर्शदात्री समिति के लिये निम्नलिखित सदस्यों को मैं मनोनीत करता हूं:—

१—श्री मंगला प्रसाद,
२—श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा,
३—श्री शिवप्रसाद,
४—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री,
५—श्री मुजफ्फरहसन,
६—श्री बलवान सिंह,
७—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट,
८—श्री गौरी शंकर राय,
९—श्री मदन पांडेय,
१०—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद ।

याचिका समिति के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—याचिका समिति के लिये मैं निम्न सदस्यों को मनोनीत करता हूं:—

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी,
२—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी,

[श्री अध्यक्ष]

३—चौधरी रघुराज सिंह,
४—श्री उदय शंकर
५—श्री महीलाल।

श्री राजनारायण द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिये, इस सदन में प्रकट किया है कि वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—यह तो कंटेम्प्ट आफ दि हाउस है।

श्री अध्यक्ष—यह तो यहां की प्रथा के खिलाफ है कि किसी माननीय सदस्य की नीयत पर हमला किया जाय। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की इजाजत हमको क्यों नहीं मिले ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार के विषय पर यहां पर बहस करना ठीक नहीं है और इस सदन की यह प्रथा भी नहीं है और आपके लिये तो यह और भी अनुचित है क्यों कि वे आपके गुरु हैं।

श्री राजनारायण—हमारे लिये तो अनुचित ही है। डंडे हम खांय, दाढ़ी हमारी खींची जाय, जुल्म हमारे ऊपर किये जायं।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, आप लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री राजनारायण—अच्छा, मैं लिखकर भेज दूंगा।

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ सितम्बर, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १९ सितम्बर, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ सितम्बर, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १९ सितम्बर, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३ सितम्बर, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ सितम्बर, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ सितम्बर, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० अगस्त, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी १३ सितम्बर, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ सितम्बर, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया ।

इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि इंडियन डाइवोर्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० अगस्त, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० सितम्बर, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १५ अक्तूबर, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश वृहत्-जोत-कर विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत्-जोत-कर विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० सितम्बर, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ११ अक्तूबर, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० अक्तूबर, १९५७ को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया ।

*उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, १९५७

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, १९५७ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९५७) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

*उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९५७

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—मैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५७) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापे नहीं गये ।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली में प्रख्यापित संशोधन

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—मैं उत्तर प्रदेश पंचायत-राज नियमावली के नियम १७० एवं ३३-बी, ४६, ४७-सी, ८३–ए, ९९--ए, १६८-ए, तथा २१६ में क्रमशः पंचायतराज की विज्ञप्तियां संख्या ३२५५–पी/३३--२९३–५३, दिनांक १७ सितम्बर, १९५७ तथा संख्या २७००–पी/३३---६९९-५६, दिनांक १० सितम्बर, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम की धारा १७ (१) के अधीन प्रख्यापित आज्ञा*

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—श्रीमन्, मैं श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५९०१ (एस० टी०) ३६ (ए)--१३४ (एस० टी०)-५५, दिनांक २७ सितम्बर, १९५७ ई० द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित राज्यपाल की आज्ञा को उक्त धारा की उपधारा (२) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

*उत्तर प्रदेश वृहत्-जोत-कर नियमावली, १९५७

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मैं, उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर नियमावली १९५७ को उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में माल विभाग की विज्ञाप्तियों संख्यां ३७२६-१-(अ)--४४४-५२ दिनांक २७ जुलाई, १९५७ ई० तथा संख्या २७७२–आर०/१(अ) माल (घ)—८७ (डी०)-५४, दिनांक २६ अगस्त, १९५७ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८१–८९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७ को, पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९०–९७ पर)

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—श्रीमन्, मैं इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज'–आगे पृष्ठ ९८–१०६ पर)

---

*छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश गह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०७–१०८ पर)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०९–११० पर)

लखनऊ तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटियों के (संशोधन) विधेयकों के पुरःस्थापन का स्थगन

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री के जो विधेयक १९ और २० क्रम संख्या पर हैं, उनकी प्रति माननीय सदस्यों को नहीं दी जा सकी है, इसलिये वे उनको पेश नहीं कर सके हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—श्रीमन्, औरों की प्रतियां भी नहीं मिली हैं । जैसे ठेकेदारी विनाश विधेयक की प्रतियां भी नहीं मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास सूचना यह है कि शेष विधेयकों की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गयी हैं । किसी माननीय सदस्य की मेज पर अगर कोई प्रति न पहुंची हो तो उनको नोटिस आफिस से ले लेना चाहिये अथवा जो माननीय सदस्य कहेंगे उनको भेज दी जायेंगी ।

राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—श्रीमन्, मैं राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १११–१२४ पर)

एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार या जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये पिछली विधान सभा द्वारा निर्वाचित सर्वश्री कालीचरण टंडन तथा लक्ष्मणदत्त भट्ट के उक्त विधान सभा में विघटन से रिक्त स्थान पर विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये पिछली विधान सभा द्वारा निर्वाचित सर्वश्री कालीचरन टंडन तथा लक्ष्मण दत्त भट्ट के उक्त विधान सभा के विघटन से रिक्त स्थान पर विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

स्टेट हेल्थ बोर्ड के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, स्टेट हेल्थ बोर्ड में कार्य करने के लिये पिछली विधान सभा द्वारा निर्वाचित डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर श्रीनाथ भार्गव, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री हबीबुर्रहमान तथा श्री सालिगराम जैसवाल के उक्त विधान सभा के विघटन से रिक्त स्थान पर विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश द, स्टेट हेल्थ बोर्ड में कार्य करने के लिये पिछली विधान सभा द्वारा निर्वाचित डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर श्रीनाथ भार्गव, श्री धर्मदत्तवैद्य, श्री हबीबुर्रहमान तथा श्री सालिगराम जैसवाल के उक्त विधान सभा के विघटन से रिक्त स्थान पर विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधान सभा की बैठक शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७ को करने के बारे में संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प उपस्थित करता हूं—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती । परन्तु कतिपय आवश्यक विधेयकों को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक यथा समय शनिवार, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५७ ई० को भी होगी ।"

मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । कई तो अधिनियम हैं जिनको पारित करना है, उनका आज ही उल्लेख हुआ है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि विशेष परिस्थिति की वजह से यह माननीय सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं माननीय नेता सदन के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकूंगा। इस सदन को याद होगा कि इसके पूर्व भी जब-जब इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं कि शनिवार को इस सदन की बैठक हो, तो साधारण तौर पर मैंने उसका विरोध किया है । मैं आज भी आपकी आज्ञा से वही बात अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—साधारण तौर पर विरोध कर रहें हैं आज भी ?

श्री त्रिलोकी सिंह—साधारणतौर पर मैंने पहले विरोध किया है, आज भी वही बात दुहरा रहा हूं, कोई दूसरी नयी दलील नहीं है ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कानून बनाने का काम बहुत सोच विचार का काम है । इस प्रान्त की यह बदकिस्मती रही कि कोई ऐसा कानून नहीं पास किया गया जिसका जन साधारण से सम्बन्ध है, उसमें साल भर के अन्दर संशोधन न आया हो । फिर दूसरे साल दूसरा संशोधन, और तीसरे साल तीसरा संशोधन, तो यह नौबत क्यों आती है ? इसका मुख्य कारण यह है कि आप जल्दी-जल्दी हर लेजिस्लेशन करते हैं । तो मैं जहां स नियम के पक्ष में हूं कि ऐसा नियम रहना चाहिये, वहां मान्यवर मैं इस पक्ष में हूं कि इस नियम का निलम्बन (सस्पेंशन) किसी असा- धारण परिस्थिति में ही होना चाहिये ।

किन्तु इस सदन की कार्यवाही देखने से पता लगेगा कि पिछली बैठक में यह साधारण बात हो गई थी । मैं समझता था कि जब माननीय नेता सदन अपने प्रस्ताव को उपस्थित करेंगे तो कुछ उन दिक्कतों को भी बयान करेंगे जिनके कारण यह सम्भव नहीं है कि इस सदन की बैठक बढ़ायी जा सके और उन दिक्कतों को भी बयान करेंगे जिनके कारण ऐसे जो विधेयक या प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले हैं, यदि उन पर विचार नहीं किया गया १०, १५ दिन के अन्दर तो कोई विशेष हानि इस प्रदेश की हो जायगी । इसलिये मान्यवर, मुझे अफसोस है कि जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करता हूं । साधारण तौर पर नहीं, रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि जो दिक्कत मैं महसूस करता हूं, उन दिक्कतों के कारण और इस सदन की मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा की जो रवायात हमने कायम की है उनको कायम रखने के लिये मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि साधारण तौर पर बिना किसी विशेष कारण के शनिवार को बैठक करने का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये । मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात के कोई विशेष कारण नहीं बताये कि जिन की वजह से शनिवार को बैठक करने की आवश्यकता है । हमारा जो यह एक नियम है कि शनिवार को बैठक न हो, वह एक ऐसा नियम है जो बहुत वर्षों से संसार की दूसरी विधान सभाओं और लोकसभाओं के नियमों के आधार पर चला आता है इसलिये उसका आसानी से उल्लंघन नहीं होना चाहिये । हमारी सरकार की जो परम्परा है वह अंग्रेजी कहावत के अनुसार ऐसी मालूम पड़ती है कि "ऐक्ट इन हेस्ट एण्ड रिपेन्ट ऐट लेजर" और साथ ही यहां यह होता है कि "लेजिस्लेशन इन हेस्ट एण्ड एमेंड ऐट लेजर" । यहां होता यह है कि सदन में कानून पेश करने में चाहें बरसों लग जांय लेकिन जब सरकार की तरफ से वह सदन में आ जाता है तो बहुधा सरकार की यह कोशिश होती है कि अगर वह कानून १२ घंटे के अन्दर सदन से पास न हुआ तो आसमान गिर पड़ेगा और उसी जल्दी के लिये शनिवार को बैठक की जाती है और इस तरह से सदन के अधिकारों पर ही सरकार की शनिदृष्टि रहती है । इसलिये मैं शनिवार को बैठक बुलाने का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस पर विचार करेंगे और जबतक वह सदन को, शनिवार को बैठक बुलाने के विशेष कारण न बता दें तब तक वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहां यह एक परम्परा सी बनी जा रही है कि हर बार शनिवार को काम ले लिया जाय । आज तो हमारी एक और परेशानी की बात यह है कि कोई कारण नहीं बताया गया कि शनिवार को बैठक किस विशेष परिस्थिति में होना आवश्यक है । मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस सदन के सदस्यों को सप्ताह में केवल यही दो दिन ऐसे मिलते हैं कि जिनमें वह विधेयकों पर सोच विचार कर सकें, क्षेत्र में जा सकें और जनमत संग्रह कर सकें, यदि यह शनिवार ले लिया गया तो न तो इतना समय रह जायगा कि हम लोग जनमत संग्रह कर सकें और न इतना ही समय रह जायगा कि जो बिल सदन में अधिक मात्रा में आ जाते हैं उन पर हम लोग विचार कर सकें । दूसरे देशों में और सदनों में भी शनिवार और रविवार, दो दिन छोड़ दिये जाते है ताकि २ दिन इन कामों को और विधेयकों पर विचार करने के लिये सदस्यों को मिल जायं । इसलिये जो परम्परा है उसको ध्यान में रखकर यह अच्छा नहीं मालूम होता कि हम साधारण तौर पर इस सम्बन्ध में नियम का उल्लंघन करें और अवहेलना करें । इसलिये बहुत नम्रतापूर्वक मैं आप के द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि मैं इस प्रस्ताव के विरोध में हूं और विशेष रूप से कह रहा हूं कि यदि इसको स्वीकार किया गया तो वह बहुत ही गलत होगा और जैसा कि अभी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

माननीय नेता विरोधी दल ने बताया कि यहां की यह परम्परा हो गई कि है जल्दी में विधेयक लाये जाते हैं और पास कराये जाते हैं जिसके कारण लगातार संशोधन आ रहेहैं। मेरा निवेदन है कि जितने भी बिल यहां आयें उन पर अच्छे ढंग से यहां विचार हो और तब उनको पारित किया जाय और इसके लिये समय की आवश्यकता है, जल्दी की जरूरत नहीं है। छोटे-छोटे सेशन कर के और काम का भार लाद कर सरकार जरूर चाहती है कि विरोधी दल के लोग सोच विचार न कर सकें और जल्दी से बिल उनकी इच्छा अनुसार पारित हो जायं, इस कारण से भी मैं इसका विरोध करता हूं। हमे कानूनों पर विचार करने का समय मिलना चाहिये ताकि हम भलीभांति विचार कर सकें। इसलिये जल्दी जल्दी बिल सदन में पेश करके पास कराने के तरीके को समाप्त किया जाय। इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस ले ले।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि सदन में सभी ओर से इस प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन होगा।

१४ तारीख को हर माननीय सदस्य को आना है, क्योंकि उस दिन काउन्सिल का चुनाव है। इसलिये उस दिन अपनी कांस्टीटुएंसी में जाने का, जनता में आन्दोलन और प्रचार करने का प्रश्न नहीं आता। हम ने एक ऐसे दिन के लिए सदन से अनुमति मांगी है जिस दिन सबको यहां रहना है। मैं समझता था कि इसका पूरी तौर से स्वागत होगा और सभी लोग इसका समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह आपने पहले नहीं कहा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता था कि सभी लोग जानते होंगे। सीधी सी बात बताने में सदन का अपमान होता है।

कभी कभी कानूनों में संशोधन करने पड़ते हैं। यह तो इस बात का सबूत है कि हमारे प्रदेश में कितने जोरों से प्रगति होती है। इतनी जल्दी परिस्थिति बदलती है कि उसके अनुरूप काम करना होता है इसलिए संशोधन लाने पड़ते हैं। तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है।

इसलिए मैं प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती। परन्तु कतिपय आवश्यक विधेयकों को शीघ्र पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की यथासम्भव शनिवार, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५७ ई० को भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५७

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५७ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुई है, विचार होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस पर प्रोसीज्योर वही रहेगा जो सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद बिल का प्रोसीज्योर है। इसके मेम्बर इंचार्ज पालीवाल जी थे। उन्होंने शायद अपना अधिकार माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य को दे दिया था कि वह उसको उपस्थित करें। लेकिन मुझे यह मालूम हुआ कि शायद वह उपस्थित नहीं करना चाहते हैं। तो पालीवाल जी करेंगे।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---जी, हां।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, चूंकि यह नियम जो हम बना रहे हैं आदरणीय सदन के हैं और बिल के ऊपर साधारण तौर पर यह नियम है कि तीन दिन पहले संशोधन की सूचना विधान सभा क कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिये। तो यदि कोई आपत्ति न हो तो उस नियम को निलम्बित कर दिया जाय और जो प्रस्ताव उपस्थित हों, जो संशोधन माननीय सदस्य पेश करना चाहें उन पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आज शाम तक कर दें तो ठीक होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह---सही है।

श्री अध्यक्ष---इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज शाम तक जो संशोधन देना चाहें दे दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना प्रस्ताव पेश करने से पहले मैं आपकी आज्ञा से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसके लिए जो तीन दिन का समय रखा गया है उसमें वाद-विवाद और विचार का समय विभाजन इस प्रकार हो, क्योंकि आज चार बजे से दूसरा विषय शुरू हो जायगा इसलिए इस पर केवल आम वाद-विवाद हो और कल से खंडों पर संशोधन लिये जायं।

श्री अध्यक्ष---इस पर कोई आपत्ति तो नहीं, वित्त मंत्री जी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---ठीक है।

श्री अध्यक्ष---तो आज इस पर आम वाद-विवाद होगा और कल से एक एक नियम पर विचार होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---अब तो सवा दो बजे से लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, सवा दो बजे ही ठीक रहेगा।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५७ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुई है, विचार किया जाय।

मुझे इस बात का हर्ष है कि मुझे इस नियमावली को पेश करने का सौभाग्य और सम्मान मिला। विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन की नियमावली जनतंत्र का मूल आधार है क्योंकि जनतंत्र में जनता की सार्वभौम सत्ता मानी जाती है और जनता के प्रतिनिधियों का ही स्वामित्व माना जाता है और जिस सम्मानित सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठ करके अपना कार्य-संचालन करते हैं उसकी प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली स्वभावतः सबसे अधिक महत्व रखती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया नियमावली के नियमों पर आज हम विचार कर रहे हैं।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका इतिहास संक्षेप में यह है कि सबसे पहले सन् १६५१ के सितम्बर में अगर मुझे ठीक याद है तो २८ सितम्बर को भारतीय संविधान की धारा २०८ उपधारा (१) के अनुसार यहां वह वर्तमान प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली बनी, जिसके अनुसार आज तक कार्य हो रहा है। २८ सितम्बर, १६५१ को यह स्वीकृत हुई और तभी से लागू हो गई, लेकिन उसके कुछ वर्ष बाद ही सदन के माननीय सदस्यों ने यह अनुभव किया कि वह प्रक्रिया नियमावली, जो १६५१ में बनी थी पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ कमी है और इस बात की आवश्यकता है कि उसमें संशोधन किया जाय। फलस्वरूप कई माननीय सदस्यों ने संशोधन के नोटिस दिये। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया कि अलग-अलग संशोधन लाने के बजाय अगर एक समिति को इस पर पूरी तरह से विचार करके सर्वांगीण सुधार करने का कार्य सौंपा जाय तो वह अधिक अच्छा होगा। उसी के अनुसार १६५४ में १३ सितम्बर की बैठक में विधान सभा में अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया गया कि वह इस प्रकार की समिति बना दें। उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय ने एक नियम पुनरीक्षण समिति ११ अक्तूबर, १६५४ को बना दी। इस कमेटी ने १६५४ में कई बैठकें कीं और अन्त में एक ड्राफ्ट ७ अगस्त, १६५६ की बैठक में संशोधित नियमों का बना लिया जिस पर अन्तिम विचार करने के लिये २० अक्तूबर, १६५६ को एक प्रवर समिति बनाई गई। इस प्रवर समिति ने भी अपना काम बहुत जल्दी और तत्परता के साथ पूरा किया, लेकिन विधान सभा का विघटन हो जाने की वजह से वह यहां सदन में पेश नहीं हो सका। जो यह प्रवर समिति बनी थी १६५६ में उसके सदस्य भी वही थे जो पहले पुनरीक्षण समिति के सदस्य थे। जो पहली पुनरीक्षण समिति थी उसमें एक अन्तर हुआ। माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जब मुख्य मंत्री हो गये तो उनकी जगह खाली हुई। उनके स्थान पर श्री कृष्णदत्त पालीवाल को उसका सदस्य बना दिया गया और बाकी सबके सब सदस्य वही थे जो पहले पुनरीक्षण समिति के सदस्य थे यानी इन कंटिन्युएशन वही समिति रही जिसने पहले काम किया था।

इसके बाद जब नई विधान सभा ने निर्वाचित हो कर काम किया तो ७ मई, १६५७ को एक प्रस्ताव मंजूर करके फिर एक प्रवर समिति बनाई गई और इस प्रवर समिति के नियम २०१ के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष थे और इस प्रवर समिति ने नैनीताल और अन्त में लखनऊ में अपनी बैठकें करके अपने कार्य को पूरा किया और अपना प्रतिवेदन १७ जुलाई, १६५७ को यहां सदन के सम्मुख पेश कर दिया।

इस तरह से जो संशोधन हमारे सामने पेश हैं उनका १६५४ से लेकर १६५७ तक एक सिलसिलेवार इतिहास है और इससे यह सिद्ध होता है कि बहुत गम्भीर विचार करने के बाद ये नियम बनाये गये हैं। इसमें कोई जल्दी नहीं हुई है, बल्कि सच्ची बात यह है कि विधान सभा के विघटन हो जाने से और कुछ टेक्निकल कारणों से देर ही लगी है। इससे पहले ये नियम स्वीकार हो जाने चाहिये थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछली बैठक में बार-बार प्रार्थना की गयी थी कि इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता है। तब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अन्तिम दिन इस बात का आश्वासन दिया था कि अगली बैठक में सबसे पहले इसे रख देंगे। उसी के अनुसार ये नियम आज यहां रक्खे गये हैं।

प्रवर समिति में हमने जो संशोधन किये हैं उनमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे संशोधन सर्वसम्मत हैं। साधारणतया विभिन्न पार्टियों के होते हुये ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यह समिति ऐसी समिति थी कि पार्टीबन्दी से ऊंचे उठ कर सब दलों ने केवल जनतंत्र के हित में और जनता के हित में इस पर विचार किया और जो कुछ निर्णय किये वे सर्वसम्मत हुये। ऐसा नहीं है कि सदस्यों में मतभेद न हुआ हो, लेकिन जब जब मतभेद हुआ तब तब बीच का रास्ता ढूंढा गया और ऐसा रास्ता खोज निकाला गया, जिससे सब लोग सर्वसम्मति से उसे स्वीकार करें।

पहली प्रक्रिया नियमावली में कुल २२४ नियम थे, इसमें ३११ नियम हैं । ७७ नियम बढ़े हैं । इन ३११ नियमों में अधिकतर पुराने नियम हैं और जो नये नियम बढ़ाये गये हैं उनमें एक तो लोक सभा में जो प्रक्रिया नियमावली है उसके आधार पर जो यहां के लिये भी आवश्यक हैं उनको ले कर हम ने संशोधन किया है कुछ पुराने नियमों और कुछ नियम जो नहीं थे उनको कार्य सुविधा के लिये और सदन के सदस्यों के अधिकारों को बढ़ाने के लिये बढ़ा दिया गया है ।

इसके अलावा डेमोक्रेसी की जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो परम्परायें हैं जिनसे वहां के सदन को काफी अधिकार व सुविधा है सदन को कार्य करने के लिये और उनमें से जिनको यहां के लिये भी आवश्यक समझा गया उनको भी हमने इनमें शामिल कर लिया है ।

इस तरह से जो यह प्रक्रिया नियमावली बनी है, जैसा कि मैंने आपसे अभी निवेदन किया, सर्वसम्मति से बनी । "सर्वसम्मति" शब्द पर जो मैं बार बार जोर दे रहा हूं यह एक अर्थ रखता है और वह यह कि सरकारी दल या बहुमत दल का उसमें दो तिहाई का बहुमत था और मंत्रिमंडल के सदस्य भी उसके सदस्य थे । तो जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी प्रातःकाल कहा था, यही समझ करके कि क्योंकि ये सर्वसम्मत नियम हैं, मने यह उचित समझा कि मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य को अधिकार दे दूं कि वे इनको पेश करें जिससे सब दलों से ऊपर उठ करके ये सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिये जायं और उनकी ओर से आयेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें सुविधा रहेगी और पार्टी का उसमें कोई सवाल नहीं था । मेरे लिये तो यह बड़े गौरव की बात है कि मैं इनको पेश कर रहा हूं । मैंने इस व्यक्तिगत पहलू को छोड़ करके उनको अधिकार दिया था कि यदि उनके द्वारा पेश होंगे और सर्वसम्मति से पास होंगे तो ज्यादा जनता के हित में है, बजाय इसके कि मैं इसको पेश करूं या कोई और व्यक्ति पेश करे । वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है ।

तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं अब भी यह आशा करता हूं कि ये नियम सर्वसम्मति से स्वीकार किये जायेंगे और एक ऐसी स्वस्थ परम्परा कायम की जायगी जो सदा के लिये अनुकरणीय रहे, और वह यह कि कम से कम एक प्रवर समिति में सब लोगों की सहमति से जो नियम बनाये गये हैं उनको सदन भी सर्वसम्मति से स्वीकार करे, क्योंकि मैं इसको विवादग्रस्त विषय नहीं समझता हूं, किसी दल का सवाल नहीं समझता हूं । तो इसपर मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । अगर कहने की आवश्यकता होगी तो अन्त में कहूंगा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अभी और कुछ मशविरा दीजिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मेरा मशविरा यह है कि इसको अभी मंजूर कर लिया जाय और कह दिया जाय कि हम सब को स्वीकार है । इस तरह से शनिवार का दिन बचा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं पालीवाल जी से आन प्वाइन्ट आफ इनफार्मेशन यह जानना चाहता हूं, और श्रीमन्, यदि आप उचित समझें तो आप ही इन्फार्मेशन दे दें कि जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने कहा कि नियम का बनना और जनतांत्रिक पद्धति से ओतप्रोत होना नितान्त आवश्यक है । मगर हम ऐसा देख रहे हैं कि जब प्रवर समिति बनी थी तो पालीवाल जी ने अभी हमको बताया कि करीब करीब सभी बातें सर्वसम्मति से स्वीकार हुई थीं । अब हम देख रहे हैं कि उसमें संशोधन आये हैं और कुछ मूल से संबंधित संशोधन हैं जिनका व्यापक असर पड़ता है । तो कांग्रेस पार्टी के जरिये से ही ऐसे संशोधन आना जो कि उसको मूल से गिराता है, जो पहले से उससे कम अधिकार दे रहा है, यह कहां तक जायज है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज नारायण]

यह हम जानते हैं कि नियम के मुताबिक संशोधन आ सकते हैं, हर समय आ सकते हैं, अब भी संशोधन पर संशोधन हो सकता है, क्योंकि हमको संशोधित नियमावली अभी मिल रही है, मगर हम यह जानना चाहते हैं माननीय पालीवाल जी से कि जो संशोधन कुछ माननीय सदस्यों ने दिये हैं वे जब प्रवर समिति में बिना पक्ष विपक्ष, बिना दल गत नीति के स्वीकार हो गये तो अब मूल पर कुठाराघात करते हुये संशोधन कैसे आ गये और उनके बारे में प्रवर समिति की क्या राय है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब प्रवर समिति में सर्वसम्मति से स्वीकार हुये तो यह मुनासिब नहीं होता कि उसमें माननीय सदस्य संशोधन दें, लेकिन उसके साथ साथ हम माननीय सदस्यों को इस अधिकार से भी वंचित नहीं कर सकते। तो संशोधन आ जाना कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी कोई रास्ता निकल सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से आपस में बातचीत हो सकती है और छानबीन से एक मत से ये स्वीकार हो गये तो और भी अच्छा है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि यह फिर प्रवर समिति में भेज दिया जाय और एक दो दिन के अन्दर प्रवर समिति में विचार होने के बाद पुनः इसको रख दें। यहां हाउस का समय क्यों नष्ट करें ?

श्री उपाध्यक्ष—नियमानुकूल तो आपको ऐसा अधिकार है और आप ऐसा प्रस्ताव रख सकते हैं और साथ ही साथ और लोग भी बोलें जिससे अगर यह प्रवर समिति के पास जाय तो उसको और भी सामग्री मिल जाय।

तो जो माननीय सदस्य विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं वह बोलें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं भी प्रवर समिति का एक सदस्य था, इसलिये एक प्रार्थना मुझे आप से यह करनी है कि जब एक मत से प्रवर समिति में इन पर विचार कर रहे थे तो हमने यह उचित समझा था कि सदन में भी ये एक मत से पास हो जायं। उस समय प्रवर समिति के सामने यह विचार आया था कि हम अनौपचारिक ढंग से तमाम विरोधी दल के नेताओं को, शासक दल के नेता को भी और जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हों और जिन्होंने संशोधन पेश किये हों उन्हें भी बुला लें और फिर बैठकर के आपस में इस पर विचार करें और एक मत से ही इसको सदन में पारित कर लें। मैं फिर माननीय राजनारायण जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष—अभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। उन्होंने पूछा था कि ऐसा प्रस्ताव रख सकते हैं, तो मैंने कहा कि रख सकते हैं। आप अपनी राय बताइये कि आप क्या चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—मेरी भी सम्मति है कि हम फिर से इसको प्रवर समिति में वापस कर दें और जिन सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं उन्हें भी बुलवा लें और विरोधी दल के नेताओं को और शासक दल के नेताओं को भी बुला लें और एक ही मत से इन नियमों को पारित करें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस पर औरों को विचार प्रकट करने का मौका आने से पहले ही हमारे भाई राजनारायण जी ने फरमाया कि इसको फिर प्रवर समिति को वापस कर दिया जाय, ताकि और अच्छी तरह विचार कर लिया जाय। यह कोई बात नहीं है कि जो सर्वसम्मति से आये उसका विरोध न हो। दो-चार आदमी अगर आधे भी जाकर बैठ जायं और कोई बात कहें तो हो सकता है कि उससे भी अधिक अच्छी बात और लोग कहें इसलिये प्रवर समिति में दोबारा भेजना जरूरी नहीं है। लिहाजा मैं इसके सम्बन्ध में अपने विचार आपके सामने रखता हूं।

इसमें कोई शुबहा नहीं कि बड़ी मेहनत से बहुत तजुर्बेकार लोगों ने इसको बनाया और मैं भी उम्मीद करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाय, इसमें पार्टीबाजी से मतलब नहीं।

सब से पहले तो यह होना चाहिये कि असेम्बली का सेशन दिसम्बर जनवरी में न हो, इन दोनों महीनों में कदापि न हो तो ज्यादा अच्छा है--मई जून में जरूर हो, बरसात में भी हो। रीजन सुनिये। बात यह है कि प्रजातंत्र के जमाने में यह काफी नहीं होता कि आप अच्छा कानून बनायें, अच्छी तरह से शासन करें, पब्लिक की खिदमत करें; बल्कि यह भी जरूरी होता है कि पब्लिक जाने भी कि हमारी सरकार और मेम्बर जिनको हमने भेजा है, वह हमारे दिल की बात कह रहे हैं, हमारी सरकार हमारे फायदे के लिये क्या-क्या काम कर रही है और करना चाहती है। इसके लिये असेम्बली का सेशन इन दो महीनों में बन्द करना पड़ेगा, क्योंकि यही हम लोगों का दौरा करने का वक्त होता है। पहाड़ पर तो बरफ पड़ती है इसलिये और यहां पर काम करीब-करीब खत्म होता है, सिर्फ ईख का काटना, छीलना, बेच देना रह जाता है। तात्पर्य यह कि दिसम्बर जनवरी में किसान के पास काम कम रहता है।

श्री उपाध्यक्ष--गन्ने वगैरह की बात कहकर क्या आप गेंदा सिंह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वह आपका समर्थन करें।

श्री सीताराम शुक्ल--न सिर्फ मैं उनका ध्यान बल्कि आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हुजूरवाला, और पूरे सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन दिनों में खाली गन्ने का ही काम रहता है। किसान सुबह उठता है, गन्ना काटता है, गाड़ी में लाद देता है और बाकी सारे समय खाली रहता है। इसलिये प्रचार का काम इन महीनों में किया जाना चाहिये। इससे पब्लिक में ज्यादा अच्छा प्रचार हो सकता है और लीडरों को भी दौरा करने में सहूलियत रहती है। सर्दियों में ज्यादा आदमियों में भीड़ के कारण सर्दी कम मालूम होती है और गर्मियों में थोड़े आदमियों में भी गर्मी मालूम होती है। लीडरों के दौरा करने से किसानों को ही ज्यादा फायदा पहुंचता है। लीडरान तो मोटर में जाते हैं, लेकिन किसान तो पैदल ही जाता है। जाड़ों में वह खाली रहता है और घर पर शाम को बैठकर आग तापता रहता है। वहां पर यह चर्चा हो सकती है कि कौन साहब आये थे, उन्होंने क्या कहा, विरोधियों ने क्या कहा, इस तरह से तमाम बातें उन तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि दिसम्बर-जनवरी में सेशन नहीं होना चाहिये। जाड़ों में दौरे का वक्त भी अच्छा रहता है और किसानों के पास भी वक्त रहता है और वह आपकी और हमारी बात सुन सकता है। इसलिये हर दृष्टिकोण से यानी सरकारी और विरोधी दल दोनों के दृष्टिकोण से यह समय प्रचार के लिये सब से अच्छा है। प्रचार विरोधी पक्ष के लोग भी करना चाहते हैं और प्रचार हम भी करना चाहते हैं।

हमारे मिनिस्टर्स बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसा मेरा खयाल है, दूसरे मुल्कों के लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वह सुबह उठे, फाइल्स पढ़ीं, मुलाकातियों से बातें कीं। यहां आये, हाउस में रहे और रात को १२ बजे से सोते हैं। फिर भी हालत क्या है? अभी बाहर प्रदर्शन का तमाशा देख लीजिये। क्या तमाशा हो रहा है, क्या नारे लग रहे हैं और क्या शिकायतें हो रही हैं? कहा जा रहा है कि बहुत कम वेतन है, सख्त तकलीफ है। इससे तो अंग्रेजी राज्य में अच्छे थे, अब बहुत तकलीफ है। हमारी सरकार ने मजदूरों को बड़ी सहूलियत दी है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मजदूर और सरकार से इस प्रक्रिया नियमावली का कोई सम्बन्ध नहीं है। आप प्रक्रिया नियमावली तक ही सीमित रहें।

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--श्रीमन्, आप नियमों में यह चाहते हैं कि शीतकाल में सेशन न हो।

श्री सीताराम शुक्ल---आपने फरमाया कि प्रक्रिया नियमावली के सिलसिले में मजदूरों की बात कहना अप्रासंगिक और इर्रेलेवेंट है। मैं कहता हूं कि मुल्क की भलाई के लिये ही यह हाउस बैठा हुआ है तथा मजदूरऔर किसानों की भलाई के लिये उनके नुमायन्दे ही यहां बैठे ये हैं। हाउस का काम करने के लिये ही यह नियम बन रहे हैं। फिर मजदूर और किसानों को इससे अलग कैसे किया जा सकता है। मजदूर और किसानों के प्वाइंट आफ व्यू को लेकर ही विधान बनेगा। बाहर नारे लग रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष---नारों के बारे में दुबारा कहने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। जाड़ों में बैठक न हो इससे मजदूर और किसानों में काम करने में आसानी होगी। यह आप कह सकते हैं। क्या नारे लग रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल---अनुशासन और डिसिप्लिन को मेरा मानना फर्ज है और मैं मानूंगा। मैं इसको छोड़े देता हूं। हमारी सरकार बड़ी कोशिश करती है, बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां प्रचार की कमी है। उस पर कम ध्यान दिया जाता है और मैं अर्ज करूं कि उसका नतीजा क्या होता है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नतीजा यह होता है कि प्रचार के काम के बनिस्बत पिस्तौल, बन्दूक और गोली पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जेल पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि प्रचार पर अगर पैसा खर्च किया जाय तो बन्दूक और जेल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप यह कहना चाह रहे हैं कि जाड़े में जब प्रचार का उपयुक्त अवसर होता है तब हम विधान सभा के काम में लगे रहते हैं। अगर यह आप जोड़ दें तो ठीक हो जाय।

श्री सीताराम शुक्ल---आखिर में तो श्रीमन् को एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। अगर आप मदद कर देंगे तो मुझ बड़ी खुशी होगी।

खैर, मेरे एक दोस्त ने तनज़न कहा कि मई और जून में सेशन रखा जाय। किन्तु मैं हार्दिक भाव से कहूंगा कि मई और जून में ज़रूर सेशन रखा जाय। जब गर्मी में साये के नीचे बैठ कर काम करने का वक्त होता है तो हम से कहा जाता है कि बाहर जाकर प्रचार करो। यह दूसरी बात है कि यहां बैठ कर बनायें या नैनीताल में जाकर बनायें।

श्री राजनारायण---गर्मी में नैनीताल जाइये।

श्री सीताराम शुक्ल---नैनीताल में सदन बैठेगा तो जनाब भी जायंगे। इसलिये आपको तो हमको धन्यवाद देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजाय ११ बजे बैठने के हम लोग १० बजे बैठें। अगर सरकारी कर्मचारी १० बजे आ सकते हैं तो मेम्बर साहबान भी १० बजे आ सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बहस हो रही है और कुछ मेम्बर साहबान ऊंघ रहे हैं। इस पर दर्शक लोग मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन यह मज़ाक की बात नहीं है। मेम्बर साहबान पत्थर के तो हैं नहीं। वे सुबह से लेकर रात तक काम करेंगे तो नींद आयेगी। इसलिये मेरी गुज़ारिश यह है कि १० से १२ तक बैठें और फिर १२ से २ तक छुट्टी कर दी जाय और उसके बाद तशरीफ ले आयें तो वे सही मशविरा देंगे। १ बजे तो अंग्रेजों ने लंच के लिये रखा था, किन्तु हमारे हिन्दुस्तान में तो हमेशा १२ बजे खाना खाया जाता था। इंगलैण्ड ठंढा मुल्क है यह गरम मुल्क है। वहां देर में दिन निकलता है, यहां पहले निकल आता है। इसके अलावा ऐसा करने से एक और बात होगी। जैसा हमारे भाई माननीय त्रिलोकीजी सिंह ने फरमाया कि यहां रोज कानून बदलते हैं, तब यह नहीं होगा क्योंकि लोग सही मशविरा दे सकेंगे।

तीसरी बात यह है कि एक दिक्कत आपको भी है, तथा आनरेबिल स्पीकर साहब को भी और हम लोगों को भी हैं। वह यह है कि बहत से मेम्बर बोलने के लिए खड़े हो जात हैं। वक्त मुकर्रर है कि इतने समय के अन्दर यह बिल पास हो जाने चाहिये। आप मजबूर हैं टाइम न देने के लिये। हम भी मजबूर हैं--पब्लिक हमें चुन कर भेजती है--अपनी बाते कहने के लिये। तो इस पर गौर करना चाहिये। हाउस की जो तादाद संविधान में बढ़ाई गयी हैं वह इसीलिये कि ज्यादा आदमियों की राय मिले तो काम और अच्छा होगा। शास्त्राकार कहता है--

"वादे वादे जायते तत्व बोधः।"

अर्थात् वाद-विवाद से सही बातें मालूम होती हैं। मैं जानता हूं कि आपको भी कष्ट होता है। कोई बोलना चाहता है और आप उसको मौका नहीं दे पाते तो आपको तकलीफ होती है और सब से बड़ी तकलीफ यह है कि हम लोगों के क्षेत्र के दर्शक आते हैं। दर्शक गैलरी में वे बैठे हुए हैं और दिन भर की कवायद के बाद भी कुछ भाइयों को बोलने का मौका नहीं मिलता तो वे समझते हैं कि हमारा मेम्बर थर्ड क्लास का मेम्बर है।

चौथी बात यह है कि हो सकता है कि कोई साहब अक्सर बहुत अच्छी राय देते हों किन्तु कोई ठेका किसी का नहीं है कि केवल कुछ ही आदमी अच्छी सलाह देंगे। आप जानते हैं कि "झंडा ऊंचा रहे हमारा" नामक गीत किसी बहुत बड़े कवि का नहीं था। जिला फतेहपुर के एक मामूली कवि थे उन्होंने लिख कर भेज दिया और वह अब आल इंडिया का गीत हो गया। झंडे के ऊपर चरखा भी बने। एक साधारण व्यक्ति ने लिख कर गांधीजी को उक्त विचार भेज दिया और उन्होंने उसको बहुत ऐप्रीशियेट किया। इससे प्रकट है कि न मालूम किस के दिमाग में कौन सी बात है, उसका फायदा सुनने से ही उठाया जा सकता है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि वक्त चाहे कुछ और बढ़ा दीजिये, लेकिन जब तक हर एक मेम्बर को कम से कम ५ मिनट बोलने का मौका न मिल जाय, बहस खत्म करना किसी विषय पर ठीक नहीं होगा। कोई रिपीट करता है तो आप रोक सकते हैं, अनावश्यक बात कहता है तो आप उसे रोक दीजिये, लेकिन अगर वह किसी भी मजमून पर टु दि प्वाइंट बोलता है, ठीक बोलता है, तो उसको मौका मिलना चाहिये। मान लीजिये कि कानून बना और जल्दी में बना, हाई कोर्ट ने उसका मजाक उड़ाया, स्ट्रिक्चर पास हुए उस कानून पर, तो यह ठीक बात नहीं है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जब तक हर मेम्बर को कम से कम ५ मिनट का वक्त न मिले तक तक बहस बन्द नहीं होनी चाहिये।

पांचवीं बात और, लेकिन तबियत डरती है कहते हुए कि सदन में मजाक नहीं होना चाहिये। एक सदस्य यहां हैं नहीं, उनको वक्त मिला अपनी बात कहने का, लेकिन जब उनकी स्पीच होती थी तो सारा सदन मजाक उड़ाता हुआ हंसता रहता था। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जगह भाषण सीखने, तफरीह करने के लिये नहीं है। ऐसी बातों को फौरन रोक देना चाहिये। ताकि पब्लिक के पैसे से खिलवाड़ न हो।

छठी बात यह है कि क्वेश्चन आवर, प्रश्नोत्तर का समय बजाय ११ बजे के ३ बजे से ४ बजे तक रखा जाना चाहिये। उस वक्त तक मेम्बर साहबान को पढ़ने का मौका अवश्य मिल जायगा। मसलन यहां कोई बाहर से आता है, ट्रेन लेट हो जाती है तो वह तैयार नहीं हो पाता। ऐसा करने से उसको तथा मिनिस्टर साहब को भी तैयार होने का काफी मौका मिल जायगा और दूसरी बात यह कि हाउस का वक्त बच जायगा। हाउस के सामने कुछ सदस्य देर से आते हैं इस शिकायत का मौका नहीं रहेगा। अगर आप इस प्रश्नोत्तर काल को २ से ३ तक रखें तब भी काफी मदद आपको मिलेगी।

इसके अलावा एक बात यह कि जो गैर सरकारी प्रस्ताव आते हैं उनमें एक दिक्कत बैलट की पड़ती है। जो लोग होशियार हैं वह यह करते हैं कि ५० आदमियों क दस्तखत से वह प्रस्ताव भिजवा देते हैं। जिसके पास वक्त नहीं है उसने लिखा और भेज दिया। तो इस तरह से एक की बात पचास के आगे चलेगी नहीं।

[श्री सीताराम शुक्ल]

एक बात और जो मुझ पर ही बीती है। एक प्रस्ताव मेरा था। मैंने भी चन्द साहबान से लिखवा कर भेज दिया १०, १५ के नाम से। एक साहब के नाम से वह निकल भी आया। तो मैंने कहा था कि किसी के नाम से भी वह निकलेगा, लेकिन पेश उसे मैं ही करूंगा। मैंने कहा कि प्रस्ताव आ गया है तो उसको मुझे पेश करने का मौका दिया जाय। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कहती है कि मैं ही पेश करूं। मैंने कहा कि आया तो यह इसी शर्त पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो यही राय पड़ती है। तो वह प्रस्ताव जब हाउस में पेश हुआ तो वह साहब तैयार तो थे नहीं, अतः ३० मिनट का समय उन्हें मिला था, किन्तु उन्होंने २२ मिनट में ही अपनी तकरीर खत्म कर दी। और उसके बाद मैंने संशोधन रक्खा तो मुझे १५ मिनट का समय मिला। मेरे पास मैटर था तो कहने के लिये मुझे समय नहीं मिला और उन सज्जन के पास तर्क नहीं था किन्तु उनको बोलने का समय अधिक मिला। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि जो नाम पहले आवे उसी का नाम पेश करने के लिये रक्खा जाय। फलस्वरूप हर एक मेम्बर को अवसर मिलेगा। इससे हाउस का समय भी खराब नहीं होगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज अधिक बोलने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि कल बस्ती में था वहां पर कांग्रेस कमेटी का चुनाव था। अफसोस यह है कि जब मैं बोलना चाहता हूं तब मेरे लिये आग्रह होता है कि चुप हो जाओ, लेकिन हजूर, जबरदस्ती रोका जा सकता है मगर बुलवाया नहीं जा सकता। इसलिये अन्तिम निवेदन करना चाहता हूं कि यहां का जो विधान है वह हिन्दी में कार्यवाही करने का है, लेकिन मैं कहता हूं कि हिन्दी के साथ दुश्मनी की जाती है। जब हम 'प्रस्ताव' को समझ सकते हैं तो फिर 'संकल्प' क्यों प्रयोग में लाया जाता है। जो शब्द हिन्दी में पहले चले आते हैं उनको क्यों निकाला जाता है? मैं अर्ज करता हूं कि जो प्रचलित शब्द हैं अगर उनको हिन्दी में रखा जाता है तो इससे हिन्दी की ज्यादा तरक्की होती। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जैसे बंगाली की जबान बंगला है, गुजरात की भाषा गुजराती है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, उसी प्रकार से यू० पी० की भाषा हिन्दुस्तानी है। इसके लिये माननीय पं० पन्त जी ने भी कहा था कि यहां की भाषा हिन्दुस्तानी है और जो शब्द प्रचलित हैं उनका ही प्रयोग होना चाहिये। गांधी जी ने भी इसके लिये कहा और कई बार कहा कि प्रचलित शब्दों का ही इस्तेमाल होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि और कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाय। इसलिये मेरी गुजारिश है कि किसी के साथ बेइन्साफी नहीं होनी चाहिये। पेशकार और कुर्क अमीन को हटा कर दूसरे शब्दों को रख रहे हैं यह कौन सी अक्लमन्दी है? हां, अगर इन्टरनेशनल काम होगा तो उसके लिये हम अंग्रेजी का प्रयोग अवश्य करेंगे किन्तु सर्व भारतीय, आल इंडिया का काम करना हो तो हिन्दी में करेंगे, लेकिन अकारण कड़े शब्दों को इस्तेमाल करना उचित नहीं है। केन्द्रीय सरकार अथवा किसी दूसरे सूबे से अगर लिखा-पढ़ी करनी होगी तो हम हिन्दी में करेंगे, लेकिन जिस प्रकार आजकल अखबारों में हिन्दी या उर्दू लिखी जाती है वह यू० पी० की भाषा नहीं है। यू० पी० की भाषा हिन्दुस्तानी है। मेरा निवेदन है कि नई भाषा पढ़ाने के चक्कर में आप न पड़ें। यह विशुद्ध हिन्दी यहां की भाषा नहीं है। एक शायर ने कहा है कि :

जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना।
और काफिर हैं समझते कि मुसलमां हूं मैं॥

हिन्दी वाले कहते हैं कि यह सरकार की जबान है और उर्दू वाले कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि सरकारी काम दोनों जबानों में होना चाहिये। आप दोनों जबान और दोनों हरूफ रखिये। किन्तु यह भूल जाते हैं कि बच्चे हिन्दी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। अतः यह मांग गलत है कि सरकारी कार्य दो अक्षरों और दो जबानों में हो और यह भी गलत है कि बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी हिन्दी लादी जाय। इसलिये आसान हिन्दी का प्रयोग कीजिये। इससे बड़ी आसानी होगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो नियमावली हमारे सामने आई है उसका स्वागत करता हूं। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि सन् १९५१ के बाद, जैसा कि हमारे अधिकांश साथियों ने महसूस किया, आज के जनतंत्र के युग में जहां विधान सभा की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमारे पुराने नियम अपटूडेट नहीं हैं और उनमें बहुत कमी हैं। इसी आधार पर इस सदन ने एक कमेटी बनाई और उसकी यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है। मैं उस कमेटी के सदस्यों को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि बावजूद इसके कि उनके आपसी दृष्टिकोण कुछ भी रहे हों, वह किसी भी दल के मेम्बर रहे हों, उन्होंने गिव ऐन्ड टेक की स्पिरिट में यह सर्वसम्मत रिपोर्ट हमारे सामने पेश की। मैं यह नहीं मानता हूं कि इस रिपोर्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकते हैं, वे हो सकते हैं। आज के एजेन्डा में भी हमने देखा कि बहुतेरे साथियों ने काफी तादाद में संशोधन दिये हैं। कहा गया कि इस रिपोर्ट को फिर उस समिति के पास भेज दिया जाय और जो संशोधन आये हैं या और आ सकते हैं उन सब की रोशनी में वह इस पर फिर से विचार करे। मैं इसका भी स्वागत और समर्थन करता हूं।

हमारे साथियों ने यह कोशिश की कि हमारे नियम हिन्दुस्तान की लोकसभा के आधार पर बनें। मगर कहीं-कहीं उस पैटर्न को हमने छोड़ दिया है। उसकी वजूहात तो बाद को सामने आवेंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हमने इसमें ऐस्टीमेट्स कमेटी के फार्मेशन की बात देखी तो मुझे कुछ थोड़ा ताज्जुब सा हुआ। जो फंकशन्स वहां डिफाइन्ड हैं उनमें से आपने ४ में से ३ रख कर एक इम्पार्टेंट आइटम को छोड़ दिया। उसके सम्बन्ध में कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जिनका हमारी लोक सभा में कोई प्रावीजन नहीं है, परन्तु वह हमने किया है। मैं समझता हूं कि वह भी ज्यादा अच्छी चीज नहीं होगी? मैं बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा। श्री चन्द्रजीत जी के इस सुझाव का या नेता विरोधी दल का हो, जिसका भी हो कि इसे दोबारा कमेटी के पास भेज दिया जाय, मैं समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कुछ आवश्यकतावश इस नियमावली को संशोधन करने की बात सोची गई है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, यह आवश्यकता सभी तरफ के लोगों ने महसूस की थी। मैंने जो महसूस किया था वह यह था कि कार्यों में कुछ कठिनाइयां थीं। हमारे पहले सदन का आकार प्रकार कुछ छोटा था, सदस्यों की संख्या कम थी और सदन के कुछ सीमित अधिकार थे, लेकिन नये विधान से हमारे अधिकार बढ़े और हमारी संख्या बढ़ी, तो ऐसी हालत में स्वाभाविक है कि इस विधान सभा का कार्य भी बढ़ा। पहली नियमावली अनुकूल नहीं पड़ी।

मैं दो तीन बातों की तरफ़ ध्यान दिलाऊंगा। किसी सदस्य का अधिकार है कि वह १ दिन में ३ प्रश्न कर सकता है, इसका ठीक उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार या सम्बद्ध विभाग प्रश्नों को कुछ अधिक महत्व नहीं देता है। माननीय मंत्री लोग कृपा कर देखें कि कितने प्रश्नों का उत्तर उन्होंने इस समय के भीतर दिया है। मैं गलती नहीं करता हूं तो शायद ही कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर ३ दिन के भीतर आ गया हो। शार्ट नोटिस क्वेश्चन के बारे में क्लियर ३ दिन मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिये हैं और यह सोचने की बात है कि इस अवधि के भीतर अपने कार्यकाल में किसी मिनिस्टर ने कितने प्रश्नों का ३ दिन में उत्तर दिया है। मैं कम से कम यह कह सकता हूं कि जितने शार्ट नोटिस क्वेश्चन मैंने किये, उनमें ३ दिन की अवधि की बिल्कुल परवाह नहीं की गई। यदि ३ दिन काफी नहीं हों तो ४ दिन कर लें, यद्यपि मैं समझता हूं कि ३ दिन काफी हैं, मगर उस ४ दिन का पालन तो होना चाहिये। मिनिस्टर साहब को अधिकार है कि वह शार्ट नोटिस प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो दें वरना इन्कार भी कर सकते हैं। इसमें मेरी राय है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

थोड़ी पाबन्दी या मजबूरी मिनिस्टर साहब पर होनी चाहिये। अगर किसी शार्ट नोटिस क्वेश्चन का संबंध राज्य के सचिवालय से हो या लखनऊ के किसी विभाग से हो तो उसमें मिनिस्टर साहब को अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह इन्कार कर सकें। इसका उत्तर उतने समय के अन्दर देना लाजिमी होना चाहिये।

क्वेश्चन्स के सम्बन्ध में एक बात और भी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन आवर बढ़ाया जाना चाहिये। पहले आप ने यह फैसला किया था कि तीन प्रश्न प्रत्येक सदस्य करेगा। पहले असेम्बली में २२८ सदस्य थे। मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी पहले जो कौंसिल थी, उस वक्त से ही यह नियम लागू था। हम ४३१ सदस्य हैं। अगर ३-३ प्रश्न सब सदस्य एक साथ कर दें.....

श्री उपाध्यक्ष—यह सीमा ५१ से हुई है, पहले से नहीं थी।

श्री गेंदासिंह—यह बड़ी खुशी की बात है। अगर यह सीमा नहीं रहती है तो और भी अधिक प्रश्न होंगे और इसलिए क्वेश्चन आवर अवश्य ही बढ़ाया जाना चाहिये। जिससे क्वेश्चन करने वाले सभी लोगों को सप्लीमेंटरी करने का मौका मिल सके। अगर एक दिन में १०० प्रश्न सदन के सामने आजकल पूछे जाते हैं तो उनमें से ४०-५० ही सदन के सामने पढ़े जा सकते हैं और उन पर सप्लीमेंटरी हो सकते हैं। शेष ५० प्रश्न ऐसे रह जाते हैं जिन पर सप्लमेंटरी नहीं हो पाते। सप्लीमेंटरी करके ही कुछ अच्छी खबर हम मिनिस्टरों की ले सकते हैं और वे भी कुछ अच्छी खबर हम लोगों की ले सकते हैं। दोनों को दोनों की खोज खबर लेनी चाहिये। सप्लीमेंटरी में बहुत सी बातों का सत्य निकल आता है। बहुत सी बातों में बना बनाया जो सवालों का उत्तर आता है उनमें मिनिस्टर लोग अंधेरे में रहते हैं। लेकिन जब हम सप्लीमेंटरी करते हैं और उनमें मिनिस्टर साहबान को दिक्कत मालूम होती है, तब मुकामी अफसरान पर डांट पड़ती है, तब उनकी समझ में आता है कि मिनिस्टरों को भुलावे में नहीं रखना चाहिये। ऐसा भी हुआ है कि यहां से डांट पड़ने पर स्थानीय अधिकारी ने मुझसे माफी मांगी, क्योंकि मिनिस्टर साहब की तरफ से उससे एक्सप्लेनेशन तलब किया गया था कि उसने गलत जबाब क्यों दिया। उसके बाद मामला सब सुधर गया। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें इतना वक्त मिलना चाहिये कि हम अपने क्वेश्चन्स पर सप्लीमेंटरी कर सकें और यह तभी हो सकता है जब कि क्वेश्चन्स का समय बढ़ाया जाय। यह असेम्बली भी अब ४३१ सदस्यों की ही रहेगी और ३ का रेस्ट्रिक्शन भी हट गया है, इसलिए क्वेश्चन आवर को बढ़ाने की निहायत जरूरत है। प्रश्न सदस्यों के लिये एक हथियार समझा जाता है। जब वह ऐक्जीक्यूटिव से तंग आ जाता है तब वह प्रश्न करता है। जब चारों तरफ से उसको और कोई उपाय नहीं सूझता तब वह प्रश्न करने आता है, नहीं तो भरसक वह प्रश्न नहीं करता। इसलिये लेजिस्लेचर में प्रश्नों का बड़ा भारी महत्व है और इसका समय बढ़ाया जाना चाहिये।

दूसरी एक और बात कहूं। बजट सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेजिस्लेचर की जिन्दगी में होता है। जैसा कि मैंने प्रश्नों के सम्बन्ध में कहा, जब हमारी असेम्बली में २२८ सदस्य थे तब हमें बजट पर बहस करने के लिये इतना समय मिलता था लेकिन अब ४३१ आदमी यहां निर्वाचित होकर आ गये हैं उन्हें भी उतना ही समय मिलता है। ये ४३१ आदमी अगर बजट के अवसर पर अपने निर्वाचित क्षेत्रों और अपने क्षेत्रों से बाहर अपने देश और प्रदेश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त न कर सकें तो मैं समझता हूं यह उनके साथ भी ज्यादती है और वह भी अपने निर्वाचकों के साथ ज्यादती करते हैं। प्रदेश की समस्याओं पर बजट सेशन में अपने विचार व्यक्त करने के लिये प्रत्येक सदस्य को कम से कम ५-७-१० मिनट अवश्य मिलने चाहिये।

इसलिये बजट सेशन की अवधि बढ़ायी जानी चाहिये। मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद इस वक्त इसकी अवधि १८ दिन की है, जिससे माननीय सदस्यों को अवसर ही नहीं मिलता कि वे अपनी बात भी कह सकें।

अब रही यह बात कि यह कहा जा सकता है कि भाई इंगलैंड की तरह यहां के लोग रेलेवेंट नहीं बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मुल्क इंगलैंड का तो है नहीं न उतनी तालीम हम लोगों की है। उनकी बहुत पुरानी परम्परा है, बहुत पुरानी उनकी डेमोक्रेसी है, वे बहुत सधे हुये लोग हैं। फिर भी वे लोग कभी-कभी ऐसी फ्रीज कर देते हैं जिसको हम करने में डरते हैं। वे सधे हुये लोग हैं तो भी वे ऐसे-ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं करते और जिनको करने में हमको संकोच होता है। जैसे कभी-कभी हमको पढ़ने को मिलता है कि कभी घूंसा घूंसी हो गयी, और न मालूम क्या क्या चीजें वे लोग कर लेते हैं, लेकिन हम तो वैसी चीज न कहते हैं और न करते ही हैं, हम आगे भी ऐसी कोई बात नहीं होने देंगे। अगर कोई मजबूत आदमी भी उस तरह की कोई बात करना चाहेगा तो उसको भी हम मना करेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि बातचीत करने का अवसर तो रहना चाहिये और फिर अगर हम इर्रेलेवेंट बोलें तो आप तो हैं ही रोकने के लिये, आप रोक सकते हैं कि इर्रेलेवेंट बोल रहे हैं, रेलेवेंट बोलें। लेकिन वक्त तो मिलना ही चाहिये, इसलिये मैं सोचता हूं कि बजट सेशन की अवधि जरूर बढ़ा देनी चाहिये।

एक बात मैं अन्त में जरूर निवेदन करूंगा। उत्तर देने के सिलसिले में हमारे मिनिस्टर साहबान को बहुत आजादी मिली हुई है। ऐसे उनको और आजादी तो है ही, जो उनकी आजादी और मामलों में है उसको मैं नहीं छीनना चाहता हूं लेकिन इस दीवार के भीतर में उनकी आजादी छीनना चाहता हूं आपके मुकाबले में। वे इस दीवार के बाहर चले जायं, फिर तो वे आजाद हैं ही। अपने दरवाजे में वे घुस जायं और फिर वहां हमको या और किसी को न घुसने दें, यह बात तो मैं समझ सकता हूं लेकिन उधर आप बैठे हुए हैं, इधर हम बैठे हुए हैं, इस तरह से इस दीवार के भीतर हम सब बराबर हैं। रूल्स में जो कुछ किया जायगा वह तो होगा ही, बिहैवियर के मुताल्लिक कुछ उधर के लोगों को इधर से सीखना पड़ेगा और कुछ इधर के लोगों को उधर से भी सीखना पड़ेगा, लेकिन श्रीमन्, इससे ज्यादा महत्व की बात यह है कि माननीय मिनिस्टर साहबान की मर्जी के ऊपर है कि वे जिस बात का जवाब देना चाहें उसका जवाब दें और जिसका जवाब न देना चाहें न दें। तो मेरा सुझाव यह है कि नियम में ऐसा जरूर कर दिया जाय कि कोई बहुत असाधारण सा ऐसा प्रश्न न हो जिससे राष्ट्र को खतरा हो, उसका उत्तर मिल जाना चाहिये और जिससे कुछ खतरा हो उसका उत्तर नहीं मिलना चाहिये। ऐसी बात जिससे राष्ट्र को कोई खतरा न हो जैसे कोई व्यक्ति रिश्वतखोर हो, राष्ट्र की सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहा हो, किसी बांध के सिलसिले में किसी ने ऐसी बड़ी गलती कर दी हो जिसे कहने में सरकार शरमाती हो और इसलिये सरकार कह दे कि हम उसका जवाब नहीं देंगे तो इस तरह से वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पायेगी। मैं समझता हूं कि यह नियमावली जब फिर कमेटी के सामने जा रही है, तो मिनिस्टर साहबान को इतनी आजादी हर्गिज होनी चाहिये। उनके ऊपर इस तरह की पाबन्दी की जाय कि वे जवाब जरूर दें।

एक बात और नाम रखने के सिलसिले में है। अगर प्रश्न में किसी का नाम रखने की बात होती है तो मालूम होता है कि इससे बड़ा भारी खतरा हो सकता है। अगर कोई आदमी चोरी में पकड़ा जाता है, कोई आदमी रिश्वत लेने में माहिर है, कोई आदमी सरकारी रुपया ग़बन करके बैठा हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वाले हैं और सार्वजनिक तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, उनका नाम रखने में क्या हर्ज है? लेकिन प्रश्नों में मैंने देखा है कि ज्योंही इस तरह का कोई प्रश्न किया जाता है, तो वह प्रश्न ही नामंजूर कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का नाम आना चाहिये; क्योंकि विधान सभा में जब ऐसे लोगों का नाम आयेगा तो सारे देश के लोग उससे चौकने हो जायेंगे कि यह आदमी इस प्रकार का है और इस आदमी से थोड़ा होशियार रहना चाहिये। कोई उसको

[श्री गेंदा सिंह]

चीज न सौंपेगा और न उसको अपने घर का मालिक बनावेगा। तो इसलिये उसका नाम आना चाहिये। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा नियमों में परिवर्तन कर दिया जाय तो यह काम हो सकता है। इन चार छः वर्षों के जीवन में जो कुछ बातें मेरी समझ में आयीं उनको मैंने निवेदन कर दिया।

मैं समझता हूं कि जो कमेटी बैठे वह इस चीज को देखे और हमारे बुजुर्गवार हाफिज साहब जो उधर बैठे है उन के लिये मैं खुदा से दुआ करता हूं कि वह तब तक जिन्दा रहें जब तक कि हम लोग उधर बैठें और हाफिज साहब इधर बैठें, क्योंकि आज जो गलती हम करते हैं वह गलती वह नहीं करेंगे, क्योंकि उन का बड़ा लम्बा तजुर्बा है, बड़ी लम्बी लेजिस्लेचर की उनकी जिन्दगी है। हाफिज साहब भी रात को सोते वक्त भगवान् से प्रार्थना करते होंगे और हम भी चाहते हैं कि वह इतने दिन तक जरूर जिन्दा रहें और खुदा उन को जिन्दा रखे जब वह इधर आ कर बैठें और हम या श्री गौरीशंकर राय, पालीवाल जी या श्री राजनारायण या और कोई इधर के लोग उधर जाकर उनकी जगह बैठें। हमारा कतई इरादा यह नहीं है कि चूंकि हम इधर बैठे हैं इसलिये तंग करने के लिये हम ऐसे नियम बनवाना चाहते हैं, बल्कि इसलिये कि वह सब की सम्पत्ति है, सारे देश की सम्पत्ति है। सम्भव है कि उनसे कुछ थोड़ी मदद इस वक्त हम को हो जाय। फिर दूसरे लोग जो कभी इधर आकर बैठें उनको भी वह हो सकती है। तो जरूरत इस बात की है कि बगैर किसी पार्टी या दलगत सवाल के और भावना के हम इन नियमों को बनावें और इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रक्रिया नियमावली सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई है उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अभी कई स्थल पर इस में संशोधन की आवश्यकता है। अभी इस पक्ष से माननीय पालीवाल जी और माननीय नवलकिशोर जी ने जो सुझाव रखे हैं और कहा है कि इसे पुनः प्रवर समिति के पास भेजा जाय और प्रस्ताव किया है कि वहां पर संशोधन पर विचार कर के फिर इसे सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं निवेदन करूं कि सदन के सामने अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, केवल एक सज्जन ने इस तरह की राय जाहिर की थी। जब तक प्रस्ताव इस तरह का नहीं आता तब तक उस के समर्थन का सवाल नहीं है। आप स्वयं प्रस्ताव करना चाहें तो करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह जो संशोधित प्रक्रिया नियमावली है इसको पुनः प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय जो इन संशोधनों और सुझावों को लेकर उन पर पुनः विचार करे और पुनः अपनी रिपोर्ट माननीय सदन के सामने रखे।

जो यह संशोधित नियमावली पेश की गई है उसमें ऐसा मालूम होता है कि कई स्थलों पर अभी संशोधन करने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यहां के यह नियम कभी सन् ५१ से पहले बने थे, पता नहीं कब बने थे लेकिन उनमें जो कठिनाइयां प्रतिदिन देखने में आती हैं उनको दूर करने के लिये इस में सुधार की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर समय के विषय में यहां पर ११ बजे से ५ बजे तक की व्यवस्था है और इसके अलावा कभी-कभी २–१ घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाया करता है और सदन ६–७ बजे तक चलता है और इस को देखकर कभी-कभी तो वही यूनिवर्सिटी या स्कूल के दिन याद आ जाते हैं और लम्बी बैठक के कारण लोग थक जाते हैं और काम में भी रुचि नहीं लगती। यदि सदन का समय ११ के बजाय साढ़े १० बजे से १ बजे और फिर उस के बाद २।। बजे से ५ बजे तक रखा जाय तो बीच में कुछ विश्राम या अवकाश मिल जायगा तो वह बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। इस के अलावा यह भी देखा जाता है कि कभी कभी माननीय अध्यक्ष के खड़े होने पर या कहने पर भी माननीय सदस्य बोलते रहते हैं, उसके लिये भी ऐसा नियम होना चाहिये कि इस तरह के नियम का उल्लंघन होने पर

तुरन्त कार्यवाही की जा सके और सदन की मर्यादा की रक्षा हो सके। इस नियमावली के नियम २९१ में यह विषय है, लेकिन उसमें तुरन्त कार्यवाही का कोई प्रबन्ध नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य इस नियम की अवहेलना करते हैं या अध्यक्ष महोदय के आदेश के बाद भी नहीं बैठते हैं तो सदन की मर्यादा की रक्षा के लिये उन के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और इस तरह का प्राविजन इस नियमावली में रहना चाहिये।

तीसरा सुझाव प्रश्नों के समय के निर्धारण के सम्बन्ध में है। एक घंटे का समय जो रखा गया है यह उचित ही है और इसके बढ़ाने में कठिनाई होगी क्योंकि और कार्यों में बाधा पड़ेगी। लेकिन अगर कभी समय बढ़ाने की आवश्यकता हो या घटाने की आवश्यकता हो तो नियमों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसा अध्यक्ष महोदय उचित समझें समय कम भी कर सकें और अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा भी सकें।

इसके अतिरिक्त देखने में आता है कि कुछ माननीय सदस्यों के कभी-कभी उन्हीं के प्रश्न प्रतिदिन आते रहते हैं। इसलिए यह व्यवस्था अवश्य हो कि सभी माननीय सदस्यों को सुविधा मिले और बारी बारी से यह व्यवस्था की जाय कि वह प्रश्न कर सकें और उनको अन्य प्रश्नों से प्राथमिकता दी जाय। मैंने पिछले तीन चार महीनों में देखा है कि कुछ गिने गिनाये माननीय सदस्य हैं....

श्री उपाध्यक्ष—इस समय जो व्यवस्था है मैं बता दूं। जिस समय और जिस तारीख को कोई प्रश्न भेजता है उसी के क्रमानुसार प्रश्न लिये जाते हैं और उसी क्रम से आदेश दे दिया जाता है। इसलिए हमारे कार्यालय की तरफ से कोई गलती नहीं होती है। अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना ही नहीं चाहते तो क्या किया जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—नियमों में ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये जिससे एक ही सदस्य के बार-बार प्रश्न न आयें। और लोगों को भी मौका मिले। कभी-कभी प्रश्नों की संख्या डेढ़ सौ, दो सौ हो जाती है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो ८० और ९० नम्बर के प्रश्नों को भी प्राथमिकता मिल सकती है और हो सकता है कि पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न न लिया जाय। सब के क्षेत्र के प्रश्न आ जायंगे। प्रश्नों के द्वारा प्रशासन की बहुत सी बातें जानी जाती हैं। प्रश्नों को चयन करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को हो या किसी उपसमिति को हो जो देख ले कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनको प्राथमिकता दे।

इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि एक दिन में डेढ़ सौ दो सौ प्रश्न न रखे जायं एक दिन में जितने प्रश्न लिये जा सकें सदन के कार्यक्रम में उतने ही रखे जायं नहीं तो ८० प्रश्न लिखे हुए हैं। ४० लिये जाते हैं और ४० रह जाते हैं। इसमें कठिनाई यह होती है कि प्रश्नों के न लेने से बहुत सी बातें सदन के सामने नहीं आ सकती हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उतने ही प्रश्न लिये जायं जितने सम्भव हो सकें।

बजट सेशन बड़ा महत्वपूर्ण सेशन होता है। साल भर के आय व्यय का नक्शा रहता है। उसकी जो कार्यावधि होती है उसका समय भी बढ़ना चाहिये और सभी सदस्यों को समय मिलना चाहिए कि अपने-अपने विचार प्रगट कर सकें। केवल तीन चार दिन का समय रखा जाता है जिससे अधिकांश सदस्यों को समय नहीं मिलता। उससे बहुत सी समस्याएं सामने नहीं आ सकती हैं। इसलिए नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यह समय अधिक बढ़ाया जा सके।

शार्ट नोटिस क्वेश्चन में यह देखा गया है कि तीन दिन की जो अवधि है वह पांच दिन की या सात दिन की कर दी जाय, लेकिन यह आवश्यक है कि जो समय निर्धारित कर दिया जाय उसके अंदर वह अवश्य आ जायं, क्योंकि वह जनता के बहुत महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित होते हैं। कई कारणों से उनके उत्तर नहीं मिलते, कहीं दफ्तरों में अवहेलना होती है, कहीं

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

कुछ, इसका हम लोग भी अनुभव करते हैं। शार्ट नोटिस क्वैश्चन कम ही आते हैं लेकिन फिर भी समय के अन्दर उत्तर नहीं मिल पाता। इस से उसकी जो मंशा है वह पूरी नहीं हो पाती। इसलिए नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शार्ट नोटिस क्वैश्चन समय के अन्दर आयें और जितना समय उसका निर्धारित हो मंत्री महोदय, ऐसी व्यवस्था कर लें कि उतने ही समय के अन्दर उत्तर आ जाय। टालने वाली व्यवस्था में ऐसा लगता है मानो जानबूझ कर अगर कोई सरकारी गलती हो तो उसका शोधन नहीं हो पाता है और ठीक ठीक उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए माननीय गेंदा सिंह का जो सुझाव है वह उचित है कि निर्धारित समय के अन्दर उत्तर आ जाना चाहिए और इसके लिए नियमों में बढ़ाई होनी चाहिये। तभी उसके महत्व की सिद्धि हो सकेगी।

माननीय सदन का जो समय निर्धारित है उसमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि समय अधिकांशतः बढ़ाया जाता है। पिछली बैठकों में प्रायः घंटा दो घंटा समय बढ़ता ही रहा है। आदमी की कार्य करने की क्षमता भी सीमित है। इसलिये सदन का समय कभी-कभी बढ़ाया जाय तो अच्छा है और बहुत स्पेयरिंगली इसका इस्तेमाल होना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि समय बढ़ाने वाली बात किसी विशेष महत्वपूर्ण काम के लिये ही की जाय।

छुट्टियों और शनिवार का दिन काम में लाने के बारे में मुझे यह कहना है कि इस पर भी ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये कि बहुत कम ऐसा हो और ऐसा कर दिया जाय कि एक सेशन के अन्दर एक बार या दो बार कोई छुट्टी ली जाय और एक बार या दो बार ही सदन का समय ५ बजे के बाद बढ़ाया जाय। ऐसा अगर किया जाय तो अच्छा रहेगा। इन सुझावों के साथ में अपना प्रस्ताव फिर दोहराता हूं कि पुनः प्रवर समिति को यह नियम भेज दिये जायं और संशोधनों के साथ विचार करके समिति अपनी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करे। समय के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, और सदस्य बतायेंगे कि कितने समय में प्रस्तुत करे। तब उसके बाद सदन में उन पर विचार हो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने कृपापूर्वक मेरा जिक्र किया और यह सही है कि उन्होंने मुझे यह आदेश दिया था कि मैं संशोधित नियमों को सदन के सामने रखूं। दुर्भाग्यवश मैं करीब करीब कल संध्या तक घर आया था और मुझे इसके सम्बन्ध में ज्ञान नहीं था कि संशोधित नियमों को सदन के सम्मुख रखने का कार्य मुझे सौंपा जायगा। जब मुझे रात्रि को इसके सम्बन्ध में ज्ञान हुआ तो समयाभाव से मेरे लिये यह सम्भव नहीं हुआ कि मैं इस कार्य को कर सकूं अन्यथा मैं इसे अपना सौभाग्य समझता। यह सही है कि इस प्रवर समिति ने जिस सहयोग और सद्भावना से कार्य किया वह अत्यन्त प्रशंसनीय था। वैसे भी इस सदन के माननीय सदस्य कृपापूर्वक यह विचार करेंगे कि ये नियम हमारे बढ़ते हुए और बनते हुए प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली के अत्यन्त आवश्यक अंग हैं, जिनके द्वारा कुछ परम्पराएं स्थापित होंगी जिनसे हमारे प्रजातन्त्र को शक्ति मिलेगी। न इन नियमों में कहीं कोई राजनीतिक दल आते हैं और न किन्हीं राजनीतिक दलों की नीतियों का इन नियमों में कोई समावेश होता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि इन नियमों को सब ने सहयोग की भावना से बनाया तो यह अपेक्षित था। जहां तक मैं, और जिस दल का प्रतिनिधित्व करता हूं उसका सम्बन्ध है, मैं अब भी बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम उसी सद्भावना और उसी सहयोग की भावना से नियमों पर विचार करना चाहते हैं, जिस सहयोग और सद्भावना को लेकर हमने प्रवर समिति में इन नियमों पर विचार किया था। मैं पालीवाल जी के आदेश का पालन नहीं कर सका उसका एक कारण यह भी था कि मेरे पास जो संशोधन थे उनकी प्रतिलिपि भी नहीं पहुंची थी। मैंने अभी देखे और चूंकि एक प्रस्ताव आ गया है कि इसको दोबारा प्रवर समिति के पास संशोधनों सहित भेजा जाय, इसलिए

मैं इस सम्बन्ध में इस सदन का समय नहीं लूंगा। अन्यथा मैं इस सदन को बताता कि इन संशोधनों में बहुत संशोधन ऐसे हैं जो केवल भाषा से सम्बन्ध रखते हैं, जिन संशोधनों को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो कोई हानि नहीं है, अस्वीकार कर दिया जाय तो उस पर विचार किया जा सकता है। उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। उदाहरण के लिए एक जो नियम ६ में संशोधन की मांग की गई है वह इस सम्बन्ध में है कि सदन में कोई बाहर का सदस्य न बैठ सके। ६ और ७ नियम इसी प्रकार के हैं और यदि कोई बैठे तो संविधान की धारा १९३ के अनुसार उसके विरुद्ध कार्य किया जा सके। संविधान की धारा १९३ में इस बात का जिक्र है कि इस सदन में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बैठ सकता। यदि धारा ६ को निकाल दें तो कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि वह संविधान में है और यदि वह बनी रहे तो कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि वह विधान में है। तो इस प्रकार से ये संशोधन बहुत कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने जब इनको पढ़ा और मैं माननीय पालीवाल जी से और दूसरे सभी प्रवर समिति के साथियों से बहुत अनुनयपूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिनसे कि हमको ऐसा विचार आये कि जो हमारी सहयोग की भावना प्रवर समिति में थी उसमें किसी प्रकार की ठेस लगती हो। बल्कि इसके विपरीत एक बात मैं यह कहूंगा अपने साथियों से, हम सब लोग उस प्रवर समिति में थे, कुछ जो हमारे पास ये संशोधन आये हैं, हम सचमुच उनका स्वागत करते हैं क्योंकि इनके द्वारा हमें और भी उस पर विचार करने का समय मिलेगा। जो उनमें से अच्छे होंगे उनको हम लोग बैठ के उसी सद्भावना से स्वीकार कर लेंगे। उसमें न कोई कठिनाई पहले थी और न आगे कोई कठिनाई होगी।

कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में काफी पहले विचार विनिमय हुआ और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर कि कुछ विचार विनिमय की अब आवश्यकता हो और यदि ऐसे कुछ नये संशोधन आयेंगे तो उन पर भी विचार करने का समय मिल सकेगा। श्रीमन्, स्वयं प्रवर समिति के अध्यक्ष रहे हैं और जिस सद्भावना से वहां पर कार्य हुआ उसका श्रीमन् को भी ज्ञान है। तो मैं इस समय अब सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और मेरा खयाल है कि जो प्रस्ताव मेरे मित्र ने यहां रखा है उसको यह सदन स्वीकार कर लेगा। इन संशोधनों सहित यह प्रवर समिति के पास अगर दुबारा चला जाय और इस पर वहां विचार करके यह यहां आ जाय तो इतना तो निश्चित है कि इस सदन का बहुत सा समय बच जायगा। हां, मैं जानता नहीं हूं कि प्रवर समिति के पास से दुबारा आने पर कुछ संशोधन और आयेंगे या नहीं। अगर आयें तो सदन उन पर विचार कर लेगा। मैं श्रीमन् के द्वारा सदन को इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस सद्भावना का परिचय हमने पहली प्रवर समिति में दिया है उसी सद्भावना को लेकर हम लोग दुबारा अगर यह मामला प्रवर समिति के सुपुर्द करें तो वहां इसे कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय गोविन्द सिंह जी, चार बजे यह वादविवाद खत्म हो जायगा। इस बीच माननीय पालीवाल जी को जवाब भी देना है। इसलिए संक्षेप में ही आप भाषण करें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस भावना की ओर संकेत माननीय मंत्री जी ने अभी किया उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह सदन जिस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने बैठा है जैसा आपने अभी फरमाया यह किसी दल विशेष की नीति का द्योतक नहीं है, न किसी विशेष सिद्धान्त का प्रतिपादक है। बल्कि यह तो एक युनिवर्सल ऐसा कानून है जिसे पारित करके हम एक परम्परा छोड़ जायंगे, आज यहां आगे के लिए एक नमूना बना जायंगे। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जम्हूरियत की जड़ जमाने के लिए जो कुछ हम आज कर रहे हैं उस दिशा की ओर यह एक सही कदम है। मैं बाअदब गुजारिश करूंगा कि आज तक विरोधी पक्ष की ओर कुछ ऐसी शिकायत

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

रहो हैं, चाहे कोई भी सदस्य इधर बैठे हों, कि हम कुछ डिलेइंग टेक्टिक्स रखते हैं। लेकिन आज हम यह सोचकर के आये थे कि यह चीज एक ऐसी थी जिसे कि दोनों दल के लोगों ने एक स्वर से बनाया था।

माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि अगर ये तरमीमात मान ली जायं तो कोई हर्ज नहीं और न मानी जायं तो भी कोई हर्ज नहीं। मैं उस तरफ के बैठने वालों से, खासकर अपने मित्रों से बाअदब गुजारिश करूंगा कि क्यों न हम इसको ज्यों का त्यों बिना किसी संशोधन के मान लें ताकि हाउस का टाइम बच जाय और ये दो दिन हम किसी अच्छे काम में लगा सकें, जिसमें सदस्यों को बोलने का भी मौका मिल सके। जब संशोधनों के मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसे आमूल क्यों न मान लिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैंने यह तो कभी नहीं कहा कि ये सब बिलकुल निर्दोष हैं। हां, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके मानने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है और न मानने में कोई विशेष हर्ज भी नहीं है। अगर यह बात सारे नियमों पर लागू कर के मेरे माननीय मित्र कोई व्याख्यान देना शुरू कर दें तो मेरा कम से कम गलत प्रतिनिधित्व होगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जो मैं सोच रहा था कि सद्भावना का स्रोत अविरल गति से बह रहा है, उसमें अब शायद गत्यावरोध हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने शुरू में ही इस शंका का समाधान करते हुए कह दिया था कि प्रवर समिति में जाने के बाद भी सदस्यों को अधिकार है कि वे संशोधन रक्खें और अगर किसी पार्टी विशेष के सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से कोई संशोधन पेश कर दिया तो सद्भावना जो प्रवर समिति में थी उसमें उससे कोई कमी नहीं पड़ गई। सद्भावना जैसी कि आपसी थी उसी पर फिर काम हो सकता है। इसलिये ऐसी बातें न कहें जिससे जो काम बनता हुआ है वह बिगड़ जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अगर ऐसी बात हो। मैं नवल किशोर जी से अर्ज करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें, हालांकि पेश करना उनका हक है, लेकिन मेरे खयाल में वापस लेना अच्छा होगा।

(माननीय सदस्य ने कार्य सूची से पढ़ना चाहा)

श्री उपाध्यक्ष---जब तक कोई संशोधन सदन के सामने पेश न हो जाय तब तक कोई माननीय सदस्य पढ़कर उसका जिक्र नहीं कर सकते। वैसे आप कहिये।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---जिस तरह के संशोधन पेश हुए हैं, उनसे इस असेम्बली की जो फ्रीडम है या अधिकार हैं उसमें कुछ कमी होती है। इस तरह के संशोधन इस असेम्बली की ताकत को व्यापक नहीं बनाते, बल्कि संकुचित करते हैं। हमको एक आइडियल रखना है और असेम्बलीज के सामने, कि हमारे जो रूल्स हैं वे औरों से बढ़ कर हैं। हाउस आफ कामन्स की जो पद्धतियां हैं, ये संशोधन उनके खिलाफ जाते हैं। जैसा कि अभी एक मित्र ने कहा कि क्वश्चन आवर की लिमिट कर दी जाय तो यह बात उसी चीज की द्योतक होती है। इस समय १ घंटा क्वश्चन आवर के लिये मिलता है लेकिन अगर इसको लिमिट कर देते हैं तो वह १ घंटा भी जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त यहां कुछ अपवाद नियमों का रूप लेने लगे हैं जैसे शनिवार के दिन नहीं बैठा करते थे, ऐसा नियमों में दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछली मर्तबा से हर शनिवार को सदन की बैठक हुआ करती है। "एक्सेप्शन हैज टेकेन प्लेस आफ दी रूल"। अगर इस तरह की बातें हटा देंगे तो बजाय फायदे के नुकसान ही होगा।

प्रवर समिति को पुनः सौंपने का जो प्रस्ताव आया है उसमें मैं इतना संशोधन अवश्य करना चाहता हूं कि प्रवर समिति के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय, ५ दिन, ६ दिन या १० दिन, जितने भी दिन सदन स्वीकार करे, उतने दिन के भीतर वह अपनी रिपोर्ट दे दे और उसके बाद फौरन इस चीज को टेक अप कर लिया जाय ।

दूसरी बात श्रीमन्, यह कि एक प्रवर समिति पहले बनाई गई थी । उसने एकमत होकर अपनी राय दे दी । आज हमने उसको नहीं माना और उसमें संशोधन चाहें तो क्या यह ठीक होगा कि दुबारा उसी समिति को फिर से भेजा जाय ? मेरी गुजारिश यह है कि अगर इसको प्रवर समिति में भेजना लाजमी है तो दूसरी समिति को भेजा जाय, क्योंकि पहली वाली में हमने विश्वास प्रकट नहीं किया है । जो उसने किया है उसमें हमने नुक्ताचीनी की है ? इसलिये दुबारा इसको भेजना कहां तक ठीक होगा, इस पर सोचने की जरूरत है ।

इसके अलावा तीसरी बात यह है कि रिपोर्ट भेजने की टाइम-लिमिट कर दी जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस प्रस्ताव के संबंध में इस तरह का विवाद उठ खड़ा हुआ । मैं यह मानता हूं कि जहां तक इस पर विचार करने से संबंध है, उससे सभी लोग सहमत हैं और मैं आशा करता हूं कि विचार होने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जायगा । लेकिन जो मतभेद है वह खेदों में संशोधनों के बारे में है । मैं यह मानता हूं कि उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजायश है और दुनिया की सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट की गुंजायश रहती है, सिवाय अकेले निर्विकार परब्रह्म को छोड़कर । मैं यह भी मानता हूं कि जो चीजें होनी चाहिये थी वह सब इनमें नहीं हैं । लेकिन जो कुछ हो सकता था वह बहुमत की सम्मति से ही हो सकता था । हम अच्छी से अच्छी चीज रखें लेकिन हमारे रखने से वह पास नहीं हो सकती है, यह बाधा थी हमारे सामने । इसलिये हम नहीं रख पाये और हमने ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया कि हम बहुमत की सहमति ले सकें । इतना स्पष्ट है कि जो पास हुआ है वह सत्ताधारी दल के बहुमत के आधार पर हुआ है । अगर वह सहमत न होता तो यह पास नहीं होता ।

मेरा निवेदन यह है कि अब इसमें संशोधन लाकर हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 'हार्नेस्ट नेस्ट' यानी बर्रैयों के छत्ते में हाथ दे रहे हैं और इसमें तरह तरह के मतभेद पैदा होंगे । उनमें सर्वसम्मति ली जायगी या केवल ब्रूट मैजारिटी ली जायगी ? अगर सर्वसम्मति से करना है तो इसको उसी समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ? लेकिन अगर सर्वसम्मत निर्णयों को वह समिति बदलती है तो उसके क्या माने—उसके बजाय तो यहीं आप अपने बहुमत से जो बदलना चाहें बदल लें ।

मैं यह समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने भावना का प्रश्न है । मेरे सामने इस बात का प्रश्न है कि हमारी वर्तमान सरकार किस तरह से जनतंत्र में काम करना चाहती है ? मैं नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व देता हूं । मैं यह जानता हूं और मुझ से यह बात कोई छिपी हुई नहीं है कि बहुमत से वही बात तय होगी कि जिसे पार्टी का बहुमत है वह चाहे । लेकिन मेरे पास एक हथियार है । अगर ब्रूट मैजारिटी से काम लिया जाता है तो मैं असहमति प्रकट करूंगा । अगर ब्रूट मैजारिटी से यह चीज होती है तो मेरा कहना यह है कि ब्रूट मैजारिटी से जनतंत्र में काम तो चल जाता है लेकिन काम चलने में जो बात होती है उसके लिये मैं बहुत से राजनीतिक आचार्यों की बात बतला सकता हूं और हमारे संत विनोबा जी की भी राय है । अगर ४९ आदमी एक तरफ हैं और ५१ आदमी दूसरी तरफ हैं तो उनको ४९ आदमियों को डाउन करने का अधिकार तो हो जाता है, लेकिन इसको सही माने में डैमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं और जहां इस तरह से काम होता है, वहां विद्रोह होता है । इसलिये गवर्नमेंट अगर मुनासिब समझती है तो अपनी ब्रूट मैजारिटी से बदलना चाहे तो बदल दे । जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो यह पास हुआ है वह पास नहीं हो सकता था जब कि इसी सरकारी पक्ष के दो तिहाई सदस्य वहां थे

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

और केवल एक तिहाई विरोधी दल के थे। दो तिहाई के बहुमत से पास हुआ। हमारा अपराध केवल इतना हुआ कि हमने अपनी सहमति दे दी। अगर सहमति न देते तो शायद यह नौबत न आती। इस अपराध का अगर दंड दिया जा रहा है तो मैं पसन्द करूंगा कि खुल्लमखुल्ला इस बात को यहां कर लिया जाय। बजाय वहां करने के यहीं अपनी ब्रूट मेजारिटी के बल पर पास कर लीजिये। यहां हमारा प्रोटेस्ट और असहमति भी ज्यादा मूल्य रखेगी।

एक बात कही आचार्य लक्ष्मीरमण जी ने कि कुछ संशोधन शाब्दिक हैं। तो जो संशोधन शाब्दिक हैं उन्हें स्वीकार करने में मुझे भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन सवाल तो यह है कि कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ऐसे हैं जिनका घोर विरोध किया जायगा। तो यह तय करना कि कौन से शाब्दिक हैं और कौन से महत्वपूर्ण, विवादग्रस्त हैं, सवाल तो इसका है। मैं यह तो मान सकता था कि अगर एक अनौपचारिक रूप से बात करने के लिये यह कर दिया जाय कि कल आपस में इस बात पर सदन के नेता और दूसरे विरोधी दलों के नेता लोग विचार कर लें और परसों उनको स्वीकार कर लिया जाय, लेकिन केवल यह बात कि प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, तो प्रवर समिति में तो आपकी दो-तिहाई मेजारिटी है और उसमें जो आप चाहेंगे वह करा लेंगे। इसमें आपको अफसोस यही रहा कि अपनी ब्रूट मेजारिटी से पास नहीं कराया और हमारी सहमति ले ली। अगर यही बात है तो आप इसको यहीं पास करा लीजिये। हमारे पास यह हथियार रह जायगा कि उस में हमारी सहमति नहीं होगी। मेरे लिये डेमोक्रेसी में विद्रोह और सत्याग्रह से यह कम नहीं है कि विधान सभा के अन्दर आप जो कुछ पास करें वह हमारी सहमति के बिना पास करें और हमारी सहमति के विरुद्ध पास करें, अपनी ब्रूट मेजारिटी से पास करें।

(इस समय ३ बज कर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसलिये मैं तो यह चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि अगर सरकार यह मुनासिब समझती है कि सद्भावना का वातावरण जो इस समिति में एक बिरली बात रही कि सर्वसम्मति से बातें पास हुईं, उसको बिगाड़ा जाय तो मेरी मजबूरी है, वह जैसा चाहें वैसा करें लेकिन मेरी सहमति उसमें नहीं होगी। मैं इस बात को मान सकता हूं कि हम आपस में बैठ कर विचार करें कि जो संशोधन आये हैं उनमें से कितनों को हम सर्वसम्मति से मान लें। लेकिन फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द करना और सब पर विचार करना यह मेरी समझ में नहीं आता।

एक बात मैं और कह दूं कि मुझे खास तौर से यह शिकायत है कि यह प्रवर समिति की रिपोर्ट जुलाई में छप चुकी थी, उसको पांच महीने हो चुके हैं और मैंने पिछली दफा शिकायत की थी। मैं तभी समझ गया था कि सरकार का उसके बारे में क्या रुख है। उसने कोशिश की कि यह आने ही न पाये और अगर आपको याद हो तो बार-बार यह कहने पर कि ये क्यों नहीं लाये जा रहे हैं, मुख्य मंत्री जी ने यह कृपा की थी यह आश्वासन दिया था कि अगले सेशन में सबसे पहले इनको लायेंगे। तो इस तरह से टलते टलते तो अब यह आये हैं और आप फिर प्रवर समिति को सुपुर्द करके टालना चाहते हैं और यह भी नहीं कि उसके लिये कोई समय नियत कर देंगे या जब अगला सेशन जनवरी में होगा तब इनको स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसी हालत में अगर कुल सवाल प्रवर समिति के सुपुर्द करने का हो तो आप अपनी मेजारिटी से कराइये, हमारी सहमति उसमें नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि विचार करने की बात को पास करें। संशोधनों की बात अगर आपस में तय हो जाय तो अच्छा है नहीं तो जैसी आपकी मर्जी।

(श्री राजनारायण के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब तो मैं समझता हूं कि समय नहीं है क्योंकि ४ बजे इसको खत्म होना है।

*श्री राजनारायण---मेरी बदकिस्मती यह है कि हमारे ही सुझाव पर इतना लम्बा विवाद हो गया, क्योंकि मैंने यह जानना चाहा था कि जब प्रवर समिति ने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास की तो फिर मूल प्रश्न से सम्बन्धित संशोधन कैसे प्रस्तुत हो गये और यदि मूल प्रस्ताव से संबंधित संशोधन प्रस्तुत हैं तो उसको पुनः प्रवर समिति में भेजा जा सकता है । उस पर यह विवाद हो गया । तो मैं पालीवाल जी की राय से सहमत हूं कि सब लोग बैठ कर, हर पार्टी के नेता बैठ कर, जो मूल प्रस्ताव है उस पर विचार कर लें और उस पर तुरन्त विचार भी हो सकता है । कल उस पर विचार कर लिया जायगा । इस समय जैसा आप ने कहा, समय भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---एक संशोधन यहां उपस्थित कर दिया गया है कि यह फिर उसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री राजनारायण---मुझे तो इसका विरोध है ।

श्री अध्यक्ष---उस के ऊपर आप बोलना चाहेंगे, लेकिन इस के ऊपर तो पालीवाल जी का जवाब हो चुका है ।

श्री राजनारायण---उस समय खुद से हमारे सामने यह प्रस्ताव नहीं आया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---आन ए प्वाइट आफ आर्डर । भाषणों में यह सुझाव तो दिया गया था, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव किसी ने पेश नहीं किया था ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, यह जो बहस हो रही थी उसमें जिस वक्त मेरे मोअज्जिज भाई राजनारायण साहब तकरीर फरमा रहे थे तो उन्होंने खुद यह सजेशन दिया था कि यह अमेंडमेंट आये हैं, एक कमेटी ने यह तजवीजें कीं और अगर इसका कुछ करना है तो इस सब को उसी कमेटी को लौटा कर भेज दीजिये और फिर इधर की तीन, चार तकरीरों में मैंने इसी बात की ताईद सुनी और मैंने देखा कि हमारे भाई राजनारायण साहब तशरीफ नहीं रखते हैं तो एक साहब ने इस तरह का एक रेजोल्यूशन पेश कर दिया, इन अल्फाजों में, जो इस वक्त जनाब के सामने पेश है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस सब के ऊपर बहस डिप्टी स्पीकर साहब के सामने हुई थी । तो इस वक्त म इस के ऊपर वोट नहीं लेता हूं । मैं उन से पूंछ लूंगा इस बीच में और कल इस के ऊपर वोटिंग वगैरह हो जायगी । यह ज्यादा अच्छा रहेगा । अगर यह उपस्थित हो चुका है तो सिर्फ इस के ऊपर वोटिंग होगी और कुछ नहीं और अगर उपस्थित नहीं हुआ है तो बहस थोड़ी सी हो सकती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैंने यह कहा था कि अभी तो आपका यह सुझाव है । आप पेश करना चाहते हैं तो प्रस्ताव कीजिये । उन्होंने पेश नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---मैं उनसे पूछ लूंगा ।

विधान सभा के सदस्य श्री हरदयाल सिंह की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं सदन को एक सूचना दे देना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य श्री हरदयाल सिंह, शाहजहांपुर सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा धारा ४१ के उल्लंघन करने के अपराध में १२ नवम्बर, १९५७ को प्रातःकाल साढे ९ बजे मद्रास में गिरफ्तार कर लिये गये हैं । यह सूचना यहां आई है, जो मैं सदन को दे रहा हूं ।

३० नवम्बर, १९५७ को लखनऊ जेल में कतिपय बन्दियों पर लाठी-चार्ज आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी का जो कामरोको प्रस्ताव है वह इस प्रकार है---

"गत ३० नवम्बर सन् १९५७ को लखनऊ जेल में बुरी तरह लाठी चार्ज हुआ। सर्वश्री रामसागर मिश्र, कृष्णनाथ शर्मा, कृष्णपाल सिंह, अंगजू प्रसाद, नीलकन्ठ, रामप्रसाद, महादेव,

श्री सम्पूर्णा]

महावीर, बाबूलाल, लखसागर वर्मा, श्यामाचरण, रामबढ़ाई, रामअवध तथा अन्य अन्दियों को लाठी, घूंसा, डंडा से मार मार कर जबरदस्ती उठा उठा कर उन्हें बैरकों में फेंका गया। कौन कहां रहता है बिना इसका ख्याल किये हुए मनमाने ढंग पर बन्द करके सामान लूट लिया गया।

यह उपर्युक्त कार्य जिस निरंकुश स्वेच्छाचारी तथा बर्बर ढंग पर किया गया उसने जनतान्त्रिक व्यवस्था की जड़ को झकझोर कर हिला दिया है जिससे प्रदेश का प्रत्येक शोषित, पीड़ित कम्पायमान हो गया है।

अतः यह सदन उपर्युक्त विषम तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके बारे में जो सबेरे तक मालूमात थीं उसके अनुसार मैंने इसको बैध करार दे कर इस पर सदन की अनुमति ले ली थी। अभी मुझे मुख्य मंत्री जी ने कुछ सूचना और दी और इसलिये मैं खुद खासतौर से यहां पर आया हूं कि मैं यह जान लूं कि क्या नयी सूचना उनको मिली।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे स्वयं इस बात का दुख है कि सवेरे जिस विषय पर विचार हो रहा था उसकी यह सूचना हमारे पास नहीं थी। अभी कागजात मिले हैं। ऐसा मालूम होता है कि जिस तारीख की यह घटना है, ३० नवम्बर की, उसी दिन माननीय राजनारायण ने हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त पेश की, वह अन्डर आर्टिकिल २२६ आफ दी कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के उन्होंने पेश की है। उसमें जो कुछ बातें डा० लोहिया के सम्बन्ध में हैं उनको मैं छोड़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप उसको पूरा ही पढ़ दीजिये, जिससे पूरा प्रसंग मालूम हो जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अच्छा, मैं पूरा ही पढ़े देता हूं। यह (१) सुपरिन्टेन्डेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ, (२) सिटी मजिस्ट्रेट, लखनऊ, (३) सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस, लखनऊ, और (४) यू० पी० गवर्नमेंट इन चार के खिलाफ उन्होंने दायर की है—

"The application of the petitioner most respectfully showeth as under—

1. That 64 Satyagrahis including Dr. Ram Manohar Lohia, Mr. Ram Sagar Misra, Krishnapal Singh, Ram Lochan, Krishna Nath Sharma, are at present lodged in District Jail, Lucknow.

2. That the Government of U. P. which is at present run by Congress Party, has adopted all sorts of tactics of harassment, violence, maltreatment, humiliation, torture to socialist Satyagrahis.

3. That the High Court has been pleased to admit a writ petition filed by Mr. Dharamvir Goswami, a member of the State Executive of the Socialist Party on November 29, 1957, for the release of Dr. Ram Manohar Lohia and has issued notice to the four opposite parties named in this petition. The High Court has also observed that legal advisers could visit him in Jail barrack for instructions.

4. That on November 29, 1957, Sri Hari Karan Nath Misra, Advocate, visited the District Jail, Lucknow, for the purpose of taking instructions, but the interview was not allowed in the Jail barrack by the Superintendent of the Jail.

5. That on November 30, 1957, the trying Magistrate reached the District Jail to try the case of Dr. Ram Manohar Lohia in the Jail premises.

6. That none of the pairokars or legal advisers had any knowledge about the date of hearing being fixed for to-day (November 30, 1957) on account of the refusal of the Jail authorities to permit the counsel of Dr. Lohia to meet him in the Jail barrack.

7. That Dr. Lohia refused to attend the Court on four grounds (i) the legal advisers were not permitted to interview him in Jail barrack and he could not have any instructions, (ii) that the case was already *sub judice* before the High Court and notice had already been taken by the Additional Government Advocate on behalf of all the four opposite parties, (iii) that he had no faith in the Magistrate and he had already written to the High Court about it, but no orders on it were communicated to him till then, (iv) that the Magistrate had no jurisdiction to try the case.

8. That at the insisitence of the City Magistrate who was also present there the Jail authorities used force to forcibly drag Dr. Lohia to the Court. The Socialist Satyagrahis were with Dr. Lohia in the same barrack compound. A large force of some 200 men which included a posse of regular police, warders of District Jail, Model Jail, Reformatory School and convict warders and convict orderlies, suddenly entered the barrack and beat the Socialist Satyagrahis mercilessly by lathis, blow, kicks and by knocking them down and about 27 were seriously injured, particularly Sri Krishna Nath Sharma, Ram Sagar Misra and Sri Krishna Pal Singh. Dr. Lohia was tied to a chair and was forcibly taken to the court compound in jail. It has been most reliably learnt that a severe lathi charge was resorted to.

9. That by force the thumb-impression of Dr. Lohia was taken on some documents by jail officers at the orders of the Court concerned.

10. That the injured persons have been segregated in cells and it is feared that further maltreatment and beatings are to be given to them.

11. That all attempts to contact Jail authorities and the Government to meet prisoners for interview have failed.

It is, therefore, prayed that—

The court may be pleased to order the immediate production of the Satyagrahis including Dr. Lohia, Mr. Krishna Pal Singh, Mr. Ram Sagar Misra, Krishna Nath Sharma before the Court.

The Court may further be pleased to permit interviews with the Satyagrahis in the presence of an officer of the court, and may laso be pleased to order for medical examination of the Satyagrahis by independent medical practitioners in presence of an officer of the court.

The Court may be pleased to order for an immediate and on the spot enquiry by an officer subordinate to the High Court.

(Sd.) RAJ NARAIN."

इसके बाद पहली तारीख को जस्टिस नसीरुल्ला बेग ने यह आर्डर दिया:—

"Let the application for interview be made again to-day. The Civil Surgeon, Lucknow and the Additional Civil Surgeon, Dr. D. N. Sharma may be directed to examine the persons alleged to be injured as soon as possible and submit their reports."

मेरा निवेदन यह है कि यह रिपोर्ट जो सिविल सर्जन वगैरह ने हाई कोर्ट को सबमिट की है, वह रिट एप्लीकेशन के सिलसिले में है, इसलिये वह सारा मामला सबजुडिस है। इसलिये मेरे खयाल से इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, जो आपत्ति माननीय नेता सदन ने उठायी है उसमें कोई तथ्य इसलिये नहीं मालूम होता कि जो दरख्वास्त इस सदन के सामने पढ़ी गयी उसमें डाक्टर लोहिया का जो मुकदमा मैजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है और हाईकोर्ट के सामने चल रहा है, उसका जिक्र है। जो ६४ या ५४ आदमी जेल में हैं उन पर न कोई मुकदमा है और न उनका मामला किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अथवा हाईकोर्ट के सामने है, सारा मामला डाक्टर लोहिया का है। जो कामरोको प्रस्ताव है और जिसकी स्वीकृति मान्यवर ने दी और जिस पर इस वक्त विचार हो रहा है उसका सम्बन्ध डाक्टर लोहिया से नहीं है, बल्कि उन अन्य लोगों से है जिन को जेल में मारा-पीटा गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल दरख्वास्त पढ़ी। रिट एप्लीकेशन में ऐफीडेविट होता है और फिर उस पर एक काउन्टर एफीडेविट होता है, जो वकील सरकार ने दाखिल किया हो। अगर उसका काउन्टर ऐफीडेविट देखा जाय तो जो मैं निवेदन कर रहा हूं उसका यही नतीजा निकलेगा कि दोनों मामले अलाहदा हैं। डाक्टर लोहिया का मामला अलाहदा है।

श्री अध्यक्ष—क्या इस केस में काउन्टर ऐफीडेविट पेश हुआ है?

श्री त्रिलोकी सिंह—ऐसी एप्लीकेशन्स जो हाईकोर्ट में पेश की जाती हैं उनके लिये यह लाजिमी है कि एफीडेविट दिया जाय। राजनारायण जी ने जब यह दरख्वास्त दी होगी तो उन्होंने ऐफीडेविट भी दिया होगा और उस पर सरकार की तरफ से काउन्टर ऐफीडेविट दिया गया होगा। अगर वह सदन के सामने आये तो यह साफ हो जायगा कि यह सब लाठीचार्ज का मामला सबजुडिस नहीं है। यह ऐप्लीकेशन जरूर आर्टिकिल २२६ के अन्तर्गत दी गयी है। इसमें कहीं भी यह प्रेयर नहीं की गयी कि जिन लोगों ने अपराध किया है उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय। क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्रेयर नहीं है इसलिये यह मामला जेरे गौर अदालत नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं आपके सामने सब तथ्य पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—सबेरे तो आपने चीफ मिनिस्टर की बात कही थी।

श्री राजनारायण—सवेरे तो मैं यह कह रहा था कि मेरी जानकारी है कि ७ नवम्बर को डाक्टर डी० एन० शर्मा चीफ मिनिस्टर के निर्देश पर डाक्टर लोहिया की परीक्षा करने गये। तो मुझे इस बात की थोड़ी सी प्रसन्नता जरूर है कि जो बात मैंने इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में नहीं रखी थी उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं रख दिया। माननीय नेता विरोधी दल श्री त्रिलोकी सिंह ने तो इसका लीगल आस्पेक्ट सामने रखा है।

श्री अध्यक्ष—आप इधर उधर न जाकर असल बात के ऊपर आ जायं।

*श्री राजनारायण—अब अगर यह देखा जाय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया, अगर वे अपने द्वारा ऊपर से सब चीजों को देखने की कृपा न करें तो यह बिलकुल निश्चित है कि अगर हमारा कोई रिट पेटीशन होगा तो उस पर ऐफिडेविट जरूर दिये होंगे, फिर उस पर काउन्टर ऐफिडेविट होगा, इस तरह से तमाम कार्यवाही होगी। लेकिन यह कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे ३० तारीख को साढ़े ६ बजे एक ऐडवोकेट श्री ठाकुर प्रसाद सक्सेना हैं उनसे मालूम हुआ कि वहां काफी लाठी चार्ज हुआ है जिससे लोहिया साहब को भी काफी चोट लगी है। लोहिया साहब को श्रीमन्, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और इस तरह से कहीं उनका हार्ट फेल हो जाता, तब क्या होता? सरकार तो यह चाहती थी कि उनका प्राणान्त ही हो जाय, ताकि किसी को मालूम भी न हो सके कि वे कैसे मरे। मैं एक-एक बात को साबित करके बतला दूंगा। अब जान नहीं बचेगी, इतने प्रमाण हमारे पास आ चुके। एक ऐसा क्रान्तिकारी जो सारी दुनियां में क्रांति की चिनगारी फैलाना चाहता है उसका आप प्राणान्त करने पर तुले हुये हैं।

नोट:—वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---आप केस के मुताल्लिक ही कहें ।

श्री राजनारायण---मैं उसी पर आ रहा हूं । मैं एक बजे रात को श्री रणधीर सिंह जी जो एक सीनियर जज हैं, उनके यहां गया और अमेरिकन कांस्टीट्यूशन का हवाला देते हुये उनसे कहा कि वहां रात में भी ऐप्लीकेशंस ली जाती हैं, वे बेचारे आये और उन्होंने हमारे ऐप्लीकेशन को पढ़ा और कहा कि राजनारायण जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं ? इस पर मैंने कहा कि अगर कोई आदमी जेल में मर जाय और उसकी कोई सुनवाई न हो, फिर बाद में क्या किया जा सकता है ? इस पर उनसे काफी डिस्कशन घंटे भर तक हुआ । बाद में उन्होंने अपनी एक दिक्कत यह बतलायी कि अब तो मेरा समय निकल गया क्योंकि एक बज चुका है, अब इस पर कोई आर्डर जस्टिस बेग ही कर सकते हैं । मेरा चार्ज १२ बजे तक ही था । फिर मैं वहां से जस्टिस बेग के यहां गया और उनको सारी बातें बतलायीं । उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि इसके ऊपर ऐफिडेविट हुआ होगा, फिर मैं क्या करूं ? मैंने उनसे कहा कि साहब आपके पास मैं न्याय के लिये आया हूं । जेल में बुरी तरह से लाठी चार्ज हो और एक आदमी बुरी तरह से मर रहा हो, तो यदि अभी आप इसके ऊपर फैसला नहीं देंगे तो वे कैसे बच सकते हैं ? एक घंटे तक उनसे बहस हुई, फिर उन्होंने लिख कर उस ऐप्लीकेशन पर यह आर्डर दिया—

'Let the application for interview be made again today. The Civil Surgeon, Lucknow and the Additional Civil Surgeon, Dr. D. N. Sharma may be directed to examine the persons alleged to be injured as soon as possible and submit their reports.'

श्री अध्यक्ष---कोई ऐफिडेविट दी गयी ?

श्री राजनारायण---जी नहीं । जो हमारा रिट ऐप्लीकेशन है उस पर सिविल सर्जन व ऐडिशनल सिविल सर्जन ने जो रिपोर्ट दी, उसकी बाकायदा कापी मैं रुपया खर्च करके लाया हूं और आपकी खिदमत में चाहेंगे तो पेश कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझता हूं कि अब सवाल यह है कि यह सबजुडिस है या नहीं । यह एक कानूनी प्रश्न है जिस पर मुझे भी ऐडवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी । आपने भी कहा कि ऐफिडेविट नहीं दाखिल हुई, काउन्टर ऐफिडेविट भी नहीं हुई । तो ये चीजें ऐसी हैं जिस पर मैं आज निर्णय नहीं दूंगा । इन बातों का पता कल लगेगा । सिर्फ हम चाहते हैं कि सब कागजात कल आ जाने चाहिये, अगर यह मामला सब-जुडिस नहीं होगा तो यह डिबेट आज के बजाय कल ४ बजे होगा ।

श्री राजनारायण---जब सब-जुडिस वाला मामला आप लेते हैं तब तो यह स्पष्ट हो जायगा कि यह सब-जुडिस नहीं है, कतई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---तो फिर आज की परमिशन आप को कल काम देगी ।

श्री राजनारायण---तो मैं श्रीमन्, आप से एक निवेदन और करूंगा कि लोहिया वाली इन्क्वायरी की बात जो आपने रिजेक्ट की है वह भी सब-जुडिस नहीं है, उसकी भी इन्क्वायरी आप करा लें, क्योंकि यह तो जेल में बन्द करके जान मारने की कोशिश है ।

श्री अध्यक्ष---अगर वह सब जुडिस नहीं है और अगर कोई ऐसी चीज इस सिलसिले में आती है तो मैं उस पर पुनर्विचार कर सकता हूं । मैं समझता हूं कि यह तो अब कल के लिए स्थगित रहा और क्या अब सदन की इच्छा है कि अब नियमावली पर फिर बहस जारी हो या अब आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाय ?

बहुत से सदस्य---अब खत्म कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---तो फिर आज का काम मैं समाप्त करता हूं।

श्री चरणसिंह के इस्तीफे के विषय में पूछताछ

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह भूल गया था, एक निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर बड़ी चर्चा है कि चौधरी चरण सिंह साहब ने अपना इस्तीफा पेश किया था और सुना है कि बड़े-बड़े चार्जेज हैं जिनमें हर मिनिस्टर की कलई खोली गई है । मैं चाहता हूं कि उस इस्तीफे को सदन की प्रापर्टी बना दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप जबरन तो यह नहीं कर सकते .....

श्री राजनारायण---उसमें बड़ी चर्चा है कि किस तरह से हर मिनिस्टर के काम....

३० नवम्बर, १९५७ को लखनऊ जेल में कतिपय बन्दियों पर लाठी-चार्ज आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---राजनारायण जी, आपके पास जो भी सब--जूडिस होने न होने के बारे में कागजात हों, जिनसे प्रकाश पड़ सकें कि मामला अदालत के सामने सब-जुडिस है या नहीं, वह आप ले आयें ।

श्री राजनारायण---हमारे पास तो जो थे वह हमने पढ़ दिये ।

श्री त्रिलोकी सिंह---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में संविधान की धारा २२६ में क्या प्रिविलेजेज हैं और किन परपजेज के लिये एप्लीकेशन हाईकोर्ट में दी जा सकती है, अगर आप मौका दें तो मैं यह सब आपके सामने पेश करूंगा कि लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कहां तक संविधान की धारा २२६ का जुरिसडिक्शन एक्सरसाइजेबिल है या नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---वह तो कानूनी बात होगी, पहले तो फैक्ट्स की जानकारी मुझे हो जानी चाहिये । वह दोनों तरफ से दीजा सकती हैं, गवर्नमेन्ट की तरफ से भी और आप की तरफ से भी । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी तैयार हो कर आ जायं और मुझे यह भी सूचना दें कि उनकी तरफ से काउन्टर एफिडेविड दाखिल हुआ या नहीं ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
६ दिसम्बर, १९५७ ।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

तालिका 'अ'

विवरण-पत्र जिसमें १९५६–५७ के सीजन में कारखानों के चलने, बन्द होने के दिनांक, पेरी गई ईख और उत्पादित चीनी के आंकड़े दिखाये गये हैं—

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम	चलने की तिथि	बन्द होने की तिथि	पेरे गये गन्ने का परिमाण लाख मन	उत्पादित चीनी का परिमाण लाख मन
१	२	३	४	५	६
	पश्चिमी उत्तर प्रदेश—				
१	इकबालपुर ..	११–१२–५६	२०–५–५७	४२.६६८	२.२६६
२	बोईवाला ..	३०–११–५६	३१–५–५७	२१.७५९	२.०५०
३	देवबन्द ..	३–११–५६	२१–६–५७	५८.७१८	६.०९०
४	लक्सर ..	२८–११–५६	१७–५–५७	४७.९६२	४.८५९
५	सहारनपुर ..	२२–११–५६	२४–५–५७	५९.३५१	५.७३४
६	मनसूरपुर ..	३–११–५६	२२–५–५७	८७.९८६	८.६७९
७	खतौली ..	७–१२–५६	१२–६–५७	५५.५६२	५.७३०
८	रोहाना ..	२–१२–५६	३०–५–५७	५१.९४५	५.०६३
९	सामली ..	१५–११–५६	२–७–५७	९०.५७५	८.७६५
१०	सखोटी ..	२१–११–५६	१४–५–५७	३०.८८७	२.९४९
११	बौराला ..	१९–११–५६	२६–५–५७	५८.३०६	५.७४१
१२	जसवन्त ..	२४–१०–५६	१६–५–५७	५६.८१२	५.६१३
१३	मुहीउद्दीनपुर ..	४–११–५६	१०–५–५७	३९.१४९	३.८०३
१४	बेगमाबाद ..	४–११–५६	३–५–५७	४५.१९७	४.६४२
१५	सम्भौली ..	२०–११–५६	३१–५–५७	५८.५३९	५.८२२
१६	मवाना ..	१९–११–५६	१३–५–५७	४८.७२०	४.७८४
१७	बुलन्दशहर ..	१०–११–५६	१६–६–५७	५२.८००	५.१५४
१८	काशीपुर ..	४–११–५६	५–६–५७	३७.६२१	३.४९४
१९	न्योली ..	२५–११–५६	९–६–५७	४५.६५९	४.३५५
२०	अमरोहा ..	२२–११–५६	२–६–५७	६८.३३४	७.१६७
२१	बिलारी ..	४–११–५६	१०–६–५७	६१.६६३	६.०६६
२२	बहेरी ..	८–११–५६	२८–६–५७	६४.१४९	६.१७२
२३	बरेली ..	४–११–५६	२–७–५७	५२.६४८	४.८६५
२४	पीलीभीत ..	८–११–५६	६–७–५७	८८.२१३	७.८००
२५	धामपुर ..	२०–११–५६	१७-५-५७	३७.३९५	३.६००
२६	सिवहारा ..	४–११–५६	३१–५–५७	१०८.३२७	११.२४१
२७	बिजनौर ..	२२–११–५६	२८–५–५७	४९.६२१	५.१४९
२८	रोजा ..	२२–११–५६	३१–५–५७	३५.४१२	३.३०८
२९	बुलन्द ..	१–१२–५६	१७–६–५७	५१.३६२	५.२७३
३०	रजा	२२–११–५६	३–६–५७	५०.३७५	५.००४
३१	हरबोई ..	४–११–५६	१४–६–५७	७४.४१२	७.०४५
३२	हरगांव ..	४–११–५६	७–७–५७	१२४.८८१	१२.१४४
३३	महोली ..	४–११–५६	१३–६–५७	६१.५०९	५.९७९
३४	गोला ..	४–११–५७	११–७–५७	१३६.४६४	१३.१५५
३५	ऐरा ..	२९–११–५६	२७–५–५७	३३.५१०	३.३६९
	योग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ..	..		२०८८.५९१	२०४.९२९

क्रम-संख्या	फैक्ट्री का नाम		चलने की तिथि	बन्द होने की तिथि	पेरे गये गन्ने का परिमाण लाख मन	उत्पादित चीनी का परिमाण लाख मन
१	२		३	४	५	६
	पूर्वी उत्तर प्रदेश—					
३६	बाराबंकी	..	२२–११–५६	५–७–५७	४२.८०४	३.९२१
३७	बुढ़वल	..	२२–११–५६	३–७–५७	३०.२२५	२.७४०
३८	मसोधा	..	२६–११–५६	६–४–५७	३४.४०८	३.२६९
३९	बिस्वां	..	४–११–५६	३–७–५७	३९.६२३	३.५१६
४०	शाहगंज	..	२९–११–५६	१–४–५७	२७.२१३	२.६३९
४१	खलीलाबाद	..	३१–१०–५६	१०–४–५७	२०.९६७	१.९२१
४२	मुन्डेरवा	..	२२–११–५६	१५–४–५७	२३.६१४	२.२९१
४३	बस्ती	..	२८–११–५६	१९–४–५७	२९.३८०	२.९८६
४४	वाल्टरगंज	..	२३–११–५६	१२–४–५७	२७.५०२	२.७११
४५	बभनान	..	७–१२–५६	१६–४–५७	२२.७५५	२.२९४
४६	नवाबगंज	..	२९–११–५६	१–५–५७	४४.०७३	४.१३७
४७	तुलसीपुर	..	१२–११–५६	२१–६–५७	३९.६६३	३.६४३
४८	बलरामपुर	..	१२–११–५६	२४–४–५७	२९.९८२	२.६७६
४९	जरवल रोड	..	२५–११–५६	३०–६–५७	३७.३८१	३.२८६
५०	परतावपुर	..	२६–११–५६	५–४–५७	२४.७४७	२.३२२
५१	बैतालपुर	..	२८–११–५६	१३–४–५७	२६.१८०	२.५८०
५२	गौरीबाजार	..	२०–११–५६	२७–३–५७	२२.१९९	२.२७२
५३	देवरिया	..	१–१२–५६	५–४–५७	२७.०६२	२.७०८
५४	कैप्टेनगंज	..	२२–११–५६	८–४–५७	३०.९८९	२.९३७
५५	सेडुवा	..	१३–१२–५६	७–४–५७	१७.४६८	१.६३८
५६	छितौनी	..	१६–११–५६	३–४–५७	१८.४५३	१.६९०
५७	लक्ष्मीगंज	..	२८–११–५६	३१–३–५७	२१.५८९	१.९८२
५८	रामकोला (पी)	..	२२–११–५६	२१–३–५७	३८.०९५	३.६०८
५९	रामकोला (के)	..	२८–११–५६	३०–३–५७	२४.०३७	२.१८९
६०	पडरौना	..	६–१२–५६	५–४–५७	२४.६६३	२.१५३
६१	कठकुइयां	..	३–१२–५६	५–४–५७	१७.६६२	१.६४२
६२	सरदार नगर	..	२३–११–५६	१८–४–५७	७०.९२१	६.९०५
६३	शिवराही	..	२६–११–५६	१७–४–५७	२८.११६	२.८०४
६४	पिपराइच	..	२२–११–५६	११–४–५७	२८.०१९	२.७४३
६५	घुघली	..	३–१२–५६	३१–३–५७	२३.९२२	२.२५३
६६	सिसवाबाजार	..	२९–११–५६	११–४–५७	२१.७२६	२.०७२
६७	फरेंदा	..	३१–१०–५६	२६–४–५७	३०.५८८	२.७८४
	पूर्वी उत्तर प्रदेश का योग	..	..		९४६.०२६	८९.३१४
	योग, पूरे उत्तर प्रदेश	..	..		३०३४.६१७	२९४.२४३

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

तालिका 'ब'

सन् १९५६–५७ में मिलों के बन्धन में रहे हुए गन्ना (Bonded Cane) के विवरण की तालिका

क्रम-संख्या	फैक्ट्री का नाम	यूनियन का नाम	गन्ना दिया	योग
१	२	३	४	५
			लाख मन	लाख मन
१	इकबालपुर ..	इकबालपुर	५२.३०	..
		मुजफ्फरनगर	..	५२.३०
२	डोईवाला ..	लक्सर	२.००	
		डोईवाला	१५.००	
		देहरादून	८.००	२५.००
३	देवबन्द ..	सहारनपुर	१०.००	
		देवबन्द	७०.००	८०.००
४	लक्सर ..	लक्सर	६१.५०	६१.५०
५	सहारनपुर ..	सहारनपुर	४९.३५	
		सरसवा	२२.५०	७१.८५
६	मन्सूरपुर ..	मन्सूरपुर	४६.००	
		मुजफ्फरनगर	३२.५०	
		रामेराज	६.००	
		इकबालपुर	२.५०	८७.००
७	खतौली ..	खतौली	६०.००	६०.००
८	रोहाना ..	रोहाना	४२.५०	
		मुजफ्फरनगर	१६.००	
		इकबालपुर	३.००	६१.५०
९	शामली ..	शामली	८५.००	
		सहारनपुर	१२.००	९७.००
१०	सखोती टांडा ..	रामराज	२.००	
		सखौती टांडा	३५.२२	३७.२२
११	दौराला ..	दौराला	५३.००	
		मवाना	३.५०	५६.५०
१२	जसवन्त ..	रामराज	१.००	
		मलियाना	५३.००	
		मेरठ	४.००	
		दौराला	४.००	६२.००
१३	मोहिउद्दीनपुर ..	मोहिउद्दीनपुर	३०.००	
		मेरठ	१५.००	४५.००
१४	बेगमाबाद ..	बेगमाबाद	३८.००	
		हापुड़	६.२५	
		मेरठ	२.५०	४६.७५

क्रम-संख्या	फैक्ट्री का नाम	यूनियन का नाम	गन्ना दिया	योग
१	२	३	४	५
			लाख मन	लाख मन
१५	सिम्भौली ..	सिम्भौली	५२.५०	
		हापुड़	१.५०	
		कचेसर	६.००	
		बी० बी० नगर	५.००	
		मेरठ	२.००	६७.००
१६	मवाना ..	मवाना	४७.००	४७.००
१७	बुलन्दशहर ..	बुलन्दशहर	५५.००	
		हापुड़	१.७५	
		मोदीनगर	१.२५	५८.००
१८	काशीपुर ..	हल्द्वानी	०.४२	
		मुरादाबाद	१.२५	
		काशीपुर	२३.००	
		बाजपुर	२.००	२६.६७
१९	नेवली ..	बदायूं	२९.००	
		हल्द्वानी	०.९०	
		नेवली	१३.७०	४३.६०
२०	अमरोहा ..	अमरोहा	५०.००	
		बिजनौर	३१.००	
		मुरादाबाद	१.५०	८२.५०
२१	बिलारी ..	बदायूं	१२.००	
		चन्दौसी	५.००	
		बिलारी	४१.००	
		मुरादाबाद	६.७५	६४.७५
२२	बहेड़ी ..	हल्द्वानी	१०.८०	
		फूलबाग	०.१७	
		बरेली	५३.३६	६४.२३
२३	बरेली ..	हल्द्वानी	४.६०	
		फूलबाग	६.००	
		बरेली	४३.०२	५३.६२
२४	पीलीभीत ..	पीलीभीत	८६.००	८६.००
२५	धामपुर ..	धामपुर	५०.००	
		बिजनौर	१.२५	५१.२५
२६	सिवहारा ..	सिवहारा	५४.००	
		बिजनौर	१९.००	
		काथ	२५.००	९८.००
२७	बिजनौर ..	बिजनौर	६५.००	६५.००
२८	रोजा ..	जे० बी० गंज	४.००	
		राजा	२७.८५	
		शाहजहांपुर	१८.६०	५०.४५

क्रम-संख्या	फैक्ट्री का नाम	यूनियन का नाम	गन्ना दिया	योग
१	२	३	४	५
			लाख मन	लाख मन
२९	बुलन्द ..	हल्द्वानी	२.५०	
		काशीपुर	४.००	
		मुरादाबाद	५.००	
		फूलबाग	६.४०	
		रामपुर	९०.००	
		बाजपुर	१०.००	११७.९०
३०	हरबोई ..	हरबोई	३१.०४	
		सीतापुर	७.३६	
		जिला गन्ना उत्पादक समिति	२७.८४	६६.२४
३१	हरगांव ..	फरधान	१८.००	
		लखीमपुर	३५.००	
		अरुईखाना	८.००	
		हरगांव	५५.००	
		सीतापुर	१२.२०	
		ऐशबाग	२.५०	१३०.७०
३२	महोली ..	जे० बी० गंज	१५.००	
		महोली	५२.००	६७.००
३३	गोला ..	गोला	९५.००	
		पालिया भिरा	६०.००	
		फैक्ट्री फार्म	३.५०	
		पीलीभीत	६.००	
		कोलोनाइजेशन	१.००	
		बिल्ग्राम ..	१.००	१६६.५०
३४	ऐरा	ऐरा	४०.००	४०.००
३५	बुढ़वल ..	बुढ़वल	१८.००	
		बड़ागांव	७.४०	
		बिस्वां	०.२५	२५.६५
३६	बाराबंकी ..	बाराबंकी	३०.००	
		जुग्गौर	३.००	
		ऐशबाग	२.४०	३५.४०
३७	मसोधा ..	फैजाबाद	२५.००	
		बाराबंकी	२.००	
		दरियाबाद	७.००	३४.००
३८	बिस्वां ..	बिस्वां	४०.००	४०.००
३९	शाहगंज ..	फैजाबाद	३.५०	
		शाहगंज	१६.००	
		आजमगढ़	५.६०	
		जौनपुर	१.३०	२६.४०
४०	खलीलाबाद ..	भटनी	४.००	
		खलीलाबाद	९.५०	
		जरवल रोड	५.२०	१८.७०

क्रम-संख्या	फैक्ट्री का नाम	यूनियन का नाम	गन्ना दिया	योग
१	२	३	४	५
			लाख मन	लाख मन
४१	मुन्डेरवा ..	मुन्डेरवा	१५.००	
		गोंडा	०.५०	
		जरवल रोड	४.००	१९.५०
४२	बस्ती. . ..	बस्ती	२६.००	२६.००
४३	वाल्टरगंज ..	वाल्टरगंज	२३.००	
		तिनिच	२.८०	२५.८०
४४	बभनान ..	गौर	५.००	
		बभनान	२०.००	२५.००
४५	नवाबगंज ..	मंकापुर	९.१०	
		नवाबगंज	२८.५०	
		गोंडा	६.२५	४३.८५
४६	तुलसीपुर ..	तुलसीपुर	३६.३५	
		बढ़नी	३.००	३९.३५
४७	बलरामपुर ..	गोंडा	३.७५	
		बलरामपुर	२१.४५	
		तुलसीपुर	३.००	२८.२०
४८	जरवल रोड ..	जरवल रोड	३३.५०	
		बिस्वां	११.००	४४.५०
४९	परतावपुर ..	परतावपुर	२८.६६	२८.६६
५०	बैतालपुर ..	बैतालपुर	२५.००	
		स्तारोउ	१.००	
		इन्दारा	१.५०	
		आजमगढ़	५.६०	३३.१०
५१	गौरीबाजार ..	अकाथा	२१.००	२१.००
५२	देवरिया ..	देवरिया (पी)	२५.७५	
		बढ़जबाजार	१.८०	
		सलीमपुर	१.१०	
		भाटपुर रानी	३.००	
		नून्खार	१.२०	
		बंकाता	०.६०	
		भटनी	०.८०	
		बेल्थरा रोड	१.७५	३६.००
५३	कैप्टेनगंज ..	वोदरबार	५.५०	
		कैप्टेनगंज	२३.००	
		दुधई	२.७५	
		पिपराइच	१.००	३२.२५
५४	खड्डा	खड्डा	१६.००	१६.००
५५	छितौनी ..	छितौनी	१८.००	१८.००
५६	लक्ष्मीगंज ..	लक्ष्मीगंज	१७.००	
		तरैया सुजान	१.००	१८.००

क्रम-संख्या	फैक्ट्री का नाम	यूनियन का नाम	गन्ना दिया	योग
१	२	३	४	५
			लाख मन	लाख मन
५७	रामकोला (पी) ..	काजिया	६.००	
		रामकोला (पी)	३२.००	३८.००
५८	रामकोला (के) ..	रामकोला (के)	१८.०१	१८.०१
५९	पदरौना ..	पदरौना	२१.००	२१.००
६०	कठकुइयां ..	कठकुइयां	१४.००	१४.००
६१	सिवराही ..	भटनी	०.७५	
		तरैया सुजान	५.५०	
		सिवराही	१८.००	२४.२५
६२	सरदारनगर ..	सरदारनगर	२५.००	
		नुन्खार	१.७५	
		कुराघाट	१.००	
		हाता	३५.००	
		लार रोड	०.०३	
		पिपराइच	३.००	६५.७८
६३	पिपराइच ..	पिपराइच	२५.००	
		वोदरबार	०.२५	
		कैप्टेनगंज	०.०५	२५.३०
६४	घुघली ..	घुघली	२४.००	२४.००
६५	सिसवाबाजार ..	सिसवाबाजार	२२.००	
		खड्डा	०.२०	२२.२०
६६	आनन्द नगर ..	मनिराम	०.३०	
		पिपीगंज	०.८०	
		कैम्पायरगंज	५.२०	
		फरेंदा	१०.५०	
		बृजमैनगंज	४.५०	
		शहजनवां	१.५०	
		बढ़नी	४.७७	२७.५७
६७	गवर्नमेंट एक्सपेरिमेन्टल शुगर फैक्ट्री, कानपुर	सी० डी० यूनियन, गौटिया	०.८०	०.८०
६८	बिहार स्टेट ..	वाराणसी यूनियन	०.९०	०.९०
		कुल योग ..		३२०७.२०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

प्रश्न संख्या १५ में उल्लिखित लघु उद्योगों के लिए १२४५ व्यक्तियों को दी गई आर्थिक सहायता की सूची

उद्योग का नाम	पाने वालों की संख्या
१—चर्म उद्योग	१०१
२—तेल घानी उद्योग	१९१
३—बुनाई व कताई	१५८
४—साइकिल के पुर्जे	१९
५—छपाई व रंगाई	४८
६—इलेक्ट्रोप्लेटिंग	१७
७—साबुन उद्योग	२१
८—ताला उद्योग	५
९—कृषि यंत्र	१८
१०—प्लास्टिक	१६
११—दरी बनाना	३
१२—तांबे पीतल के बर्तन	२४
१३—धान व आंटा चक्की	२२
१४—बढ़ईगीरी व आरा मशीन	५९
१५—छपाई प्रेस	२४
१६—इंजीनियरिंग	२३१
१७—रसायन पदार्थ उद्योग	५२
१८—खाद्य-सामग्री	३०
१९—भवन निर्माण सामग्री	१४
२०—कागज उद्योग	२४
२१—खिलौना बनाना	३७
२२—सिलाई उद्योग	६५
२३—विविध उद्योग	६६

(उदाहरणार्थ बर्तन, चीनी के बर्तन, कच्चे माल व प्रशिक्षण आदि के लिए)

योग ..	१,२४५

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

प्रार्थियों की मांगें	मांगों पर की गई कार्यवाही
१—फतेहपुर शाख और रामबाग गूल का पानी बराबर अनुपात में बांटा जाय।	१—रामबाग गूल और फतेहपुर शाख में लगभग बराबर अनुपात में पानी चलता है इसलिए इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
२—रामबाग गूल का शटर हटा कर वहां पर पनसाल बनवाई जाय।	२—गूलों में पनसाल नहीं बनाई जाती क्योंकि उनके चलने पर कोई देखभाल नहीं रखी जाती और वे स्वयं काश्तकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
३—साइफन के जंगलों का उचित प्रबन्ध किया जाय ताकि पानी पास होने से न रुक सके।	३—जंगलों की मरम्मत करा दी गई है।
४—रामबाग गूल का नाम रामबाग शाख कर दिया जाय।	४—रामबाग गूल काश्तकारों की है, अतः इसका नाम काश्तकार स्वयं जिस प्रकार चाहें पुकार सकते हैं।

———

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

श्रीमान् सिंचाई मंत्री,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीमान् जी,

देवकठिया गांव में मिट्टी का काम इस वर्ष बिल्कुल नहीं हुआ है और लालधारी ओवरसियर ने पिछले वर्ष मिट्टी के खन्ते साफ करा कर के पेमेन्ट करा दिया। तीन अफसर इस पर रिपोर्ट दे चुके हैं।

२—बिखम्बरपुर गांव का बिल भगवान प्रसाद ठेकेदार ने चढ़ाया है, इस गांव में काम वहां के मास्टर साहब ने कराया है और पेमेन्ट छेदीसिंह के नाम १,८०० रुपये का किया गया जब कि मास्टर साहब ने बजाज साहब को कई अर्जियां दीं। मैंने २०० रुपये का काम कराया है।

३—श्री ईश्वरी प्रसाद ओवरसियर बाढ़ विभाग, गाजीपुर ने निम्नलिखित मेजरमेंट बुक्स में निम्नलिखित पन्नों पर मेजरमेन्ट खुद नहीं बढ़ाया है बल्कि ठेकेदार से बढ़वाया है।

एम० बी० नं० २६ पेज टू पेज १५० से १७५, १८८ से १९१।

नोट—इस नम्बर की किताब में शिवनाथ ठेकेदार व केदारनाथ गुप्ता सुपरवाइजर के लेख हैं।

१४ एल० एस० १५ एल० एस० ३५ एल० एस० ४ एल० एस०	इन किताबों में भी चार-चार आदमियों द्वारा बिल एन्टर किये गये हैं।

४—३० नवम्बर की मेजरमेन्ट बुक आडिट के समय में गायब की गई, उसका आज तक कोइ पता नहीं चला है।

५—श्री उमाशंकर तिवारी मिर्जापुर से बाउन्डरी स्टोन गंगा के द्वारा नाव से गाजीपुर को लाये गये जिसका कि साढ़े चार रुपया फी स्टोन पेमेन्ट किया गया जब कि एक स्टोन पर पिछले वर्ष डेढ़ रुपया आर० सी० गुप्ता ठेकेदार को दिया गया।

६—नवाबढरा उर्फ जन्ती रासपुरा गांव को ऊंचा नहीं कराया। सभापति ने श्रमदान में काम किया था उसका पैसा ठेकेदार को दिया गया। बजाज साहब जांच में गये और सभापति से कहा कि तुम्हें जेल में बन्द करा देंगे।

७—बिरहूपुर गांव का पेमेन्ट गलत हुआ है, वहां के प्रार्थना-पत्र को बजाज साहब ने दबा दिया है और वहां कोई जांच नहीं की। यह गांव जमानिया तहसील में है।

८—फाइव एल० एस० एम० बी० में बसुका गांव के कुएं का जिक्र है। बसुका गांव में एक कुआं बना देने का पेमेन्ट हुआ उसे मुहकमे के इंजीनियर साहब बिल्कुल ही खा गये।

९—गहुआ मकसूदपुर गांव में खारी मिट्टी के खन्ते ओवरसियर ने गलत नापा और पेमेन्ट हुआ। यदि आप उसकी जांच कराना चाहें तो आज भी करा सकते हैं। इस गांव में पक्के भी कुएं हैं।

१०—पंडित उमाशंकर तिवारी को १५,००० रु० का एडवान्स पेमेन्ट किया गया है और उसका रेट १२० रु०का ७५ सी० एफ० टी० चूना लिया जबकि टप्पूबवेल में ६५ रुपया का ७५ सी० एफ० टी० चूना लिया गया।

११—तारीख ९ मई, १९५७ के लोकप्रिय भारत के अखबार में गाजीपुर बाढ़ विभाग के अफसरों द्वारा जो पैसों का दुरुपयोग हो रहा है उसका ध्यान सरकार को दिलाया गया है कि पास के भट्ठे से इंटा न लेकर ८ मील दूरी के भट्ठे से इंटा लिया गया जब कि पास के ही भट्ठे में अच्छे किस्म का इंटा मौजूद था।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२ पर)

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश में निर्माण-कार्यों के विनियमन करने की व्यवस्था करने का विधेयक

यह इष्टकर है कि नागर एवं ग्राम्य क्षेत्रों के अनियोजित विकास को रोकने के उद्देश्य से निर्माण-कार्यों के विनियमन की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार, तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "सुख-सुविधा" (amenity) के अन्तर्गत सड़कें, जल-वितरण, सड़कों पर प्रकाश प्रबन्ध (street lighting), जल-निष्कासन (drainage), मल-निष्कासन (sewerage), सार्वजनिक पार्क तथा अन्य कोई सुविधा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त सुख-सुविधा निर्दिष्ट करे, है;

(ख) "भवन" का तात्पर्य किसी भी रचना (structure) या निर्माण (erec ion) अथवा किसी रचना अथवा निर्माण के भाग से है जो निवास, व्यवसाय, उद्योग अथवा अन्य प्रयोजनों के निमित्त प्रयोग में लाने के लिये अभिप्रेत हो, चाहे वह वास्तविक प्रयोग में हो अथवा न हो;

(ग) "स्थानीय निकायों के कमिश्नर" (Commissioner of local bodies) का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस पदनाम से युक्त करे;

(घ) "विनियमित क्षेत्र" (regulated area) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके संबंध में धारा ३ के अधीन प्रख्यापन किया गया हो;

(ङ) शाब्दिक विभिन्नताओं तथा सजातीय पदों सहित "विकास" का तात्पर्य भूमि, में उस पर, उसके ऊपर अथवा भीतर किसी भवन-निर्माण-कार्य, यांत्रिक-कार्य (engineering), खनिज-कार्य अथवा अन्य कार्य अथवा किसी भवन या भूमि में किसी सारवान परिवर्तन (material change) से है ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है;

(छ) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय से है जिसे राज्य सरकार किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस रूप में नियुक्त करे ;

(ज) किसी भवन के संबंध में "निर्माण करने" का तात्पर्य सबसे पहली बार भवन के बनाने अथवा किसी वर्तमान भवन को गिरा कर किसी नवीन अथवा पुनरीक्षित योजना के अनुसार उसके फिर से बनाने से है;

(झ) किसी भवन के संबंध में "पुनर्निर्माण" का तात्पर्य किसी भवन अथवा उसके अंश के, उसे गिराकर उसी नक्शे (plan) के अनुसार जो पहले स्वीकृत हुआ था दुबारा अथवा फिर से बनाने से है;

(ञ) किसी भवन के संबंध में "सारवान परिवर्तन करने (to make material change)" का तात्पर्य है किसी वर्तमान भवन में परिवर्द्धन अथवा किसी छत, खिड़की या दरवाजे में, यदि ऐसी खिड़की या दरवाजा किसी कमरे के प्रकाश तथा उपवीजन पर विपरीत प्रभाव डालता हो, अथवा किसी अहाते की दीवाल में अथवा किसी भी रूप में स्वच्छता तथा जल-निष्कासन-प्रणाली (sanitary and drainage system) में किसी अन्य परिवर्तन द्वारा परिष्कार का किया जाना और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है:—

(१) भवन के किसी कमरे की ऊंचाई अथवा आच्छन्न क्षेत्र (covered area) अथवा घनिक समाय (cubical capacity) का घटाना या बढ़ाना;

(२) किसी ऐसे भवन अथवा उसके भाग को जो मूलतः एक ही निवासगृह के रूप में बना हो एकाधिक निवासगृहों के रूप में परिवर्तन तथा इसका विलोमक्रम (*vice versa*);

(३) सामान्यतया मानव आवास (human habitation) के निमित्त अभिप्रेत किसी भवन का निवास गृह (dwelling house) के रूप में परिवर्तन अथवा इसका विलोमक्रम (*vice versa*);

(४) किसी निवासगृह अथवा उसके भाग का दूकान, गोदाम अथवा फैक्ट्री में परिवर्तन या उसका विलोमक्रम;

(५) किसी एक प्रयोजन जैसे दूकान, गोदाम या फैक्ट्री आदि के लिये प्रयुक्त या प्रयोग के लिये अभिप्रेत भवन का किसी दूसरे प्रयोजन के लिये परिवर्तन;

(६) किसी भवन अथवा उसके किसी भाग का वेश्यालय, मदिरालय, अथवा द्यूतालय अथवा ऐसे ही किसी रूप में परिवर्तन ; तथा

(७) किसी सड़क या भूमि से, जिसका कि स्वामित्व दीवार के मालिक में निहित न हो, संलग्न दीवाल में ऐसा दरवाजा या खिड़की लगाना जो कि ऐसी सड़क या भूमि की ओर खुलते हों, अथवा बाहरी दीवाल के किसी दरवाजे या खिड़की को स्थायी रूप से बन्द करना;

किन्तु इसके अन्तर्गत बागबानी, सफेदी करना, रंगाई करना (painting) पलस्तर करना, टीप भरना (pointing) तथा अन्य निर्दिष्टियों (specifications) के रूप में परिष्कार नहीं है।

अनियमित क्षेत्र का प्रख्यापन।

३—यदि राज्य सरकार की राय में उत्तर प्रदेश में स्थित किसी क्षेत्र का, भूमि के अव्यवस्थित वितरण (bad laying out), भवनों के अनियोजित निर्माण (haphazard erection of buildings) या निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती को रोकने के लिये अथवा उपयुक्त योजना के अनुसार

उस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिये, इस अधिनियम के अधीन विनियमन अपेक्षित है तो सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उस क्षेत्र को विनियमित प्रख्यापित कर सकती है।

नियंत्रक प्राधिकारी।

४—(१) किसी भी क्षेत्र के इस अधिनियम के अधीन विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित हो जाने पर राज्य सरकार यथाशीघ्र ऐसे क्षेत्र के लिये एक प्राधिकारी संघटित करेगी जिसे एतत्पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी (controlling authority) कहा जायगा और जो इस अधिनियम के अ .त कृत्यों का संपादन करेगा।

(२) नियंत्रक प्राधिकारी में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) स्थानीय निकायों का कमिश्नर अथवा उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जिसका पद सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हो,

(ख) राज्य सरकार के चार नामांकित (nominees) जिन में से एक उत्तर प्रदेश सरकार का टाउन प्लानर अथवा उसका नामांकिती होगा।

(ग) उस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेन्ट जिसमें विनियमित क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग स्थित हो,

(घ) उस म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटीफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेन्ट जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि विनियमित क्षेत्र एक से अधिक स्थानीय निकायों की सीमाओं के भीतर हो तो नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे स्थानीय निकाय/निकायों के किसी अन्य प्रेसीडेंट/प्रेसीडेन्टों को अनुयुक्त (co-opt) कर सकता है,

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये "प्रेसीडेंट" के अन्तर्गत यथास्थिति कोई भी वह व्यक्ति है जो यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, १९५३ के उपबन्धों के अधीन प्रेसीडेंट के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो।

यू० पी० ऐक्ट सं० १०, १९२२, यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६, उ० प्र० अधि-नियम सं० १७, १९५३।

(३) गणपूर्ति (quorum) के निमित्त अपेक्षित सदस्यों की संख्या तथा कार्य-संपादन में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो नियत की जाय।

(४) नियंत्रक प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होते हुये भी नियंत्रक प्राधिकारी के कृत्यों का संपादन किया जा सकता है।

(५) राज्य सरकार के नियंत्रक प्राधिकारी के लिये ऐसे लिपिकवर्ग तथा अन्य कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(६) नियंत्रक प्रा[illegible]कारी द्वारा किया गया सब कार्य उस प्राधिकारी के जायगा तथा उक्त प्राधिकारी के नाम में दी गई nstruments) उस रीति से प्रमाणित

(authenticated) किये जायेंगे जो नियत की जाय और इस प्रकार प्रमाणित किसी भी आज्ञा या करण की वैधता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि वह आज्ञा या कारण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा निष्पादित नहीं है।

किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में आदेश प्रचारित करने का अधिकार।

५—नियंत्रक प्राधिकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के प्रचारित होने से दो वर्ष के पश्चात् न हो, निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के सम्बन्ध में, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिये ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रचारित किन्हीं सामान्य आदेशों से असंगत न हों और जो आवश्यक समझे जायं; अर्थात्—

(क) किसी स्थल (site) का भवनों के निर्माण के निमित्त टुकड़ों में विभाजन तथा वह रीति जिसके अनुसार ये टुकड़े भावी क्रेताओं अथवा पट्टेदारों को प्रदिष्ट किये जायं;

(ख) सड़कों, खुली जगहों, उद्यानों, मनोरंजन स्थलों, स्कूलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि की प्रदिष्टि (allotment) अथवा संरक्षण;

(ग) किसी स्थल का नगरी (township) अथवा उपनिवेश के रूप में विकास तथा वे विरोध एवं प्रतिबन्ध जिनके अधीन रहते हुये ऐसा विकास कार्य आरम्भ किया जाय अथवा संपादित हो;

(घ) किसी स्थल पर मकानों का निर्माण तथा भवनों के चारों ओर अथवा भवनों में रखी जाने वाली खुली जगहों के सम्बन्ध में तथा ऐसे भवनों की ऊंचाई तथा प्रकार के सम्बन्ध में निरोध तथा प्रतिबन्ध;

(ङ) किन्हीं स्थलों पर भवनों का पंक्तिबद्ध (alignment) करना;

(च) किसी स्थल पर बनाये जाने वाले किसी भवन के उत्सेध अथवा सामुख्य (elevation or frontage) विषयक वास्तु-कला सम्बन्धी विशेषतायें (arcthitec ural features);

(छ) निवास-भवनों की संख्या जो किसी एक स्थल पर बनाये जा सकें;

(ज) किसी ऐसे स्थल पर अथवा स्थल भवनों से सम्बद्ध दी जाने वाली सुख-सुविधायें जो चाहे भवन-निर्माण से पूर्व अथवा पश्चात् दी जाती हों तथा वह व्यक्ति अथवा प्राधिकारी जिसके द्वारा ये सुख-सुविधायें दी जायंगी;

(झ) किसी स्थान (locality) में दूकानों, कारखानों, गोदामों, फैक्ट्रियों अथवा किसी विशिष्ट वास्तुकला वाले भवनों अथवा विशेष प्रयोजनों के निमित्त भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में निषेध अथवा निरोध (restrictions);

(ञ) दीवालों, बाड़ों (fences), झाड़ो से बनी टट्टियों (hedges) अथवा अन्य रचनात्मक अथवा वास्तु-कलात्मक विनिर्माण (structural or archiectural construction) का रखरखाव तथा ऊंचाई जिस तक वे रखे जायंगे;

(ट) भवनों के निर्माण से भिन्न प्रयोजनों के निमित्त किसी स्थल के प्रयोग के सम्बन्ध में निरोध;

(ठ) अन्य कोई विषय जो किसी विनियमित क्षेत्र के उचित आयोजन के निमित्त अथवा ऐसे क्षेत्र में भवनों के अनियोजित (haphazard) निर्माण को रोकने के निमित्त आवश्यक हो।

विनियमित क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण कार्यों का नियंत्रण।

६—कोई व्यक्ति किसी विनियमित क्षेत्र में, धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेशों के विपरीत, यदि कोई हों, तथा नियत प्राधिकारी को लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी स्थल का विकास कार्य न तो आरंभ करेगा और न उसे पूरा करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण करेगा या कोई खोदाई करेगा या खोदाई को बढ़ायेगा, और न ऐसे क्षेत्र में किसी सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनायेगा।

अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र।

७—(१) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करना चाहता हो, नियत प्राधिकारी के पास ऐसे आकार में तथा ऐसी सूचना सहित जो विकास, भवन, खोदाई अथवा रास्तों के संबंध में, जिससे कि प्रार्थना-पत्र सम्बद्ध हो, नियत हो, लिखित प्रार्थना-पत्र देगा।

(२) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेशों के सम्बन्ध में अथवा अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझें, तथा ऐसे आदेशों का ध्यान रखते हुए, या तो ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायं अनुज्ञा दे देगा अथवा ऐसी अनुज्ञा नहीं देगा।

(३) यदि धारा ५ में उल्लिखित आदेशों के प्रचारित होने के पश्चात् अनुज्ञा अस्वीकार कर दी जाती है, तो पूर्वोक्त आदेशों के प्रकाशन अथवा ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति, इनमें से जो भी पश्चात् हो, के ९० दिन के भीतर ऐसे अस्वीकरण के आधार ऐसी रीति से जो नियत की जाय प्रार्थी को संदिष्ट किये जायंगे।

(४) यदि उपधारा (३) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की आज्ञा संदिष्ट न की जाय तो प्रार्थी लिखित संदेश द्वारा इस अकरण (ommission) अथवा उपेक्षा (neglect) की ओर नियत प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और यदि ऐसा अकरण (ommission) अथवा ऐसी उपेक्षा (neglect) आगे ३० दिन की अवधिपर्यन्त बनी रहती है तो यह समझा जायगा कि नियत प्राधिकारी ने प्रस्तावित कार्य की अनुज्ञा दे दी है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायगा जिससे धारा ५ के अधीन प्रसारित आदेशों का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति कार्य करने के लिये अधिकृत हो।

भवनों में प्रवेश का अधिकार।

८—नियत प्राधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी भवन अथवा स्थल में अथवा उस पर सहायकों या श्रमिकों सहित अथवा उनके बिना निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त प्रवेश करने के लिये अधिकृत कर सकता है—

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप, भू-मापन (survey) अथवा ऐसे स्थल या भवनों के समतल जानने (taking levels) के लिये;

(ख) निर्माणाधीन कार्यों के परीक्षण के अथवा मल-निष्कासन (sewers) अथवा जल-निष्कासन (drains) प्रणाली का पता लगाने के लिये;

(ग) यह पता लगाने के लिये कि किसी स्थल का विकास अथवा भवन का निर्माण, धारा ५ के अधीन प्रचारित किसी आदेश का उल्लंघन करते हुये अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करते हुये जिसके अधीन उक्त अनुज्ञा दी गई है, हुआ है अथवा हो रहा है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच समय को छोड़ कर तथा अध्यासी को कम से कम २४ घंटे का लिखित नोटिस दिये बिना अथवा यदि कोई अध्यासी न हो तो भवन अथवा भूमि के स्वामी को ऐसा नोटिस दिये बिना, कोई प्रवेश न किया जायगा।

शास्तियां (Penalties),

९—(१) किसी व्यक्ति (person) को, जो धारा ५ के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करके अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गई हो, किसी स्थल का विकास अथवा किसी भवन का निर्माण अथवा कोई खोदाई का करना या उसका बढ़ाना अथवा किसी सड़क के लिये रास्ते का बनाना आरम्भ करता है अथवा उसे पूरा करता है (undertakes or carries out), दस हजार रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है और अपराध अनवरत रूप से होने की दशा में अपराध के निमित्त प्रथम दोष-सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के निमित्त, जिसमें कि अपराध जारी रहे, उसे पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और भी अर्थदंड दिया जा सकता है।

(२) किसी व्यक्ति को, जो धारा ८ के अधीन किसी भवन या भूमि में अथवा उस पर प्रवेश करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में विघ्न डालता है अथवा उसे ऐसे प्रवेश के पश्चात् अर्दित (molest) करता है, एक हजार रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है।

(३) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी के व्यवसाय के परिचालन के निमित्त अवधायक (incharge) था तथा कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था तथा कम्पनी स्वयं अपराध के दोषी समझे जायंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उन्हें तदनुसार दंड दिया जा सकेगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी नहीं माना जायगा जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध का होना रोकने के लिये सभी प्रकार का उचित प्रयास किया था।

(४) उपधारा (३) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी डायरेक्टर, प्रबन्धक, सेक्रेटरी अथवा अन्य अधिकारी की सहमति से अथवा गुप्त सहयोग (connivance) से हुआ है अथवा उसकी ओर से उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा डायरेक्टर, प्रबन्धक, सेक्रेटरी अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे तदनुसार दंड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित संस्था (body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई एसोसियेशन भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "डायरेक्टर" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

कुछ दशाओं में भवन गिराने की आज्ञा।

१०—यदि धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेश का उल्लंघन करके अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके जिसके अधीन अनुज्ञा दी गई हो किसी भवन का निर्माण आरम्भ किया गया हो अथवा निर्माण हो रहा हो अथवा निर्माण पूर्ण हो चुका हो तो नियत प्राधिकारी किसी ऐसे अभियोजन (prosecution) के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन निविष्ट किया जाय, यह आज्ञा दे सकती है कि उसका स्वामी ऐसे निर्माण को ऐसी अवधि के भीतर जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय और जो किसी दशा में दो मास से अधिक न होगी, गिरा दे और स्वामी द्वारा आज्ञा का अनुपालन न किये जाने पर नियत प्राधिकारी उसे स्वयं गिरवा सकता है तथा इस प्रकार गिरवाने का व्यय उसके स्वामी से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया (as arrear of land-revenue) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसी आज्ञा तब तक जारी नहीं की जायगी जब तक कि स्वामी को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार।

११—प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध की सुनवाई न कर सकेगा।

अभियोजन के निमित्त नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति।

१२—इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अभियोजन नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति बिना निविष्ट नहीं किया जायगा।

मैजिस्ट्रेट का अभिवर्धित शास्तियां आरोपित करने का अधिकार।

१३—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ३२ में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिये यह वैध होगा कि वह उक्त धारा के अधीन अपने अधिकारों से अतिक्रान्त इस अधिनियम द्वारा अधिकृत दंडाज्ञायें पारित करे।

आदेश देने का राज्य सरकार के अधिकार।

१४—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी विनियमित क्षेत्र अथवा सामान्यतया सब विनियमित क्षेत्रों के लिये धारा ५ में अभिदिष्ट समस्त विषयों अथवा किसी विषय के सम्बन्ध में आदेश दे सकती है।

अनुज्ञा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाली आज्ञाएं अंतिम होंगी।

१५—(१) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञा देने या न देने की कोई आज्ञा, उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगी और उस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी;

(२) धारा ७ के अधीन अनुज्ञा देने या न देने की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है और नियंत्रक प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

सद्भाव से किये गये कार्य का संरक्षण।

१६—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसको उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो।

अन्य विधियों से असंगत इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभाव।

१७—किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अपवाद।

१८—इस अधिनियम में कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी —

(क) किसी भवन के रखरखाव, सुधार अथवा अन्य किसी परिवर्तन के निमित्त ऐसे निर्माण-कार्य का किया जाना जिससे केवल भवन के भीतरी भाग (interor) पर ही प्रभाव पड़ता हो अथवा जिनसे भवन के बाह्यरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ता हो;

(ख) राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा मल-निष्कासनों (sewers), मेनों (mains), नलों, कैबिलों (cabte) अथवा अन्य उपकरणों को, जिसके अन्तर्गत, तदर्थ किसी सड़क अथवा अन्य भूमि का तोड़ा जाना भी है, निरीक्षण, मरम्मत करने अथवा नये करने के संबंध में किया जाने वाला कार्य;

(ग) ऐसे भवन का निर्माण जो निवास-गृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के अनुसेवी प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित हो;

(घ) किसी गांव के, जैसा कि वह राजस्व अभिलेखों में परिभाषित हो, आवासित स्थल (inhadited site) के अन्तर्गत भूमि पर भवनों का निर्माण;

(ङ) पूजा स्थान या कब्र या स्मारक (cinotaph) का, अथवा कब्रिस्तान, पूजा का स्थान, स्मारक अथवा समाधि को घेरने वाली दीवाल का ऐसी भूमि पर निर्माण जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, ऐसे पूजास्थान, कब्र, स्मारक, कब्रिस्तान अथवा समाधि के प्रयोजन के लिये या उससे अध्यासित हो;

(च) कृषि संबंधी क्रियाओं के साधारण दौरान में खोदाई (जिसके अंतर्गत कुएं भी हैं);

(छ) एक मात्र कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि पर पहुंचने के उद्देश्य से कच्ची सड़क का बनाना।

विनियम बनाने का अधिकार।

१९—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त विनियम बना सकती है।

(२) विशेषतः एवं पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए ऐसे विनियम निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) नियंत्रक प्राधिकारी के अधिवेशनो को बुलाना तथा करना, समय तथा स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किये जायं, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा व्यवहृत किये जाने वाले समस्त कार्यों का परिचालन तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संपादन में नियत प्राधिकारी द्वारा परिपालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) नियंत्रक प्राधिकारी तथा नियत प्राधिकारी की आज्ञाओं तथा अन्य कारणों (instruments) के प्रमाणित करने (authentication) की रीति;

(घ) धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने का आकार तथा इस प्रार्थना-पत्र में दी जाने वाली सूचना;

(ङ) सड़क पर पहुंचने के रास्तों के बनाने का विनियमन;

(च) वे सिद्धान्त जिनके अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा के निमित्त प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये जा सकें;

(छ) धारा १५ के अधीन अपील करने की रीति तथा अपील में नियंत्रक प्राधिकारी की प्रक्रिया;

(ज) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय।

उद्देश्य और कारण

यह देखा गया है कि विकास की ओर उन्मुख नगरों के चारों ओर अनियोजित भवन निर्माण की प्रवृत्ति है तथा अंततोगत्वा ऐसे निर्माण उपयुक्त जल-निष्कासन, जल-वितरण और संचार साधन तथा समुचित स्वच्छता के अभाव के कारण सम्बद्ध प्राधिकारियों के लिये चिन्ता का कारण बनने के अतिरिक्त नगर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रसंग में उदाहरण है गाजियाबाद तथा दिल्ली के बीच भवन निर्माण-कार्य की जो तीव्र गति से हो रहा है क्योंकि वे लोग जिन्हें दिल्ली में भूमि नहीं मिलती अथवा जिन्हें निर्माण के निमित्त अनुज्ञा नहीं मिलती, वे दिल्ली की सीमा के समीप भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। भारत सरकार भी इस विषय विशेष पर अत्यन्त चिन्तित है। वर्तमान विधि के अधीन भवन-निर्माण कार्य केवल म्युनिसिपैलिटियों तथा नोटिफाइड एरियाओं के भीतर ही विनियमित किया जा सकता है और इन नगर क्षेत्रों के बाहर इन निर्माण कार्यों को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित दिल्ली (रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन्स) ऐक्ट, १९५५ के सदृश विधायन के माध्यम से ऐसे अधिकार प्राप्त किये जायं जिस से कि यदि किसी क्षेत्र में भवन-निर्माण कार्य की पूर्वोक्त प्रवृत्ति को रोकने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिये यह वांछनीय प्रतीत हो कि निर्माण कार्य विनियमित किया जाय तो इस विधायन के उपबंध उस पर लागू किये जा सकें। यह विधेयक इन उद्देश्यों से पुरःस्थापित किया जाता है।

विचित्र नारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७

सरकारी आस्थानों में भूमि सुधारों के प्रचलन की सुविधा के हेतु वहां ठेकेदारी प्रणाली के विनाश की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि सरकारी आस्थानों में भूमि सुधारों के प्रचलन की सुविधा के हेतु वहां ठेकेदारी की प्रणाली के विनाश की तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था की जाय ।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के उन जिलों में होगा जो समय-समय पर विज्ञापित किये जायं ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं ।

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:--

(१) "कलेक्टर" के अन्तर्गत परगने का इंचार्ज प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर (Assistant Collector of the Ist class in-charge of Sub-division) है तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दे ;

(२) "डिक्री" का वही अर्थ है जो "डिक्री (decree)" को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है,

(३) "सरकारी आस्थान" का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि से है जो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व में हो ;

(४) "भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में (held or occupied) हो ;

(५) "पट्टा" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकारी आस्थान के सम्बन्ध में किये गये ठेके अथवा पट्टे से है;

(६) "पट्टेदार" का तात्पर्य पट्टे के अधीन ठेकेदार अथवा पट्टेदार से है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो तथा इसके अन्तर्गत उसक दायाधिकारी और अभिहस्तांकिती (heirs and assigns) भी है ;

(७) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "लीगल रिप्रेजेंटेटिव (legal representative)" को दिया गया है;

(८) "नियत" (Prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(९) "पूर्व कृषि वर्ष" (Previous agricultural year) का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो जिसमें अवसान (determination) का दिनांक पड़ता हो;

(१०) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(११) शब्द और पद "अबवाब," "मौरूसी अधिकार," "मौरूसी काश्तकार," "लगान," "काश्तकार," तथा "सायर" के वही अर्थ हैं जो यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में क्रमशः शब्द और पद "Cess", "hereditary rights", "hereditary tenant", "rent", "tenant" और "Sayar" को दिये गये हैं।

पट्टों का अवसान । (Determination).

३--किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख्य (law, contract or other document) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके किसी ऐसे दिनांक से, जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जिसे आगे चल कर 'अवसान का दिनांक' कहा गया है), किसी पट्टे का अवसान कर दे ।

पट्टों के अवसान का परिणाम ।

४--जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पट्टे का अवसान किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथा--

(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहां आगे चल कर की गयी है, पट्टे के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे (मानों पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त हो गई हो) ;

(ख) यदि पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि को अपने निजी जोत में ले लिया हो तो पट्टेदार ऐसी भूमि का मौरूसी काश्तकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त (applicable) मौरूसी दर से आकलित लगान के बराबर लगान देना पड़ेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पट्टेदार के पास ऐसी कुल भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो पट्टेदार केवल ३० एकड़ क्षेत्र का मौरूसी काश्तकार हो जायगा और अधिक क्षेत्र जो पट्टेदार अथवा कलेक्टर के प्रार्थना-पत्र पर परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा ३० एकड़ क्षेत्र से पृथक् तथा परिच्छिन्न किया जायगा, रिक्त (vacant) भूमि हो जायगा तथा उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा;

(ग) पट्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व काल के लिये पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का अधिकारी बना रहेगा ।

(घ) ऐसी किसी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के पश्चात् किसी भी काल के लिये देय सभी लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होतीं, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के पूर्व अथवा पश्चात् उक्त धनराशि की अन्यथा की गई कोई भी अदायगी उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उसका दायित्व हो वैध भुगतान न होगा यद्यपि ऐसे व्यक्ति द्वारा पट्टेदार से उसे वसूल किये जाने के अधिकार पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ङ) यदि उक्त अवसान हुये (determined) पट्टे से भिन्न, अवसन के दिनांक से पूर्व निष्पन्न किसी अनुबन्ध अथवा संविदा (Agreement or Contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् के किसी भी काल के लिये कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियाँ पट्टेदार को दी गई हों अथवा उसने अभिसंधित (compounded) या वसूल की हों तो वे उस अनुबंध अथवा संविदा के होते हुये भी राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार से वसूल की जा सकती हैं और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काटकर वसूल की जा सकती है;

(च) अवसान के दिनांक से पूर्व काल के लिये पट्टेदार द्वारा देय लगान, अबवाब, तकावी या अन्य देय धनराशियों की सभी बकाया पट्टेदार से वसूल की जाती रहेगी और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काटकर वसूल की जा सकती है;

(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभावी प्रत्येक बंधक (mortgage), शिकमी पट्टा (sub-lease) अथवा पट्टेदारी के अधिकार के अन्य हस्तांतरण '(transfer)' का अवसान हो जायगा और ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों पट्टे के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गई थी जिसमें अनैच्छिक हस्तगतीकरण (compulsory acquisition) की व्यवस्था हो ;

(ज) पट्टे के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थित सभी इमारतें जिन पर पट्टेदार का अधिकार हो, पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिये, नियत की जाने वाली शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उसी के अधिकार में रहेंगी और उक्त अवधि के समाप्त होने पर, यदि पट्टे में भिन्न अभिप्राय व्यक्त न हो, (और ऐसी दशा में वह अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में निहित हो जायगी ।

देय लगान।

५—पहली अप्रैल, १९५५ को या इसके पश्चात् पट्टेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी अनुबंध अथवा संविदा के, या की गई किसी बात के अथवा किसी ऐसी बात के जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गई हो, होते हुये भी, उक्त भूमि के लिये देय लगान:—

(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जायगी जो पहली अप्रैल, १९५५ को उसके निमित्त देय लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आज्ञा से दी गई किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी छूट अथवा कमी को तब तक नहीं माना जायगा जब तक कि राज्य सरकार उसे पुष्ट न कर दे, और

(ख) अवसान के दिनांक के पश्चात् भविष्य में वह धनराशि होगी जो खंड (क) के अधीन तदर्थ देय माने गये लगान के बराबर हो, किन्तु इससे उस पर प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी।

कलेक्टर पट्टे की भूमि को अधिकार में लेगा।

६—धारा ३ के अधीन पट्टे का अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि:—

(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर ले और उसे अपने अवधान (charge) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा बल प्रयोग करे या करवाये जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो;

(ख) वह उस पट्टे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हो और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका परिमाप (survey) या माप करे;

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (authority) के समक्ष, जिसे निर्दिष्ट किया जाय, पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत कराये और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाये जो निर्दिष्ट की गयी हो या मांगी गई हो, और

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेखे तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जायं, तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में प्रवेश करके उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को अपने अधिकार में लेकर (seize) कब्जे में कर लें।

पट्टेदार को पट्टे के अवसान के उपलक्ष्य में प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

७—(१) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गई है, किसी पट्टेदार को, जिसके पट्टे का अवसान धारा ३ के अधीन हो गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के लिये किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसके पाने का अधिकार न होगा।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चलकर की गई है।

प्रतिकर का विवरण।

८—धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:—

(क) पट्टेदार अथवा पट्टेदारों के नाम और धारा ६ और १० के उपबन्धों के अनुसार आकलित उनकी कच्ची और पक्की निकासी (gross income and net income);

(ख) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व कृषि वर्ष में पट्टेदार द्वारा देय लगान ;

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों की बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हों, और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

कच्ची निकासी।

९—धारा ८ के प्रयोजनों के निमित्त पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पट्टेदार की कच्ची निकासी (gross income) में निम्नलिखित होंगे :—

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (Use and occupation) के सम्बन्ध में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से अवसान के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान जिसके अन्तर्गत अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं—

(१) नकदी में; और

(२) यदि लगान जिन्सी में देय हो अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः जिन्सी में देय हो तो उसमें प्रवृत्त होने वाली विधि उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान ;

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित (determined) न किया गया हो तो मौरूसी दर से अवधारित लगान;

(ख) पट्टेदार की निजी काश्त के अन्तर्गत भूमि के लिये मौरूसी दर से आकलित लगान की धनराशि, और

(ग) सायर, जिसकी धनराशि —

(१) यदि पट्टा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि की समस्त आय के जोड़ के दसमांश के बराबर होगी ; और

(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो तो ऐसी अवधि के वार्षिक औसत के बराबर होगी।

पक्की निकासी।

१०—धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, पट्टेदार की पक्की निकासी (net income) कच्ची निकासी से निम्नलिखित की कटौती करके आकलित की जायगी :—

(१) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में लगान, अबवाब अथवा अन्य देय के रूप में पट्टेदार द्वारा पूर्व कृषि वर्ष में देय धनराशि ;

(२) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व कृषि वर्ष के लिये पट्टेदार द्वारा दिये गये अथवा दिये जाने वाले कृषि-आय-कर की, यदि कोई हो, धनराशि, और

(३) प्रबंध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर का २५ प्रतिशत समझा जायगा ।

देय प्रतिकर की धनराशि

११—पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्र (formula) के अनुसार अवधारित की जायगी :—

"प० नि० ×अ०अ०-प्रतिकर

"प० नि०" का तात्पर्य धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी से है, और "अ०अ०" का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित की जायगी जिसमें अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अंश यों ही छोड़ दिये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ०अ० किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक न होगी ;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार—

(क) वर्ष-प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखता रहे तो अ०अ० एक वर्ष के बराबर होगी ;

(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिये भूमि को अपने पास रखे तो अ० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे-पूरे वर्षों के बराबर होगी, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष की होगी ।

विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन।

१२—धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति संबंधित पट्टेदार के पास भी भेजी जायगी ।

डिस्ट्रिक्ट जज को अभिदेय।

१३—(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति (person interested) अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकते हैं और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्णय के लिय डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा ।

(२) ऐसे अभिदेश के सम्बन्ध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित सूचना भेजेगा :—

(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पट्टे में स्वत्व रखते हैं,

(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी भेजेगा (forward) ।

डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अभिदेश का निस्तारण।

१४—(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट (confirm) कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे बढ़ा घटा सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच का क्षेत्र (scope) आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा।

विवरण का अंतिम प्रकाशन।

१५—(१) धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने पर अथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूप से निस्तारित हो चुकी हो तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत (amended, altered, or modified) कर दिये जाने पर कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा ।

(३) अन्तिम विवरण की एक प्रति संबंधित पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी ।

प्रतिकर का भुगतान।

१६—(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा ।

(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिये जाने से पहले पट्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा ।

(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत के हिसाब से पट्टे के अवसान होने के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ब्याज देगी ।

राज्य सरकार की दायित्व से मुक्ति।

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस सम्बन्ध में साधिकार दावा (rightful claim) हो, राज्य सरकार की सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति हो जायगी किन्तु यह अदायगी, उक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के उस अधिकार पर, जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे उक्त प्रकार की अदायगी की गई हो, विधि के उचित प्रसर (due process of law) के आधार पर अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी ।

नियम बनाने का अधिकार।

१८—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी :—

(क) धारा ४ के खंड (घ), (ङ) और (च) में वर्णित लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों को आकलित करने की रीति;

(ख) धारा ४ के खंड (ख) में अभिदिष्ट तथा पट्टेदार की अपनी निजकाश्त में लाई हुई भूमि का निर्धारण तथा उसकी व्यवस्था ;

(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध विषय ;

(घ) आकार और रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार किया जायगा ;

(ङ) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज को आपत्तियां अभिदिष्ट करेगा ;

(च) उन क्षेत्रों में जहां ऐसी दरें पहले से अवधारित न हों, मौरूसी दरों के अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत ;

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन वे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जायं जिनके विषय में इस सम्बन्ध में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों पर उस दशा में लागू होना जब उनके विषय में इस सम्बन्ध में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हो ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ञ) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से किसी दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां कार्यवाहियों का संक्रमण;

(ट) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उन दशाओं में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिनके लिये यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हो; और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जा सकते हों।

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अधीन निर्मित नियम राज्य विधान-मंडल के समक्ष यथासंभव शीघ्र रखे जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के जिलों में स्थित सरकारी आस्थानों में ठेकेदारों के रहने के कारण १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दी हुई भूमि-व्यवस्था योजना को उन क्षेत्रों में लागू करना कठिन हो गया है। उन क्षेत्रों में लोगों के अधिकारों को राज्य के अवशिष्ट भाग के लोगों के अधिकारों के समान स्तर पर लाने के विचार से और उन्हें अपनी काश्त के अधीन भूमि में अपने प्रयास तथा लागत का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाने के निमित्त यह आवश्यक है कि पहले ऐसे ठेकेदारों के अधिकारों तथा स्वत्वों का विनाश किया जाय अतएव, यह विधेयक सरकारी आस्थानों में ठेकेदारी प्रथा के उन्मूलन की व्यवस्था करता है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२ पर)

इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित किया जाय ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट मे विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा २ का संशोधन ।

२—इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में —

(१) खण्ड (ए) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (एए) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*aa*) 'Director' means the Director of Education, Uttar Pradesh. "

(२) खण्ड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (बी बी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*bb*) 'Inspector' means the District Inspector of Schools and includes an officer authorized by the State Government to perform all or any of the duties of the Inspector."

(३) खण्ड (डी) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (डी डी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*dd*) 'Regional Deputy Director, Education' means the Deputy Director of Education in charge of a region and includes an officer authorized by the State Government to perform all or any of the duties of a Regional Deputy Director."

(४) खण्ड (ई) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (एफ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*f*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा ३ का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(क) खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :—

"(*a*) the Director (*ex officio*) Chairman ;"

(ख) खण्ड (ओ) निकाल दिया जाय ।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ३-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ में धारा ३-ए का समावेश ।

"3-A. The State Government may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest :

Removal of member

Provided that the State Government shall before removing a member as aforesaid give him an opportunity of explanation and shall place on record reasons for his removal."

५—मूल अधिनियम की धारा ७ के खण्ड (९) में शब्द "The Department of Public Instruction" के स्थान पर शब्द "The Director" रखा जाय ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा ७ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा ९ में :-

शब्द "he" तथा "his", जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "it" तथा "its" रख दिये जांय ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा ९ का संशोधन ।

७—मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें १६-ए, १६-बी, १६-सी, १६-डी, १६-ई, १६-एफ, १६-जी, १६-एच तथा १६-आई के रूप में बढ़ा दिया जाय :-

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ में नई धाराओं १६-ए से १६-आई का बढ़ाया जाना ।

"16-A. (1) Notwithstanding anything in any law, document, or decree or order of a Court, or other instrument, there shall be a Scheme of Administration (hereinafter referred to as the Scheme of Administration) for every institution whether recognized before or after the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957. The Scheme shall among other matters provide for the constitution of a Committee of Management (hereinafter called the Committee of Management) vested with authority to manage and conduct the affairs of the Institution. The Headmaster or the Principal, as the case may be, of the institution and one teacher thereof, who shall be selected by rotation according to seniority, in the manner to be prescribed by regulations, shall be *ex officio* members of the Committee of Management with a right to vote.

Scheme of Administration

(2) The Scheme of Administration shall also describe, subject to any rules made in that behalf by the State Government, the respective powers, duties and functions of the Headmaster or as the case may be the Principal and Committee of Management in relation to the institution.

(3) Where more than one recognized institution is maintained by a body or authority there shall be

a separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the rules prescribed by the State Government for any class of institutions.

(4) The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to or changes in the Scheme shall be made at any time without the prior approval of the Director.

(5) Every recognized institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with sub-section (1) to sub-section (4) and sections 16-B and 16-C.

16-B. (1) In the case of an institution already recognized at the date of the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957, a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director for his approval in accordance with section 16-C within six months from the said commencement and in all other cases along with the application for recognition.

(2) If an institution which is already recognized at the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1957, fails to comply with the provision of sub-section (1) within the period provided therefor, the Director may in his discretion either allow a further period, not exceeding twelve months, or make an order withdrawing the recognition and thereupon the institution shall, notwithstanding anything in this Act, be deemed to have ceased to be a recognized institution.

16-C. (1) The Director may either approve the draft Scheme of Administration submitted under section 16-B, or suggest any alteration or modification therein. Whenever the Director shall so suggest any alteration or modification in the Scheme, he shall send a copy of the same to the institution giving his reasons therefor and requesting the institution to make representation, if any, within a time to be specified.

(2) The Director shall consider any representation made in pursuance of the requisition under sub-section (1) and may approve the Scheme of Administration either subject to the alteration and modification suggested under the said sub-section or with any other changes as may appear to him to be just and proper.

16-D. (1) The Director may cause a recognized institution to be inspected from time to time.

Inspection of recognized institution, and removal of defects.

(2) The Director of Education may direct a management to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.

(3) If the management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may after considering the explanation or representation, if any, given or made by the Management—

(*a*) refer the case to the Board for withdrawal of recognition; or

(*b*) recommend to the State Government to proceed against the institution under sub-section (4).

(4) If on the receipt of a recommendation under sub-section (3) the State Government is satisfied that—

(*a*) the affairs of the recognized institution are being mismanaged; or

(*b*) the Management of the institution has persistently failed in the performance of its duties; or

(*c*) the institution is being conducted otherwise than in accordance with the Scheme of Administration; or

(*d*) it is otherwise necessary in the interest of education so to do ;

it may, in consultation with the Board, by order make provision—

(i) for exercising control over such institution by authorizing any person (hereinafter referred to as an 'Authorized Controller"), to exercise with respect to such institution and its management for such period as may be specified by the Government such functions of control as may be specified in the order, and on the making of such order the institution and its Management, as the case may be, shall, so long as the order continues in force, be conducted and carried on in accordance with any directions given by the Authorized Controller in accordance with the provisions of the order, and every person having any function of management of such institution shall comply with such directions; and

(ii) for any incidental or supplementary matter which appears to the State Government necessary or expedient for the purpose of the order.

The period for which an order under this sub-sectoin is made may be extended by the State Government from time to time.

Where the Management or any person having any function of management does not comply with or refuses to carry out any direction given by the Authorized Controller under and in accordance with the order under sub-section 4, the Authorized Controller may, with the previous approval of the State Government and for such period as the State Government may fix, take over the manage-

ment of the institution including management of the land, buildings, funds and other assets belonging to or vested in the institution, to the exclusion of the Management or any such person and whenever the Authorized Controller so takes over the management, he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose, have in relation to the management of the institution all such powers and authority as the Management would have if the institution were not taken over under sub-section (4) of this sub-section.

(6) No person who is appointed Authorized Controller under clause (i) of sub-section (4) shall be personally liable for acts done by him in good faith in performance of the duty entrusted to him.

(7) Any order made or directions given under sub-section (4) shall have effect nothwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution.

(8) No order made by the Board withdrawing recognition under clause (*a*) of sub-section (3) and no order made or direction given under sub-section (4) or (5) shall be called in question in any Court.

(9) The powers conferred by this section shall be in addition to and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the Authorized Controller under any other law.

16-E. (1) Qualifications for appointment as Principals, *Appointment of teachers.* Headmasters and teachers of different subjects at different stages of the course shall be prescribed by regulations :

Provided that the Board may after considering the report of the Director exempt any person from the requirements of minimum qualifications having regard to his experience, education and other attainments.

(2) There shall be constituted in every recognized institution a Selection Committee for the purpose of selecting candidates for appointment as teachers in the institution. The head of the institution shall be an *ex officio* member of the Committee.

(3) There shall likewise be constituted a Selection Committee of three members for the selection of Principal or Headmaster in the institution. The Committee shall include as member one of the persons in the Regional panel referred to in sub-section (4) to be nominated by the Director.

(4) The Director shall prepare for each region a panel of persons to act as nominated members in the Selection Committee referred to in sub-section (3).

(5) The constitution of the Selection Committee referred to in sub-sections(2) and (3), the conduct of business at their meetings, the preparation of Regional panels and other matters shall be prescribed by Regulations.

16-F. (1) No person shall be appointed as a Principal, Headmaster or teacher in a recognized institution unless he—

(*a*) possesses the prescribed qualifications or has been exempted under sub-section (1) of section 16-E;

(*b*) has been recommended by Selection Committee constituted under sub-section (2) or (3), as the case may be, of the said section and approved, in the case of Principal or Headmaster, by the Regional Deputy Director of Education, and, in the case of a teacher, by the Inspector.

(2) The names of selected candidates shall be forwarded for approval, in the case of a teacher, by the Principal or Headmaster to the Inspector, and, in the case of Principal or Headmaster, by the Chairman of the Selection Committee to the Regional Deputy Director of Education. A statement showing the names, qualifications and other particulars as may be prescribed, of all candidates who may have applied for selection shall also be sent.

(3) If the Inspector in case of a teacher and the Deputy Director in case of Principal or Headmaster is satisfied that for any institution no candidate who possesses all the prescribed qualifications is available for appointment or that because of the occurrence of the vacancy during the currency of the school session, no selection according to the procedure prescribed above is immediately possible without involving delay which is likely to be detrimental to the institution, he may permit the institution to employ as a temporary measure any suitable person provided that no such temporary appointment shall be made for more than one year in case of a teacher or extending beyond the end of the school session except in a leave vacancy in case of Principal or Headmaster.

(4) Where the Regional Deputy Director of Education or the Inspector, as the case may be, disapproves for reasons to be recorded in writing, of any name proposed under sub-section (1), the Management may, within three weeks of the receipt of the disapproval, make a representation against it to the Director in the case of a Principal or Headmaster and to the Regional Deputy Director of Education in the case of a teacher, and the decision of the Director or the Regional Deputy Director as the case may be in the matter shall be final.

(5) Where the recommendation made under sub-section (2) has been disapproved and the representation of the Management if any under sub-section (4) has been rejected, the Selection Committee shall proceed to select and recommend another name for approval as provided under sections 16-E and 16-F. If the selection so made is again disapproved and representation, if any, against the disapproval has not been accepted, the Regional Deputy Director in case of a teacher and the Director in case of a Principal or Headmaster may appoint any qualified person out of the list of the candidates applying for the vacancies and such appointments shall be final.

Conditions of serviec of teachers.

16-G. (1) Every teacher including Principal or Headmaster in a recognized institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by Regulations and any agreement, between the Management and the teacher in so far as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the Regulations shall be void.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1) the Regulations may provide for—

(*a*) the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment, including suspension pending enquiry and the emoluments for the period of suspension and termination of service with notice,

(*b*) the scales of pay,

(*c*) transfer of service from one recognized institution to another,

(*d*) grant of leave and Provident Fund and other benefits, and

(*e*) maintenance of record of work.

(3) (*a*) No Principal, Headmaster or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service, except with the previous approval in writing of the Inspector.

(*b*) The Inspector may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the Management :

Provided that in the case of punishment, before passing orders, the Inspector shall give an opportunity to the Principal, the Headmaster or the teacher to show

cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be inflicted.

(*c*) An appeal against the order of the Inspector according approval in cases of removal, discharge, dismissal or reduction in rank or emoluments may be made to the Regional Deputy Director of Education within one month from the date of such order being communicated to the parties concerned and the Regional Deputy Director of Education may after such enquiry as he considers necessary confirm the order or set aside or modify it.

(*d*) The order passed by the Regional Deputy Director of Education may be revised by the Director on the application of the party aggrieved made within one month of the receipt of the order of the Regional Deputy Director of Education. The order of the Director in revision shall be final.

(4) An order made or decision given by the competent authority under sub-section (3) shall not be questioned in any COURT and the parties concerned shall be bound to execute the directions contained in the order or decision within the period that may be specified therein.

(5) In this section and in sections 16-E and 16-F the powers conferred on or the duties assigned to the Inspector and the Regional Deputy Director of Education shall, in the case of institutions for girls, be respectively exercised or discharged by the Regional Inspectress of Girls' Schools and the Deputy Director of Education for Women.

16-H. (1) The provisions of sections 16-A, 16-B, 16-C, sub-sections (2) to (7) of section 16-D and of sections 16-E, 16-F and 16-G shall not apply to recognized institutions maintained by the State Government or the Central Government.

Exemption of certain classes of institutions from the operation of certain sections.

(2) In the case of recognized institutions maintained by a local body the State Government may declare that all or any of the provisions referred to in sub-section (1) shall not apply or shall apply subject to such alterations, modifications or additions as it may make.

16-I. The State Government may, by notification in the official *Gazette*, delegate to such officer or officers of the Education Department not lower in rank than a Deputy Director of Education, the powers of Director of Education, vested by the Act."

८—(१) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर, १६–ए से १६–आई तक की धाराओं के अन्तर्भूत विषयों के सम्बन्ध में विनियम बनाये

संक्रमण-कालीन उपबंध ।

और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक विनियम उस समय तक प्रचलित रहेगा जब तक इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्यवाही करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बने समस्त विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और जब तक कि इस प्रयोजन के लिये कोई दूसरा दिनांक न निर्दिष्ट किया जाय, वे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे ।

(३) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये समस्त विनियम बनने के बाद यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे ।

उद्देश्य और कारण

इस राज्य की माध्यमिक शिक्षा, इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१, द्वारा अधिशासित है, जो ३५ वर्ष पूर्व बना था । तब से शिक्षा संस्थाओं की संख्या में प्रचुर वृद्धि हो गयी है और सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवन के मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं । राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की अभ्याप्ति के स्तर तथा उनके भाव एवं अनुशासन में बहुत पतन हुआ है । शिक्षा की गिरती हुई दशा को रोकने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि अध्यापकों के लिये सेवा की उचित दशाओं की व्यवस्था की जाय, अध्यापकों तथा प्रबन्धकवर्ग के मध्य में सम्बन्ध-साम्य स्थापित किया जाय तथा प्रबंधक वर्ग को अपनी संस्थायें अधिक दक्षता से चलाने की सुविधा प्रदान की जाय और इन उपायों द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वतोमुखी विकास किया जाय । उक्त प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ का संशोधन किया जाय ।

इसलिये यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा मंत्री ।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४३ पर)

उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा उनके गृह-स्थलों के अविरत अध्यासन के निमित्त व्यवस्था करने का

विधेयक

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा गृह-स्थलों के अविरत अध्यासन (continued occupation) की व्यवस्था करने के निमित्त, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ के अधीन गवर्नर ने उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, १९५७ प्रख्यापित किया था ; उ० प्र० अध्यादेश सं० ३, १९५७।

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के एक अधिनियम की व्यवस्था की जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त लागू होगा।

परिभाषाएं ऐक्ट संख्या १०, १८९७।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :—

(१) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ में शब्द "सेन्ट्रल गवर्नमेंट" (Central Government) को दिया गया है ;

(२) "बाढ़-पीड़ित क्षेत्र" का अर्थ है ऐसा क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे ;

(३) "विज्ञापित दिनांक" (notified date) तथा "विज्ञापित अवधि" (notified period) का अर्थ है ऐसा दिनांक तथा ऐसी अवधि, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे ;

(४) "नियत" का अर्थ इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत है, तथा

(५) "राज्य सरकार" का अर्थ उत्तर प्रदेश की सरकार है।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा गृह-स्थलों के अविरत अध्यासन के सम्बन्ध में घोषणा।

३—(१) यदि राज्य सरकार के मत में यह आवश्यक अथवा इष्टकर हो कि किसी क्षेत्र में विज्ञापित अवधि में बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाय तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के ऐसे क्षेत्र को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

(२) बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में वह सब गृह-स्थल जिन के घर वर्षा अथवा बाढ़ के कारण पूर्णतः अथवा अंशतः गिर गये हों या क्षत (damaged) हो

गये हों, और जो किसी संविदा, रुढ़ि अथवा प्रथा के अनुसार, विज्ञापित दिनांक को किसी व्यक्ति द्वारा भवन-निर्माण के प्रयोजनों से अधिकृत (held) अथवा अध्यासित (occupied) हों, उस व्यक्ति द्वारा उन प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जो नियत किये जायं, अधिकृत अथवा अध्यासित बने रहेंगे, भले ही इसके विरुद्ध कोई संविदा, रूढ़ि या प्रथा, अथवा विधि के उपबन्ध हों ;

प्रतिबन्ध यह है कि घर एक वर्ष की अवधि, अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, पुनः निर्मित या पुनः प्रतिरूपित (remodelled) कर लिया जायगा या उसकी मरम्मत कर ली जायगी।

(३) इस अधिनियम की कोई भी बात उन शर्तों तथा प्रतिबन्धों को, जिनके अधीन गृह-स्थल मूलतः अधिकृत अथवा अध्यासित किया गया था, प्रभावित नहीं करेगी, सिवाय उस मात्रा तक कि जिस तक कि इस अधिनियम के अधीन अध्यासी को गृह-स्थल पर अधिकार अथवा अध्यासन बनाये रखने और साथ ही साथ अपने घर की मरम्मत अथवा उसका पुनः प्रतिरूपण या पुनः निर्माण कर ने का अधिकार दिया गया है।

४—इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह-स्थलों पर लागू न होगी जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों।

५—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९५७ का निरसन। यू० पी० ऐक्ट १, १९०४।

६—उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों कि वह उत्तर प्रदेश की किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन (enactment) रहा हो।

उद्देश्य और कारण

आबादियों में, विशेषतः नगर-क्षेत्रों में, स्थित गृह-स्थलों के क्षेत्रपतियों तथा अध्यासियों के सम्बन्ध रूढ़ि, प्रथा अथवा बहुत सी दशाओं में संविदा, द्वारा अधिशासित होते हैं। बहुत से मामलों में रूढ़ि, प्रथा अथवा संविदा का सामान्य प्रतिबन्ध यह रहता है कि वर्तमान घरों के गिरते ही अध्यासियों के भूमि पर अध्यासन संबंधी समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। बहुत से मामलों में ऐसी रूढ़ि है कि अध्यासी अपने घर को पक्का नहीं बनवा सकता है। विगत बाढ़ के फलस्वरूप सहस्रों घर गिर गये और यदि क्षेत्रपति अपने उपर्युक्त अधिकारों को दृढ़ता से कार्यान्वित करें तो उन व्यक्तियों का, जो गृहहीन हो गये हैं, पुनर्वासन अत्यन्त दुष्कर हो जायगा। अतएव यह अधिनियम बनाना इष्टकर है। पक्षों के वर्तमान रूढ़ि, प्रथा अथवा संविदाओं द्वारा उपार्जित अथवा आरोपित अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों पर गम्भीर व्याघात किये बिना यह विधेयक वर्तमान अध्यासियों द्वारा भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए गृहस्थलों के अविरत अध्यासन की व्यवस्था करता है।

चरण सिंह,
राजस्व मन्त्री।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४३ पर)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स (संशोधन) विधेयक, १९५७

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को आगे जारी रखने का

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९४७।

विधेयक

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुनर्विहित (re-enact) हुआ था, तथा

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९४७।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५५;

उ० प्र० अधिनियम सं० २२, १९५३।

और उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा जारी रखा गया था, २५ जनवरी, १९५८ को समाप्त हो जायगा ;]

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ८, १९५५।

और उक्त ऐक्ट को जारी रखने की व्यवस्था करना इष्टकर है,

उ० प्र० अधिनियम सं० ६, १९५६।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह २६ जनवरी, १९५८ को प्रचलित होगा और इसी दिनांक से प्रचलित समझा जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३ को जारी रखना।

२—उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में संख्या "१९५८" के स्थान पर संख्या "१९६१" कर दी जाय।

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के शिड्यूल के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के शिड्यूल का अनुस्थापन। (substitution)।

३—मूल अधिनियम द्वारा यथा पुनर्विहित यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के शिडयूल के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

SCHEDULE

[*See* SECTION 2 (*a*)]

1. Bricks other than fire-bricks, and
2. Firewood.

उद्देश्य और कारण

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुनर्विहित हुआ था तथा उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा जारी रखा गया था, (१) फायर ब्रिकों (ताप प्रतिरोधी ईंटों) से भिन्न ईंटों पर, तथा (२) फारेस्ट प्रोडक्यूस (जंगल के उत्पादन) पर जिसके अन्तर्गत जलाने की लकड़ी, इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, ब्रांस, वैव घास तथा राल हैं, आवश्यक नियंत्रणाधिकारों की व्यवस्था करता है। यह ऐक्ट २५ जनवरी, १९५८ को समाप्त हो जायगा।

२---राज्य के विकास कार्य-क्रमों के सम्बन्ध में तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ते हुए भवन निर्माण के कारण ईंटों की मांग बढ़ रही है। अतएव उचित मूल्य पर ईंटों के सम्भरण (Supply) का विनियमन आवश्यक है।

३---बड़े नगरों में जनता की ईंधन सम्बन्धी आवश्यक मांग की पूर्ति के लिए तथा वृहत्तर लोक हित में वन संरक्षण के दृष्टिकोण से एवं सापट कोक के अपर्याप्त सम्भरण (Supply) के कारण, यह भी आवश्यक है कि जहां आवश्यक हो वहां जलाने वाली लकड़ी की गति-विधि तथा उसके वितरण को विनियमित किया जाय।

४---अधिकाधिक भोक्ताओं की इन पदार्थों से सम्बद्ध अधिकतम सुविधाओं को उपलब्ध संभरण के अन्तर्गत सुनिश्चित करने के लक्ष्य से यह आवश्यक है कि इन पदार्थों पर आगे तीन वर्ष तक वर्तमान नियंत्रण और जारी रखा जाय।

५---तदनुसार उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम पुरःस्थापित किया जाता है।

अली जहीर,
न्याय तथा रसद मन्त्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४३ पर)

संयुक्त प्रवर समिति की राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ के संबंध में आख्या

हम संयुक्त प्रवर समिति के अधोहस्ताक्षरकर्ता सदस्य जिनको प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक, १९५७ विचारार्थ भेजा गया था, अपनी आख्या तथा विधेयक जिसमें हमने संशोधन किये हैं, प्रस्तुत करते हैं।

२--प्रवर समिति की बैठक विधान भवन, लखनऊ, में २५, २६ तथा २७ नवम्बर, १९५७ को हुई।

३--विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार करने के पूर्व सदस्यों ने इच्छा प्रकट की कि वह इस योजना के अधीन पिछले १० वर्षों में जो प्रगति हुई, उसकी जानकारी प्राप्त करें। (इस सम्बन्ध में पहले दिन की बैठक के पश्चात् योजना के सम्बन्ध में कुछ साहित्य सदस्यों का प्राप्त हुआ।) तत्पश्चात् सदस्यों में विधेयक के सम्बन्ध में विचारों का साधारण आदान-प्रदान हुआ।

४--तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार किया। विचार-विमर्श के फल-स्वरूप विधेयक में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए वे निम्नवत हैं :

(१) विधेयक के नाम का संशोधन आवश्यक समझा गया। इस सम्बन्ध में समिति ने यह उचित समझा कि इसका नाम "प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक, १९५७" कर दिया जाय।

(२) खण्ड १ के उपखंड (३) में संशोधन किया गया। इस विधेयक का कुल उत्तर प्रदेश में तुरन्त प्रचलित किया जाना व्यवहारिक नहीं प्रतीत हुआ, इसलिऐ यह उचित समझा गया कि जहां-जहां इस समय सैनिक शिक्षा की योजनायें इस समय नहीं चल रही हैं, वहां-वहां विधेयक उस दिन से प्रचलित हो, जो राज्य सरकार समय-समय पर गजट द्वारा निर्दिष्ट करे।

(३) इसी प्रकार खंड २ में उपखंड (ङ) के सम्बन्ध में "स्कूल" शब्द के स्थान पर "संस्था" शब्द का रखना उचित समझा गया और उसकी परिभाषा रखी गई। "स्कूल" शब्द उस आशय को स्पष्टरूप से लक्षित नहीं करता था, जिसको व्यक्त करने के लिए वह प्रयुक्त हुआ।

(४) खंड २ के उपखंड (छ) का खंड १३ में स्थानान्तरित कर दिया गया, क्योंकि वह उस खंड से सम्बन्धित था और इस समिति ने यह भी उचित समझा कि परिभाषा में एक नया उपखंड (छ) और जोड़ दिया जाय, जिसमें "कैडेट" शब्द हो क्योंकि "कैडेट" शब्द का प्रयोग विधेयक में कई स्थानों पर हुआ है।

(५) खंड तीन के उपखंड (२) में स्पष्टतया तथा व्यवहारिकता लाने के हेतु यथोचित संशोधन किया गया।

खंड (४) कुछ अस्पष्टता लिये था इसलिए उसमें ११वीं तथा १२वीं कक्षाओं का उल्लेख कर दिया गया।

समिति ने एक नया खंड (५) (क) जोड़ दिया है। इसके द्वारा शासन को यह अधिकार होगा कि वह छात्राओं की भी इकाइयां बना सके।

(६) अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था में खंड (६) अनावश्यक समझा गया, इसलिए उसे निकाल दिया गया।

(७) समिति ने यह उचित समझा कि योजना की सफलता के लिए एक १७ सदस्यों की परामर्शदात्री समिति क निर्माण की व्यवस्था कर दी जाय। यह समिति शासन को योजना के निर्माण तथा प्रशासन सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगी। इसके लिए एक नया प्राविधान खंड (७) (क) में किया गया।

(८) समिति ने खंड (८) में उपखंड (२) और (३) निकाल देना और उपखंड (१) के अन्त में एक और पद (घ) जोड़ देना उचित समझा।

(९) खंड (१०) पर विचार के पश्चात् समिति ने यह निर्णय किया कि इसको एक संक्षिप्त रूप दिया जाय और उससे सम्बन्धित विषय नियमों के लिए छोड़ दिये जायें।

(१०) खंड १४ के उपखंड (२) में समिति ने आवश्यक संशोधन किये और एक नया उपखंड (३) जोड़ दिया।

(११) इसके अतिरिक्त समिति ने विधेयक के विभिन्न उपखंडों में भाषा सम्बन्धी कई संशोधन तथा परिणामानुवर्ती परिवर्तन किये।

(१२) यह विधेयक प्रदेश के गजट में दिनांक २८ जून, १६५७ को विज्ञप्त हुआ। समिति का यह मत है कि इस विधेयक में कोई ऐसे आमूल संशोधन नहीं किये गये हैं कि इसका पुनः विज्ञापन आवश्यक हो।

कमलापति त्रिपाठी
प्रेमचन्द्र शर्मा
भगवतीप्रसाद दुबे
जगदीशप्रसाद
शान्ति देवी अग्रवाल
एम० जे० मुकर्जी
इस्तफा हुसैन
सुल्तान आलम खां
नवल किशोर
कैलाश प्रकाश
वीरेन्द्रस्वरूप
शान्ति स्वरूप अग्रवाल
रामायण राय
पन्नालालगुप्त
कन्हैयालाल गुप्त*
महाबीरप्रसाद शुक्ल
मोतीलाल अवस्थी†
यादवेन्द्र दत्त दुबे
चन्द्रजीत यादव††

---

*विमति टिप्पणी के अधीन, परन्तु टिप्पणी निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई।
†विमति टिप्पणी के अधीन, जो संलग्न है।
††इस राय के साथ कि मूल विधयक का शीर्षक ही रहना चाहिए।

विमति टिप्पणी

१—इस विधेयक के यद्यपि उद्देश्य और कृत्यों में यह निर्देशित है कि विद्यार्थियों में सैनिक शिक्षण एवं सैनिक कवायद के साथ समाज सेवा तथा अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन सन्निहित हो, किन्तु पूरे विधेयक के अध्ययन के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि इसका यथार्थ मंशा विद्यार्थियों में जो ११-१२ कक्षा में हो तथा उनमें से कुछ के लिए जो शहरी क्षेत्र के भागों में हो, केवल वर्तमान पी० ई० सी० द्वारा दी जाने वाली सैनिक शिक्षा का कार्य क्रम जहां तक कि सरकार की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, विस्तृत कर दिया जावे ।

आज जब कि हायर सेकेंडरी शिक्षा एवं ११ तथा १२ कक्षाओं की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर बढ़ रही है वहां के विद्यार्थियों में केवल मात्र सैनिकता की भावना ही बढ़ा सकता है अपितु ग्राम्य जीवन से संबंधित अन्य जीवनोपयोगी कार्यों में विद्यार्थी का झुकाव न करा सकने की योजनायें निरी थोथी मात्र होती हैं।

आज हम ग्राम्य विश्वविद्यालय (रूरल युनिवर्सिटीज) खोल रहे हैं। अन्य शिक्षायें भी ग्राम्य क्षेत्रों मे इसलिए देने जा रहे हैं कि वहां का विद्यार्थी जिस वातावरण तथा परिस्थितियों में निवास कर रहा है उसी के सामन्जस्य में शिक्षा प्रदान की जावें। यह भी उचित था कि इस विधेयक द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा चाहे वह सैनिक शिक्षा क्यों न हो ग्राम सेवा के आधार पर आधारित रही होती, जिससे इन ग्राम क्षेत्रों के विद्यार्थियों के अभिभावक इस नयी शिक्षा तथा नये व्यय से आकर्षित हो सकते तथा विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता।

यद्यपि यह योजना जब सर्वांगपूर्ण होगी उस समय इस संबंध में ९० लाख की धनराशि के व्यय का अनुमान है जिसमें अभी १४ लाख व्यय हो रहा है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में बढ़ा हुआ सैनिक व्यय जो केन्द्रीय सरकार की आय का अर्धांश के आज निकट है, बढ़ाने वाला नहीं बने। यह देश की वर्तमान निर्धनता को देखते अवांछनीय तथा अनुचित है। अपितु यदि इस धनराशि को व्यय ही करना हो तो उसे रचनात्मक रूप से किया जावे और उसमें विद्यार्थियों का योग भी सम्मिलित हो जिसकी आज महान पुकार तथा आवश्यकता है।

२—कक्षा ११ व १२ का विद्यार्थी एक कम उम्र का युवक होता है अतः उस के संबंध में एक प्रौढ़ सैनिक के समान व्यवहार की बात सोचना मनोवैज्ञानिक तथा वास्तविक रूप से विरुद्ध प्रकार से सोचना है।

अनुशासन व दंड के अन्तर्गत उसकी आत्मा को ठेस पहुंचने देना तथा स्वाभिमान के स्थान पर अनुशासन लाना एक नयी दंड-व्यवस्था को प्रोत्साहन दना है, जिसक द्वारा उस पर आर्थिक दंड अपमान अथवा शारीरिक दंड संभव हो और जिस आर्थिक दंड की वसूलयाबी के लिए नियत अधिकारी द्वारा नियत रीति से नियम हो, एक प्रकार से युवक मात्र के स्वतंत्रता का अपहरण है। सैनिकता से अनुशासन और सौहार्द्र चाहें आ जावे, किन्तु भ्रातृत्वभाव तथा समानता नहीं आती। यदि यही सैनिकता की भावना रचनात्मक कार्यों में हो तो उपर्युक्त दोनों ही प्रकार क गुण अवश्य ही आ जायेंगे।

३—राष्ट्रपिता गांधी के इस देश में सैनिकता आदर्शवाद नहीं है अतः अन्तःकरणीय आपत्ति करने वाले को (conscientious objector) मुक्ति वांछनीय है।

४—नवयुवकों को अनुशासन में रखने के साथ उनका स्वतंत्र विचार का मौलिक अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, उन्हें देश की शासन प्रणाली, देश की निर्धनता, देश की उन्नति की, भविष्य योजनाओं को सोचने, भाग लेने, अथवा प्रकट करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। किसी संदेह-वशीभूत होकर उन्हें राजनीति में भाग लेने का आरोप लगा कर उनके विचारों को कुंठित नहीं करना चाहिए अतः कोई भी विधेयक की धारा अथवा नियम इस उद्देश्य से न निर्माण किया जाना चाहिए कि उनकी स्वतंत्र विचारधारा में अवरोध उत्पन्न हो।

५—धन के अपव्यय को बचाने के लिए यह आवयश्क है कि पी० ई० सी० की ट्रेनिंग तथा एन० सी० सी० की ट्रेनिंग चाहे वह जूनियर कैडर की हो, एक ही संस्था में किसी भी रूप से साथ-साथ चलना अमान्य करार कर दी जावे।

६---११ व १२ कक्षा के विद्यार्थियों का कुछ सीमित भाग तथा योग्यता प्राप्त युवकों को ही सैनिक शिक्षण दिया जावे। किन्तु यह कोरा दिखाव न हो उनकी आयुध प्रयोग शिक्षा वास्तविक तथा पूर्ण हो, केवल वर्ष में एक बार ही गोली दाग सकने तक सीमित न हो।

७---इस योजना के अन्तर्गत समाज सेवा में गांवों में सामुदायिक जीवन का संगठन, कृषि कार्यों में सहायता, सड़क बनाने, सिंचाई की गूलें तैयार करने, सफाई की व्यवस्था आदि अन्य जनोपयोगी कार्य अनिवार्य रूप से सम्मिलित हों।

८---इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक अधिकारी के लिए समाज सेवा के सम्बन्ध में नियत कार्यों के सम्पन्न करने का वास्तविक रुचि, क्षमता तथा योग्यता रखना अनिवार्य हो।

९---कैडेट के शारीरिक पोषण के लिए अनिवार्य परिश्रम के पश्चात् वास्तविक पोषक पदार्थ दिये जाने की पूर्ण योजना होनी चाहिए।

१०---इस पी० ई० सी० तथा एन० सी० सी० शिक्षण में सामान्जस्य हो जिससे इन कक्षाओं के पश्चात् कैडेट एन० सी० सी० शिक्षा प्राप्त करने में प्रोत्साहित हो तथा उसका पूर्व शिक्षण निरर्थक न हो।

११---कैडेट की पोशाक, व्यवहार तथा आदर में समानता बरती जावे।

१२---इस सैनिक दल की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक कार्यों में लगे व्यक्तियों में से अधिकारी वर्ग की पात्रता के लिए प्रोत्साहिन दिया जावे। यह विद्यार्थियों में कार्य कर चुके हों और उनके मनोविज्ञान से विज्ञ हों।

१३---उच्च से उच्च अधिकारी विद्यार्थियों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान की जानकारी की योग्यता रखने वाला होना चाहिए।

१४---इस शिक्षण के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार की सम्मति देने के लिए एक वैधानिक सलाहकारी बोर्ड हो जिसमें अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रखें जावें।

१५---इस विधेयक के अन्तर्गत ही कैडेट्स के सम्बन्ध में अपराध व दंड की धारायें निर्माण की जावें। इस संबंध में नियम प्रतिनिधानित न हो।

१६---उपरोक्त सम्मतियों को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार के संशोधन विधेयक में आवश्यक हैं ।

<u>उद्देश्य</u>---पंक्ति ३ में "समाज सेवा" तथा "के" के बीच "तथा ग्राम्य सेवा" बढ़ा दिया जावे।

खंड २ (ञ) बढ़ा दी जावे जो निम्न प्रकार हो:

"समाज सेवा" का तात्पर्य उन कार्यों से है जो ग्राम्य क्षेत्रों की आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के उद्देश्य से गांवों में सामुदायिक जीवन का संगठन, कृषि कार्यों में सहायता तथा अन्य जीवनोपयोगी कार्यों से है।

खंड ४ प्रतिबन्ध में निम्न बढ़ा दिया जावे:

पंक्ति २ शब्द "अक्षमता" तथा "या" के मध्य "अन्तर्करणीय आपत्ति" (conscientious objection) बढ़ा दिया जावे।

खंड ५ पंक्ति ३ में शब्द "समाज सेवा" तथा "करेगा" के मध्य "तथा ग्रामोपयोगी कार्य, सड़क बनाने, सिंचाई की गलें तैयार करने, सफाई की व्यवस्था करने आदि" बढ़ा दिया जावे। शब्द "अन्य कर्तव्य" हटा दिया जावे।

खंड ७ के आगे दफा (अ) बढ़ी दी जावे:

(अ) सैनिक दल में प्रविष्ट प्रत्येक सदस्य वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षा के निमित्त किसी नियत स्वास्थ्य अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर अपने स्वास्थ्य क पुष्ट होन का प्रमाण-पत्र हासिल कर लेगा।

(ब) जो सदस्य उपरोक्त उपखंड (अ) के अधीन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सके उसे शारीरिक अक्षमता के रूप में कर्त्तव्य-वहन में कार्यच्युत समझा जावेगा।

खंड ८ में निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जावे :

सैनिक शिक्षा संचालक इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे निबन्धों (टर्म्स) पर जो नियत किये जावें उन शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को इस सैनिक दल में अधिकारी के पद पर नियत किये जाने को प्रोत्साहन तथा तरजीह (preference) देगा जो इस कार्य में योग्य हों तथा जिसकी संस्थाओं में उक्त शिक्षण कार्य आरम्भ किया जावे।

खंड १० (अ) (क) (१)

शब्द "जेष्ठ" के स्थान पर "उच्च" हो।

(१) (क) (३) हटा दी जावे।

(१) (ग) शब्द "अपेक्षा" के स्थान में शब्द "उपेक्षा" हो।

(१) (च) पंक्ति शब्द "स्थिति के विषय में" हटा दिये जावें।

(१) (क्ष) हटा दिया जावे।

१०—(२) पंक्ति चार में शब्द "कमान्डेंट", "जांच" के बीच "अन्य किसी नियत अधिकारी" बढ़ा दिया जावे।

खंड १० (२) (ख) (४) व (५) हटा दिये जावें तथा (६) में शब्द "युद्ध शिक्षायें लेकर" "तथा" के बीच के शब्द हटा दिये जायें।

खंड १० (२) (२) (क) शब्द "कठोर भर्त्सना" हटा दिये जावें।

खंड १० (२) (२) (ग) हटा दिया जावे।

(२) (६) हटा दिया जावे।

निम्न प्रतिबन्ध (६) के स्थान पर बढ़ा दिया जावे।—

(६) किसी भी कैंडेट को दंड दिये जाने की अवस्था में उससे उस संबंध में अपनी स्पष्टता देने का अवसर प्रदान किया जावे।

खंड १४(११) में शब्द "गणवेश" व "तथा" के बीच शब्द "परिश्रम के पश्चात् पौष्टिक पदार्थों के प्रदान किये जाने" बढ़ा दिये जावें।

दिनांक, २८ नवम्बर, १९५७।

मोतीलाल अवस्थी,
सदस्य, विधान सभा।

[राज्य] प्रदेशीय शिक्षा [सैनिक] दल विधेयक, १९५७

शिक्षा सैनिक दलों के संघटन की व्यवस्था करने का

विधेयक

(संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित, समिति द्वारा बढ़ाये गये अंश रेखांकित हैं तथा जिन अंशों को निकाल दिया गया है वह कोष्ठ [ ] में रखे गये हैं)

यह इष्टकर है कि स्कूलों के विद्यार्थियों में चरित्र, अनुशासन, सौहार्द्र, समाज सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिये समाज सेवा के साथ ही साथ सैनिक कवायद (Military drill) और आयुध-प्रयोग (use of arms) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय ,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम [राज्य] प्रदेशीय शिक्षा [सैनिक] दल अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह [तुरन्त प्रचलित होगा] टेहरी गढ़वाल को छोड़कर समस्त जिलों के मुख्यवासी नगरों में तथा टेहरी नगर में तुरन्त प्रचलित होगा। उत्तर प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भन्न दिनांक नियत किये जा सकेंगे ।

परिभाषाएं

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) " सैनिक दल " (corps) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन संगठित [राज्य] प्रदेशीय शिक्षा [सैनिक] दल;

(ख) " प्रविष्ट " (enrolled) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट ;

(ग) " अधिकारी " (officer) का तात्पर्य है धारा [९] ८ के अधीन [राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार] नियुक्त [व्यक्ति;] अधिकारी,

(घ) " नियत" (prescribed) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत ;

(ङ) ["स्कूल" का तात्पर्य है हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभिज्ञात (recognized) इन्टरमीडियेट कालेज भी है] " संस्था" का तात्पर्य है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभिज्ञात शिक्षण संस्था जिसमें कक्षा ११ व १२ की शिक्षा दी जाती है ।

(च) " राज्य सरकार" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार ;

(छ) [समाज सेवा प्रशिक्षण, या अनिवार्य सैनिक शिक्षा या सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त (amalgamated) योजनाओं के अभिदेश से तात्पर्य होगा क्रमशः उन नामों से राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं से] "कैडेट" से तात्पर्य है उस छात्र से जो इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट किया गया हो ;

राज्य शिक्षा, सैनिक दलों का संघटन ।

३--(१) राज्य सरकार द्वारा एक सैनिक दल (corps) का आयोजन, संघटन तथा सम्पोषण होगा और इस का नाम [राज्य] प्रदेशीय शिक्षा [सैनिक] दल होगा ।

[(२) किसी भी क्षेत्र के सैनिक दल में एक या एकाधिक ऐसे एकांश (units) हो सकते हैं जिनके सदस्यगण उस क्षेत्र के, जिससे वह एकांश (units) संबद्ध हों, स्कूलों के विद्यार्थियों में से भर्ती किये जायेंगे ।]

(२) सैनिक दल में एक या एक से अधिक इकाइयां होंगी और किसी इकाई में ऐसी संस्था अथवा संस्थाओं के छात्र भर्ती किये जायेंगे जो नियत शर्तों को पूरा करती हो या हों और जिसका या जिनका नाम राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे ।

(३) राज्य सरकार नियत रीति से इस प्रकार संगठित किसी भी [एकांश] इकाई (units) को विघटित [कर सकती है] अथवा [इस प्रकार संघटित किसी एकांश (units) को] पुनस्संघटित कर सकती है ।

प्रवेश (enrolment) ।

४--[प्रत्येक स्कूल] नियत शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञापित प्रत्येक संस्था की कक्षा ११ तथा कक्षा १२ का प्रत्येक बालक (male) [विद्यार्थी] छात्र जो नियत आयु से कम का न हो सैनिक दल में प्रविष्ट किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियत [प्राधिकारी] अधिकारी किसी भी विद्यार्थी को स्वास्थ्य, शारीरिक अक्षमता या अन्य किसी ऐसे आधार पर, जो नियत किया जाये, प्रवेश से मुक्त कर सकता है ।

कृत्य (functions) ।

५--[इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट सैनिक दल का] प्रत्येक [सदस्य] कैडेट कवायद (drill) करने के लिये तथा आयुध प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा और ऐसी समाज सेवा करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन (discharge) करेगा जो नियत किये जायं ।

छात्राओं की इकाइयां बनाने का अधिकार ।

५--(क) इस सम्बन्ध में नियत शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार छात्राओं की इकाइयां भी संघटित कर सकती है ।

घोषणाएं ।

[६--प्रविष्ट होने पर सैनिक दल का प्रत्येक सदस्य एक ऐसे आकार-पत्र (form) में, जो नियत किया जाय, घोषणा करेगा ।]

कार्यच्युति (discharge) ।

७--सैनिक दल में प्रविष्ट प्रत्येक [सदस्य, नियत अवधि की समाप्ति पर, अथवा उस स्कूल] कैडेट संस्था की, जिससे वह सम्बद्ध हो, उपस्थित पंजी (roll) में उसका नाम न रहने पर सैनिक दल से कार्यच्युत [होजाने का (receive his discharge) अधिकारी होगा] होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी प्रविष्ट [सदस्य,] कैडेट, उन शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जांय, किसी भी समय नियत [प्रा] अधिकारी द्वारा दल से कार्यच्युत किया जा सकता है ।

परामर्श समिति

७--(क) राज्य सरकार प्रदेशीय शिक्षा दल के संगठन व प्रशासन से सम्बन्धित नीति के मामलों में परामर्श देने के लिये एक परामर्शदात्री समिति संघटित करेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(१) शिक्षा मंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे ,

(२) उपमंत्री, शिक्षा,

(३) शिक्षा सचिव,

(४) शिक्षा संचालक,

(५) सर्किल कमान्डर एन० सी० सी०,

(६) उत्तर प्रदेश में स्थित किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायगा,

(७) संस्थाओं के दो प्रधानाचार्य तथा दो अध्यापक जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे,

(८) विधान मंडल के तीन सदस्य जिन में से दो विधान सभा द्वारा और एक विधान परिषद् द्वारा चुने जायेंगे ।

(९) राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि,

(१०) दो गैर सरकारी सदस्य जो प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे ,

(११) निर्देशक सैनिक शिक्षा, जो समिति के सेक्रेटरी होंगे ।

अधिकारियों की नियुक्ति ।

८--(१) राज्य सरकार , इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त,

(क) एक सैनिक शिक्षा [संचालक,] निर्देशक,

(ख) एक या [एकाधिक] एक से अधिक सैनिक शिक्षा [के] सहायक [संचालक,] निर्देशक,

(ग) एक या [एकाधिक] एक से अधिक कमान्डेन्ट, [असिस्टेंट] सहायक कमान्डेन्ट, क्वार्टर मास्टर, तथा स्टाफ [इन्सट्रक्टर्स,] इन्सट्रक्टर,

(घ) अन्य अधिकारी तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारी वर्ग जिनकी-जिनकी आवश्यकता हो,

समय-समय पर नियुक्त कर सकती है ।

[(२) सैनिक शिक्षा संचालक, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये और ऐसे निबन्धनों (terms) पर, जो नियत किये जायं, समय-समय पर अपेक्षित अन्य अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है ।]

[(३) उपधारा (२) के अधीन सैनिक शिक्षा संचालक द्वारा की गयी प्रत्येक नियुक्ति का प्रतिवेदन (report) राज्य सरकार को दिया जायगा तथा ये नियुक्तियां तब तक प्रभावी न होंगी जब तक राज्य सरकार इनका अनुमोदन (approval) न कर दे ।]

९—(१) सैनिक शिक्षा [संचालक] निर्देशक तथा सैनिक शिक्षा का प्रत्येक सहायक [संचालक] निर्देशक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा कमान्डेन्टों और अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अधीक्षण (supervision and suprintendence) सम्बन्धी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायं। अधिकार और कर्त्तव्य।

(२) कोई भी कमान्डेन्ट तथा अन्य अधिकारी इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली द्वारा, या उसके अधीन [उन्हें] उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग अथवा [उन] उस पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

[१०—(१) अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी अथवा सैनिक दल में प्रविष्ट कोई सैनिक शिक्षार्थी (cadet) यदि वह निम्नलिखित में से कोई भी काम करता है तो वह काम अपराध होगा अर्थात— [अधिनियम के अधीन अपराध तथा दंड।]

(क) परेड के समय, समाज सेवा कार्य करते हुए अथवा गणवेश (uniform) पहने हुए—

(१) अपने ज्येष्ठ (superior) अधिकारी को धक्का देता है अथवा उसे चोट पहुंचाता है अथवा चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है (uses or offers violence) अथवा धमकी पूर्ण (threatening) अथवा अपमानजनक (insubordinate) भाषा का प्रयोग करता है अथवा उससे अवमानपूर्ण रीति से (with contempt) व्यवहार करता है, अथवा

(२) अपने ज्येष्ठ अधिकारी की किसी स्थायी आज्ञा अथवा विधिसंगत समादेश (command) का उल्लंघन करता है, अथवा

(३) उस इकाई या उसके भाग के, जिससे कि वह संबद्ध हो, आफिसर कमांडिंग की किसी भी उस आज्ञा की अवहेलना करता है जो शिक्षा सैनिक दल पर विशेष रूप से लागू (applicable) होती हो, अथवा

(४) नशे की हालत में हो।

(ख) निश्चित समय पर परेड के स्थान पर, अथवा जब उससे राज्य शिक्षा सैनिक दल के सदस्य की हैसियत से किसी स्थान पर उपस्थित होने की उपेक्षा की जाय तो, बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित न हो; अथवा

(ग) परेड के समय बिना पर्याप्त कारण के अपनी पंक्ति (ranks) छोड़े अथवा प्रशिक्षण के किसी भी ऐसे अंश को न करे जिसके करने की अपेक्षा उससे इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन की जाय;

(घ) जब सरकार या किसी इकाई या प्रादेशिक शिक्षा सैनिक दल के किसी भाग की किसी सम्पत्ति का अवधायक (incharge) होने की दशा में वह उस सम्पत्ति को नष्ट करे या ऐसी सम्पत्ति के नष्ट करने में उसका हाथ हो;

(ङ) खंड (घ) में निर्दिष्ट सम्पत्ति को अथवा सैनिक दल की सेवा में रत किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को जानबूझ कर (wilfully) क्षति पहुंचाता है अथवा वंड्य असावधानी (culpable neglect) के कारण उसे खो देता है अथवा क्षति पहुंचाता है;

(च) अपने समादेश अथवा अवधान (command or charge) के अधीन व्यक्तियों की संख्या अथवा स्थिति (state) के विषय में, अथवा अपने अवधान में रखी हुयी किसी भी धनराशि, आयुध या अस्त्रोपकरण (arms or ammunition), कपड़ों, साज-समान (equipment) भंडार (stores) अथवा अन्य सम्पत्ति के विषय में जानबूझ कर झूठी विवरणी (returns) अथवा प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करता है;

(छ) षडयंत्र (design) अथवा दंड्य असावधानी (culpable-neglect) से खंड (च) में उल्लिखित किसी भी वस्तु के विषय में कोई भी विवरणी, जिसका तैयार करना अथवा भेजना उसका कर्त्तव्य हो, तैयार नहीं करता है अथवा भेजता नहीं है;

(ज) जब किसी विषय के बारे में कोई घोषणा करना अधिकारी के रूप में उसका कर्त्तव्य हो और वह उस विषय के सम्बन्ध में कोई ऐसी घोषणा करे जिसे वह असत्य समझता हो अथवा जिसके असत्य होने का उसे विश्वास हो अथवा जिसकी सत्यता में वह विश्वास न करता हो;

(झ) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो अधिनियम के अधीन हो, कोई ऐसा दोषारोपण करता है, जिसे वह असत्य समझता हो अथवा जिसके असत्य होने का उसे विश्वास हो, अथवा जिसकी सत्यता में वह विश्वास न करता हो;

(ञ) किसी परेड के समय अथवा किसी ऐसे अवसर पर, जब कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने अथवा किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाय, उस व्यक्ति का झूठा वेश धारण करता है (falsely personates) अथवा छद्मवेशन के ऐसे किसी कार्य को प्रोत्साहन देता है (abets) ।

(२) इस धारा की उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिये किसी अधिकारी या युद्ध शिक्षार्थी (cadet) के विरुद्ध लगाये गये किसी भी आरोप (charge) के सम्बन्ध में अपराधी के इकाई का कमांडेंट या सहायक कमांडेंट जांच करेगा और तत्पश्चात् उस पर निम्नलिखित किसी भी रीति से कार्यवाही करेगा अर्थात् वह—

(क) यदि साक्ष्य के आधार पर कोई अपराध सिद्ध न हो अथवा यदि उसकी राय हो कि उस आरोप के विरुद्ध कोई कार्य-वाही न की जानी चाहिये तो वह आरोप को खारिज (dismiss) कर देगा, अथवा

(ख) निम्नलिखित किसी भी रीति से मामले को सरसरी तौर से निस्तारित कर देगा, अर्थात्—

(१) कठोर भर्त्सना अथवा भर्त्सना (reprimand);

(२) अतिरिक्त परेडें अथवा ड्यूटी, जो दो से अधिक न हों;

(३) उक्त ड्यूटी पर किये गये अपराधों के लिये सन्तरी (guards) की अथवा धरने (picquets) की अधिकाधिक दो अतिरिक्त ड्यूटी देना;

(४) प्रशिक्षण शिविर की अवधि में, अधिकाधिक ७ दिन तक, "लाइन" पर हाजिर रहना;

(५) युद्ध शिक्षार्थी होने की दशा में, सैनिक दल से च्युति (dismissal) अथवा किसी नीचे पद पर रखा जाना;

(६) युद्ध शिक्षार्थी होने की दशा में, अधिकाधिक ५ रुपया तक अर्थ-दंड तथा अधिकारी होने की दशा में, अधिकाधिक २० रुपया तक अर्थ-दंड; अथवा

(ग) इस विषय को सैनिक शिक्षा संचालक (Director of Military Education) के पास भेज देगा जो निम्नलिखित कोई भी दंड दे सकता है—

(१) धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त अधिकारी की दशा में :

(क) सैनिक दल से च्युति (dismissal);
(ख) नीचे के पद पर रखना;
(ग) पदोन्नति (promotion) के निमित्त ज्येष्ठता अथवा सेवा का अधिकाधिक चौबीस महीनों के लिये अपहरण (forfeiture);
(घ) कठोर भर्त्सना अथवा भर्त्सना (reprimand);
(ङ) कार्यच्युति (dismissal) की दशा में, कार्यच्युति के समय उसको देय भत्ते की बकाया अथवा अन्य सार्वजनिक धन (public money due to him) का अपहरण (forfeiture);
(च) उस समय तक के लिये भत्ते का रोका जाना जब तक अपराधी पर लगाये गये अपराध के कारण हुयी हानि या क्षति की, जो सिद्ध हो चुकी हो, पूर्ति न हो जाय;
(छ) पचास रुपये से अनधिक अर्थ-दंड देना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपखंड (क), (ख) अथवा (ग) में निर्दिष्ट कोई भी दंड तब तक न दिया जायगा जब तक उस अधिकारी को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित हो, तदर्थ कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(२) युद्ध शिक्षार्थी (cadet) की दशा में :

(क) कठोर भर्त्सना अथवा भर्त्सना अथवा चेतावनी (admonishment);
(ख) सैनिक दल से मुक्ति अथवा नीचे के पद पर रखना;
(ग) बीस रुपये से अनधिक अर्थ-दंड :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दंड देने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह लिखित रूप से दंड दे और दंड के कारण भी अभिलिखित करे।

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई भी दंड पृथक रूप से, अथवा एक या एकाधिक अन्य दंडों के साथ, दिया जा सकता है।

(४) उपधारा (५) में की गयी व्यवस्था से भिन्न स्थिति में, इस धारा के अधीन पारित आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

(५) धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त अधिकारी की दशा में सैनिक शिक्षा के संचालक द्वारा खंड (६) के अधीन दी गयी च्युति, नीचे के पद पर रखने (reduction) अथवा अपहरण (forfeiture) की आज्ञा के विरुद्ध, ऐसी आज्ञा के दिनांक से ६ महीने के भीतर, राज्य सरकार के पास अपील हो सकेगी तथा राज्य सरकार अपील होने पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझे।

(६) उपधारा (२) के अधीन आरोपित अर्थ-दंड ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी द्वारा वसूल किया जायगा जो नियत किया जाय।|

१०—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करता है ऐसे दंड का भागी होगा जो नियत किया जाय।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों से रक्षा।

११—(१) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के निमित्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन (prosecution) या अन्य विधिक कार्यवाही न हो सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण हुई अथवा सम्भाव्य क्षति के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

अधिकारियों का प्रतिनिधायन (delegation)।

१२—इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कोई भी अथवा समस्त अधिकार, ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा, [और] उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियत करे, प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जा सकते हैं।

प्रकीर्ण

१३—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अथवा अन्य किसी अधिकारी [प्राधिकारी] द्वारा समाज सेवा प्रशिक्षण, अनिवार्य सैनिक शिक्षा अथवा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजनाओं के अधीन निर्मित कोई नियम, दी गयी कोई आज्ञा अथवा दिया गया निर्देश उसी प्रकार प्रवृत्त बना रहेगा मानों वह इस अधिनियम के अधीन नियत, निर्मित, प्रचारित अथवा दिया गया हो तथा वह तदनुसार निरस्त, प्रत्यावर्तित, परिवर्तित अथवा संशोधित (repealed, revoked, [or] varied or amended) किया जा सकता है।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना के अधीन प्रविष्ट कोई व्यक्ति अथवा नियुक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट अथवा नियुक्त बना रहेगा और प्रविष्ट अथवा नियुक्त किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण —इस धारा में उल्लिखित समाज सेवा प्रशिक्षण योजना, अनिवार्य सैनिक शिक्षा योजना तथा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना से तात्पर्य क्रमशः उसी नाम से इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजना से है।

नियम बनाने का अधिकार ।

१४—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकती है ।

(२) विशेष रूप से, तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों अथवा किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है :

(१) वे शर्तें, जिनके अनुसार किसी [स्कूल को] संस्था में इस अधिनियम के अधीन [एकांश] इकाई (units) संघटित [करने की अनुमति दी जायगी] की जा सकेंगी;

[(२) सैनिक दलों में नाम लिखाने के लिये व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग की पात्रता];

(३) इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की अथवा [उनके] व्यक्तियों के वर्गों की [अधिकारियों] अधिकारी आदि के रूप में नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें;

(४) वह रीति, अवधि और शर्तें जिनके रहते हुये कोई भी व्यक्ति [या व्यक्तियों का वर्ग] सैनिक दल में प्रविष्ट किया जा सकेगा;

(५) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के निमित्त [प्रारम्भिक (preliminary)] समाज सेवा तथा सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम (courses) तथा उनके पदादि;

(६) सैनिक दल के सदस्यों में अनुशासन बनाये रखना;

(७) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकार तथा कृत्य;

(८) सैनिक दल के सदस्यों तथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों को देय भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक;

(९) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति का हटाया जाना अथवा च्युति (removal or discharge);

[(१०) वह रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन आरोपित अर्थ-दण्ड वसूल किये जायंगे];

(१०) इस अधिनियम के अधीन अपराधों तथा दंडों का निर्धारण तथा अपराधों के सम्बन्ध में दी गई आज्ञाओं को कार्यान्वित करने की रीति;

(११) [पोशाक, गणवेश] वर्दी तथा पदों के बिल्ले (badges of ranks) जो विद्यार्थियों तथा अधिकारियों के लिये आवश्यक हों; तथा

(१२) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जायं ।

(३) इस अधिनियम के अधीन दनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंग जो विधान मंडल उनमें करे ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में १६४७ ई० में समाज-सेवा प्रशिक्षण और १६४८ ई० में अनिवार्य सैनिक शिक्षा की एक योजना चालू की गई थी। इन्टरमीडियेट कक्षाओं के विद्यार्थियों को गांवों में सामुदायिक जीवन का संगठन करने, कृषि-कार्यों में सहायता देने, सड़कें बनाने, सिंचाई की गूलें (channels) तैयार करने, सफ़ाई की व्यवस्था करने तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों को सम्पन्न करने का प्रशिक्षण देने के निमित्त कालेज शिवरों में तथा गांवों में किये जाने वाले रचनात्मक कार्यों के साथ ही साथ उन्हें सैनिक प्रशिक्षण में शस्त्रास्त्रों के उपयोग की ट्रेनिंग देने के निमित्त १६५३ में इन दोनों योजनाओं को एक में मिला दिया गया था। जुलाई, १६५५ में इस योजना का विस्तार राज्य के सभी ५१ जिलों के मुख्यावासों (headquarters)में किया गया था और अब इसके अन्तर्गत इन्टरमीडियेट कक्षाओं के अधिकतर विद्यार्थी आजाते हैं। अनिवार्य उपस्थिति, अनुशासन बनाये रखने और पदों (ranks) के प्रदान करने से सम्बन्धित कार्यों को सुनिश्चित करने के निमित्त यह आवश्यक हो गया है कि एतदर्थ उपयुक्त विधायन की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार यह विधेयक सदन के विचार के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१७ एल० ए०—१६५८——७६६।